

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

{ सातवां सत्र }
{ Seventh Session }



सत्यमेव जयते

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपया

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a Summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

71(22)
1.12.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार, 8 मार्च, 1973/17 फाल्गुन, 1894 (शक)
No. 14, Thursday, March 8, 1973/Palguna 17, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
241. तुर्की में भगवद्गीता, उपनिषदों और 'दि हिन्दू व्यू आफ लाइफ' नामक पुस्तकों पर प्रतिबन्ध	Ban on the Bhagwad Gita, the Upanishads and 'The Hindu View of Life' in Turkey ...	1
245. दिल्ली में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Delhi ...	4
246. जापानी सहयोग से एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of a Steel Plant with Japanese Collaboration ...	7
248. रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय द्वारा रोजगार की व्यवस्था	Employment provided by Directorate of Re-Settlement of Ministry of Defence ...	9
250. इस्पात मिलों के लिए अर्जित भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देना	Employment of Persons displaced from Lands acquired for Steel Mills ...	11
253. पाँचवीं योजना में लौह अयस्क का निर्यात और इस्पात का आयात समाप्त करने के लिए समय-सीमा	Schedule of stopping Export of Iron Ore and Import of Steel during Fifth Plan ...	14
254. इस्पात संयंत्रों में हानि को रोकने और उत्पादन बढ़ाने के उपाय	Steps taken to Check Losses and Increase Production in Steel Plants ...	15
अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION		
अ० सू० प्र० 4. स्कूल के अध्यापकों के वेतन-मानों के संबंध में कोठारी आयोग की सिफरिशों को लागू करना	Implementation of Kothari Commission's Recommendations in respect of Pay Scales of School Teachers ...	17

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

242. रोजगार के अवसर खोजने वालों की संख्या और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of Increase in Number of Job Seekers and Employment Opportunities ...	35
243. फील्ड केबलों का आयात	Import of Field Cables ...	36
244. कोडरमा क्षेत्र की अभ्रक खानों में सुरक्षानियमों का पालन	Adoption of Safety Rules in Mica Mines of Koderma Belt ...	36
247. शस्त्रास्त्रों और उपकरणों के निर्माण के संबंध में आत्म-निर्भर बनने के लिए रक्षा विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा को सुदृढ़ बनाना	Strengthening the Research and Development Wing of Defence Department for Self Reliance in Manufacture of Arms and Equipments ...	37
249. बोलानी ओर्स द्वारा स्टेशन वैगनों का बेचा जाना	Sale of Station Wagons by Bolani Ores ...	37
251. युगांडा को एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव	Proposal for a High Power Delegation to Uganda ...	38
252. रूस के सहयोग से इस्पात परियोजनाएँ	Steel Projects with Russian Collaboration ...	38
255. मैंगनीज खान श्रमिकों के लिए कल्याण कोष बनाना	Creation of a Welfare Fund for Managenese Mine Workers ...	39
256. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत अस्पताल	ESIC Hospitals ...	40
257. भारत, पाकिस्तान और बंगला देश का शिखर सम्मेलन	Summit Conference of India, Pakistan and Bangladesh ...	41
258. आयुध कारखानों को एक संगठन के अंतर्गत लाने के लिए उनका पुनर्गठन	Reorganisation of Ordnance Factories into One Organisation ...	41
259. दानापुर छावनी बोर्ड का चुनाव	Election to Danapur Cantonment Board ...	41
260. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड	Third Wage Board for Working Journalists ...	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2401. प्राकृतिक संसाधनों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति में ऊर्जा, जल तथा खनिजों की विश्व में सप्लाई तथा मांग के बारे में चर्चा	World Supply and Demand for Energy, Water and Minerals discussed in the U. N. Committee on Natural Resources ...	42
---	--	----

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2402. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कक्ष	Cell for redressal of grievances of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Heavy Engineering Corporation ...	43
2403. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates in Heavy Engineering Corporation ...	43
2404. सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाओं का राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किया जाना	Utilization of Services of retired Armed Forces Personnel for Nation Building Activities ...	43
2405. बाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits ...	44
2406. गणतंत्र दिवस परेड, 1973 पर हुआ व्यय	Expenditure on Republic Day Parade, 1973 ...	44
2407. कोचीन में एक पृथक नौसेना डाक यार्ड बनाने का प्रस्ताव	Proposal to build a separate Naval Dock Yard at Cochin ...	45
2408. अफगानिस्तान के युवराज की भारत यात्रा	Visit by Crown Prince of Afghanistan ...	45
2409. स्पेन के विदेश मंत्री का दौरा	Visit by Foreign Minister of Spain ...	46
2410. कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कारखाने की औद्योगिक क्षमता	Industrial Potential of Bharat Aluminium Plant at Korba ...	46
2411. सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Steel Production in Steel Plants in Public Sector ...	47
2412. खनिज खनन निगम की स्थापना	Setting up of Mineral Exploration Corporation ...	47
2413. भारतीय वायुसेना के विमान का लापता हो जाना	Missing of Indian Air Force Plane ...	48
2414. युगांडा से वापिस आये भारतीय	Indian Repatriates from Uganda ...	48
2415. चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Czechoslovakia ...	49
2416. आयुध कारखानों में रोजगार पर लगे लोग	People employed in Ordnance Factories ...	49
2417. रक्षा सामग्री का मूल्य	Value of Defence Output ...	49

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2418. भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान दी गई सहायता	Assistance given under ITEC Programme during 1971-72 and 1972-73 ...	50
2419. सिडनी में कार दुर्घटना में मारी गई दो भारतीय महिलाओं के लिए क्षति-पूर्ति	Compensation for two Indian Women killed in Car Accident in Sydney ...	50
2420. अमरीका, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, रूस, जापान और ब्रिटेन के विश्व-विद्यालयों में हिन्दी भाषा का शिक्षण	Teaching of Hindi Language in Universities of U. S. A., West Germany, Belgium, USSR, Japan and U. K. ...	51
2421. इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के मजदूर संघों की बैठक	Meeting of Trade Unions of Imperial Chemical Industries ...	51
2422. भारतीय विद्युत सार्थ संघ द्वारा कार्य का निष्पादन	Execution of work by Indian Power Consortium ...	52
2423. माल डिब्बा निर्माण उद्योग की बेकार पड़ी क्षमता	Idle Capacity in Wagon Building Industry ...	52
2424. हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उद्योगों को हुई हानि	Loss incurred by Industries due to Strikes and Lock-outs ...	53
2425. भारतीय हिरासत से पाकिस्तानी पत्रकारों की रिहाई	Release of Pakistani Journalists in Indian Custody ...	54
2426. झाका (बिहार) में बीड़ी व्यापार में मन्दी	Recession in Bidi Trade in Jhaka (Bihar) ...	54
2427. दिल्ली की खदानों में होने वाले काम का रोका जाना	Suspension of Work in Quarries in Delhi ...	
2428. बदरपुर खदान में पाँच व्यक्तियों की मृत्यु	Death of Five Persons in Badarpur Quarry ...	55
2429. राजस्थान के कैम्पों में रखे गये पाकिस्तानी विस्थापितों का पाकिस्तान वापस जाने के लिए अनिच्छा प्रकट करना	Pak Displaced Persons lodged in Rajasthan Camps reluctant to go back to Pakistan ...	55
2430. युद्ध बन्दियों के शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements in P. O. W's. Camps ...	56
2431. राज्यों में बोनस माँग दिवस	Bonus Demand Day in States ...	56

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2432. फ्लाईंग अफसर श्री सुधीर त्यागी का अता पता	Whereabouts of Flying Officer Shri Sudhir Tyagi ...	56
2433. कोयले की ढुलाई और उसकी सप्लाई की स्थिति	Transport and Supply Position of Coal ...	57
2434. उत्तर प्रदेश में पाले से मरे सैन्य कर्मचारी	Military Personnel killed due to Snow Frost in Uttar Pradesh ...	58
2435. बंगला देश को बसों की सप्लाई	Supply of Buses to Bangladesh ...	58
2436. हनोई में अमरीकी बमबारी से भारतीय दूतावास को हुई क्षति	Damage caused to Indian Embassy in Hanoi due to U. S. Bombing ...	59
2437. मिनी ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Mini Tractors ...	59
2438. देश में निर्मित ट्रैक्टर और उनकी कीमत	Tractors Manufactured in the country and their Prices ...	60
2439. बम्बई पत्तन में गोदी श्रमिकों की कमी	Shortage of Dock Labour at Bombay Port ...	60
2440. इंडियन कोआपरेशन मिशन, नेपाल से संबद्ध औषधालय	Dispensaries attached to Indian Cooperation Mission, Nepal ...	61
2441. कोचीन पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Cochin Port ...	61
2442. बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरणों का देश में उत्पादन	Indigenous Production of Power Generation Equipment ...	62
2443. भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण विभाग और राज्य संगठनों के बीच कार्य का विभाजन	Division of Work between GSI and State Organisations ...	62
2444. उगांडा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का गुजरात तथा अन्य राज्यों में पुनर्वास	Rehabilitation of Ugandan Repatriates in Gujarat and other States ...	63
2445. हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को हुई हानि	Loss suffered by the Heavy Electricals Limited ...	63
2446. सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना	Small Car Project in Public Sector ...	65
2447. मजदूरों की देय राशि का भुगतान न करने के कारण ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी (वैगन डिवीजन) में संकट	Crisis in Britannia Engineering Company (Wagon Division) due to Non payment of Dues to Workers ...	65

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2448. दिल्ली में ठेका मजदूरों को वेतन सहित अवकाश तथा चिकित्सा सहायता देना	Paid Holidays and Medical Aid for Contract Labour in Delhi ...	65
2449. बजाज (वैस्पा) और लम्ब्रेटा स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि	Increasing Production of Bajaj Vespa and Lambretta Scooters ...	66
2450. फिएट कार के उत्पादन का बढ़ाया जाना	Raising Production of Fiat Cars ...	66
2451. पंजाब के प्रादेशिक भाषा के समाचार-पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Staff of Language Papers of Punjab ...	67
2452. हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में वृद्धि	Increased Production at Heavy Electricals Limited, Bhopal ...	67
2453. उड़ीसा के कोरापुट जिले में एल्युमीनियम फैक्टरी के बारे में हुई प्रगति	Progress on Aluminium Factory at Koraput in Orissa ...	68
2454. मऊ छावनी के लिए जल सप्लाई योजना	Water Supply Scheme for Mhow Cantonment ...	68
2455. इन्दौर नर्मदा जल सप्लाई योजना	Indore Narmada Water Supply Scheme ...	68
2456. दिल्ली के कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण हुई हानि	Loss due to Strike in Delhi Textile Mills ...	69
2457. उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए सैन्ट्रल प्रूफ एस्टैब्लिशमेंट फैक्टरी	Central Proof Establishment Factory for Equipment ...	69
2458. चीन द्वारा शस्त्रों के निर्माण में वृद्धि	Increase in Arms Production in China ...	69
2459. लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि	Iron Ore Mines Labour Welfare Fund ...	70
2460. 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत विदेशों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाएँ	Facilities provided to Serving Personnel in Foreign Countries classified as 'A', 'B' and 'C' ...	70
2461. विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं और परमवीर चक्र विजेताओं के ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाना	Declaring Villages of Victoria Cross Winners and Param Vir Chakra winners as Model Villages ...	72
2462. रक्षा सेनाओं के कार्मिकों की पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension Packets of Personnel of Defence Forces ...	72
2463. बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीय सेना की भूमिका का इतिहास	History of Indian Defence Forces in Liberation War of Bangladesh ...	73

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2464. बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो से परामर्शदात्री सेवा प्राप्त करना	Consultancy Service from Central Engineering and Design Bureau for Bokaro Steel Plant ...	74
2465. बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी और तीसरी धमन भट्टी के पूरा होने संबंधी कार्य की प्रगति	Progress on completion of Second and Third Blast Furnace of Bokaro Steel Plant ...	74
2466. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की रामगढ़ स्थित कोयला खानों से कोयले का उत्पादन	Output of Coal in NCDC Mines at Ramgarh ...	75
2467. बिहार में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Bihar ...	75
2468. हिन्दुस्तान स्टील लि० के माध्यम से टिन प्लेटों का आयात किया जाना	Canalisation of Import of Tin Plates through H. S. L. ...	76
2469. लौह अयस्क खानों के श्रमिकों के लिए केन्द्रीय चिकित्सालय	Central Hospitals for Iron Ore Mine Workers ...	77
2470. लौह खदान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1970 की क्रियान्विति	Implementation of Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1970 ...	78
2471. कोयला तथा अभ्रक खान के श्रमिकों के कल्याण के लिए अस्पतालों और चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद	Posts of Doctors lying vacant in Hospitals and Dispensaries for Welfare of Coal and Mica Mine Workers ...	78
2472. मिश्र के विदेश मंत्री का दौरा	Visit by Foreign Minister of Egypt ...	80
2473. विदेश मंत्री की कुवैत यात्रा	Foreign Minister's Visit to Kuwait ...	80
2474. खेतिहर श्रमिकों की मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of Wages of Agricultural Labour ...	80
2475. एशिया की सामूहिक सुरक्षा के बारे में रूस के प्रस्ताव पर आगे विचार	Further discussion on Soviet Proposal regarding Collective Security for Asia ...	81
2476. कलकत्ता में आयोजित आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सम्मेलन में बोनस पर पारित प्रस्ताव	Resolution on Bonus Passed at AITUC Conference at Calcutta	81
2477. कुसुन्दा रिफ्रेक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकार में लेना	Taking over of Kusunda Refractories Private Limited	82

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2478. पंजाब में हुसैनीवाला और वागाह सीमा पर पाकिस्तान के साथ यातायात खोलने का प्रस्ताव	Proposal for opening Traffic with Pakistan on Hussainwala and Wagah Border in Punjab	...	83
2479. छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment to Cantonments Act, 1924	...	83
2480. भारत मूलक ब्रिटिश नागरिकों द्वारा ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल को ज्ञापन	Memorandum to British Delegation by British Citizens of Indian Origin	...	84
2481. वियतनाम के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा की गई कथित टिप्पणी पर अमरीका सरकार का विरोध	U. S. Protest over Reported Remarks of Prime Minister about Vietnam	...	84
2482. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परियोजना प्रतिवेदन पर टाटा बन्धुओं को आपत्ति	Tatas' Objection to Project Report of TISCO	...	85
2483. बेलाडिल्ला परियोजना के एक एकक में आग लगना	Fire in a Unit of Balladilla Project	...	85
2484. राष्ट्रीय छात्रसेना दल में छात्र और छात्राओं की संख्या	Strength of Male and Female Personnel in N. C. C.	...	86
2485. उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	...	87
2486. आदिवासी क्षेत्रों में सेना द्वारा किया गया विकास कार्य	Development Work done by Army in Tribal Areas	...	88
2487. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centres Abroad	...	88
2488. शस्त्रास्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये उत्पादन विभाग में एक नये कक्ष की स्थापना करना	Setting up a New Wing in Department of Defence Production to Boost Export of Arms	...	89
2489. खेतड़ी में ताँबा निकालने के लिए सुविधाएं प्रदान करना	Facilities for Copper Mining at Khetri	...	89
2490. राष्ट्रीयकरण के बाद गैर कोकिंग कोयला खानों में कोयले का उत्पादन	Production of Coal at Non-coking Coal Mines after Nationalisation	...	90
2491. कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में वृद्धि	Raise in rate of Interest of E. P. F.	...	91
2492. पेट्रोल से चलने वाले जहाज के निर्माण के लिये निविदाएं	Tenders for Building Petrol-craft	...	91

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2493. बिसरामपुर कोयला खान के मजदूरों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages of Workers of Bistrampur Colliery ...	92
2494. बेलाडिला लौह अयस्क खान क्षेत्र में एक ट्रक उलटने से मारे गए मजदूरों के परिवारों की सहायता	Assistance to Families of Labourers killed by over turning of Truck in Balladilla Iron Ore Mine Area ...	92
2495. कश्मीर को चीन का अंग दिखाने वाले चीनी मानचित्र	Chinese Maps showing Kashmir as a part of China ...	93
2496. हवाई सेनाएं पुनः प्रारंभ करने के सम्बन्ध में भारत पाक वार्ता	Indo-Pak Talks for resuming Air Services ...	93
2497. फारस की खाड़ी के देशों को विदेश मंत्री की यात्रा	Foreign Minister's visit to Persian Gulf Countries ...	94
2498. इन्टक का फरवरी, 1973 में हुआ अधिवेशन	INTUC Session held in February, 1973 ...	94
2499. बर्मा में इरावती नदी के किनारे पर भारतीय वायु सेना के विमान का उतरना	Indian Air Force Plane Landed on Bank of Irawati River in Burma ...	95
2500. युद्ध बन्धियों की पत्नियों और बच्चों की सूची	List of Wives and Children of P. O. Ws. ...	95
2501. आल इंडिया मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसियेशन की ओर से ज्ञापन	Memorandum from All India Medical Representatives Association ...	95
2502. मोजम्बीक में भारतीय परिसम्पत्तियों के एवज में पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी न करना	Non Payment of Compensation for Indian Assets in Mozambique by Portuguese Authorities ...	96
2503. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीदारी में भेदभाव बरतना	Preferential Treatment in Purchases made by DGS&D. ...	97
2504. पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में लघु-इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plant at Purulia in West Bengal ...	97
2505. राज्यों में रक्षा उत्पादन एकाइयों की स्थापना	Location of Defence Production Units in States ...	98
2506. प्रत्येक योजना अवधि के पश्चात् मजदूरों की मजूरी का पुनर्विलोकन	Review of Workers Wages after every Plan Period ...	98
2507. कोयले की कमी के कारण कारखानों का बन्द होना	Closure of Factories due to Coal Shortage ...	99

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2508. बोलानी ओर्स, क्योञ्जार के महाप्रबन्धक की योग्यताएं	Qualifications of General Manager, Bolani Ores, Keonjhar ...	99
2509. केन्या में एशियाई लोगों को देश छोड़ो नोटिस दिये जाने के समाचार	Reported Quit Notices to Asians in Kenya ...	100
2510. सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों में हड़तालों और तालाबन्दियों का समाधान	Settlement of Strikes and Lockout in Private and Public Sector Undertakings ...	101
2511. लन्दन स्थित भारत मिशन के सप्लाय और क्रय संगठन में कर्मचारियों की कमी करना	Reduction of Strength in Supply and Purchase Organisation of Indian Mission in London ...	101
2512. राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में ठेका श्रम का बन्द किया जाना	Abolition of Contract Labour in Nationalised Coal Mines ...	102
2513. भारत अमरीका संबंध	Indo-U.S. Relations ...	102
2514. हड़तालों, तालाबन्दियों और जबरन छुट्टियों के कारण उत्पादन में हुई हानि का मूल्य	Loss of Production in Monetary Terms due to Strike, Lock outs and Lay offs ...	102
2515. युगोस्लाविया मजदूर संघ के शिष्टमंडल का दौरा	Visit of Yugoslavia Trade Union Delegation ...	103
2516. तमिलनाडु की खनिज सम्पदा के लिये सर्वेक्षण	Survey for Mineral Wealth of Tamil Nadu ...	103
2517. अलौह धातुओं की खोज	Exploration of Non-Ferrous Metal ...	104
2518. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त औद्योगिक एकक	Industrial Unity Exempted from Provision of E. P. F. Act ...	105
2519. श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का तमिलनाडु में पुनर्वास	Rehabilitation of Indians Repatriated from Lanka in Tamil Nadu ...	106
2520. सरकारी क्षेत्र के वैमानिक उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल का विकास	Developing of Basic Raw Materials for Public Sector Aeronautic Industry ...	107
2521. वैमानिकी उद्योग के लिये अपेक्षित आधारभूत कच्चे माल के लिये विदेशी संसाधनों पर निर्भरता	Depending on Foreign Sources for Basic Raw Materials for Aeronautic Industry ...	108
2522. वेस्टिंगहाउस सेक्सबी फारमर लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न किया जाना	Non Deposit of EPF dues by Westinghouse Saxby Farmer Ltd., Calcutta ...	108

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2523. भारत कोकिंग कोल कम्पनी द्वारा 'भुगगर भवन' को खरीदना	Purchase of 'Bhuggar Building' by Bharat Coking Coal Company ...	109
2524. मजदूरों की औसत आय	Average Earnings of Workers ...	109
2525. बंगला देश से आये शरणार्थियों पर हुआ व्यय	Expenditure on Bangla Desh Refugees ...	110
2526. जारी किए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत स्थापित किए गए विद्युत भट्टी इस्पात संयंत्र	Electric Furnace Steel Plants set up against Licences Issued ...	111
2527. देशी कच्चे माल से सशस्त्र सेनाओं के लिये सर्दी के मौसम के लिये कपड़े बनाना	Manufacture of Winter Clothing for Armed Forces Indigenous Raw Material ...	111
2528. नौसेना के लिये आधुनिकतम शस्त्र	Latest Weapons for Navy ...	112
2529. भारतीय मजदूर संघ केन्द्र (सीटू) द्वारा गैर कोकिंग कोयला खान सलाहकार बोर्ड से उसके मनोनीत व्यक्तियों को शामिल न किये जाने के बारे में विरोध	Protest from CITU against non-inclusion of its Nominees in Advisory Board for Non-coking Coal Mines ...	112
2530. बालासौर (उड़ीसा) स्थित प्रमाण तथा प्रायोगिक प्रतिष्ठान (प्रूफ) एन्ड एक्सपेरीमेंटल एस्टेब्लिशमेंट के औद्योगिक कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Industrial Employees of Proof and Experimental Establishment at Balasore (Orissa) ...	113
2531. संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के क्रियान्वयन के संबंध में कन्नानूर फूड कार्पोरेशन घुमाठी, थोजीलाली संघ का अभ्यावेदन	Representation from Cannanore Food Corporation Ghummathi, Thozhilali Union Regarding Implementation of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 ...	113
2532. मारुति लिमिटेड को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Maruti Limited ...	114
2533. भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये कोयले की कमी	Shortage of Coal for Bhilai Steel Plant ...	115
2534. ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी के वैगन डिब्रीजन को नियन्त्रण में लेने के लिये बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal from Bihar Government for take-over of Britannia Engineering Company's Wagon Division ...	115

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2535. हिन्दुस्तान ताँबा निगम द्वारा मलंजखंड ताँबा, खानों के उपयोग के लिये योजना	Scheme for Exploitation of Malanjkhanda Copper Mines by Hindustan Copper Corporation ...	116
2536. राष्ट्रीयकृत गैर कोकिंग कोयला खानों के लिये प्रशासनिक मशीनरी	Administrative Machinery for the Nationalised Non-Coking Coal Mines ...	116
2537. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के एककों में प्रगति	Progress on Units of Hindustan Copper Ltd. ...	117
2538. श्रमिक ब्यूरो के एक हिस्से को शिमला से चंडीगढ़ ले जाना	Shifting of Part of Labour Bureau from Simla to Chandigarh ...	118
2539. श्रमिक ब्यूरो में आर्थिक अन्वेषकों के लिये पदोन्नति का कोटा	Promotion Quota for Economic Investigators in Labour Bureau ...	119
2540. खेतड़ी ताँबा परियोजना के उपोत्पाद	Bye-Products of Khetri Copper Project ...	119
2541. सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में बेचने योग्य इस्पात और पिंड इस्पात का उत्पादन	Production of Saleable Steel and Ingot Steel at Public Sector Steel plants...	120
2542. रांची के ह्यूवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में सिविल इंजीनियर असिस्टेंटों का दमन	Suppression of Civil Engineer Assistants in HEC, Ranchi ...	120
2543. सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Civilian Staff of Armed Forces Headquarters ...	121
2544. कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज की दर में वृद्धि	Raising of Rate of Interest on Employees Provident Fund ...	121
2545. श्रमिक प्रबन्धक विवाद	Labour Management Duels ...	121
2546. बेकरी उपकरण की कमी	Shortage of Bakery Equipment ...	123
2547. केरल में खनिज निक्षेप	Mineral deposits in Kerala ...	124
2548. केरल में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plant in Kerala ...	124
2549. नेतरनी द्वीप में नौसैनिक बम का फटना	Explosion of a Naval Bomb on Netrani Island ...	124
2550. विशाखापत्तनम, होस्पेट तथा सेलम में स्थापित की जा रही इस्पात परियोजनाओं का पुनरीक्षण	Revision of Steel Plant Project being set up at Visakhapatnam, Hospet and Salem ...	125

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2551. कोकिंग कोयला खानों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला उपदान	Gratuity payable to Employees of Coking Coal Mines ...	126
2552. ठंगुआ क्षेत्र से मिले प्लाटिनम की रसायनिक जाँच	Chemical examination of Platinum discovered from Dhangua Region ...	126
2553. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय से गुम हुई फाइलें	Missing Files in R. P. F. C. Bihar ...	126
2554. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार और अन्य क्षेत्रों के लिये कार्यालय भवन	Office-building for R.P.F.C., in Bihar and other Regions ...	127
2555. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते तथा मैडिकल बिल	T. A. Bills and Medical Bills of Staff in R. P. F. C., Bihar ...	128
2556. चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में एक इस्पात संयंत्र के लिये प्रस्ताव	Proposal for a Steel Plant at Chandrapur in Maharashtra ...	128
2557. कोयला खान वेतन बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Coal Mines Wage Board ...	129
2558. खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने की योजना	Scheme to strengthen the Directorate General of Mines Safety ...	129
2559. पिट सेफ्टी कमेटियाँ	Pit Safety Committees ...	130
2560. गोरखपुर में उर्वरक कारखानों में कर्मचारियों पर हमला	Assault on Workers of Fertiliser Factory at Gorakhpur ...	130
2561. उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में युद्ध बन्दियों के शिविरों में गोली चलना	Firing in U. P. P. O. W's and other Camps ...	131
2562. आई. एन. एस. नीलगिरि की कार्य-कुशलता	Performance of INS 'Nilgiri' ...	131
2563. शिमला समझौते के उल्लंघन में पाकिस्तानी प्रचार	Pak propaganda in violation of Simla Agreement ...	132
2564. वियतनाम में सन्धि परिषद्	Truce Council in Vietnam ...	132
2565. छोटे कारखानों के लिये इस्पात का कोटा	Steel Quota for Small Factories ...	132
2566. महाराष्ट्र में ऊनी उद्योग के लिये न्यूनतम मजदूरी	Minimum Wage for Woollen Industry in Maharashtra ...	133
2567. सशस्त्र सेनाओं के लिये मकान	Houses for Armed Forces ...	134

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2568. लौह अयस्क निक्षेपों के लिये मालाबार क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Malabar Area for Iron Ore Deposits ...	134
2569. कृषकों को देहु रोड, पूना के निकट खेती के लिये दी गई भूमि के लगाने में वृद्धि	Increase in rent of land given to Agriculturists for Cultivation near Dehu Road, Poona ...	135
2570. बोकारो इस्पात संयंत्र में पहली धमन भट्टी का कार्यकरण	Working of First Blast Furnace of Bokaro Steel Plant ...	135
2571. एशिया में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संधि	International Treaty for Prevention of Outside Interference in Asia ...	136
2572. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को असमान मजदूरी	Unequal Wages to Workers in Drought affected Areas ...	136
2573. बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों के लिये परामर्शदाता	Consultants for Bokaro and Salem Steel Plants ...	136
2574. राज्यों द्वारा सेवारत / सेवा निवृत्त सैनिकों को कृषि भूमि तथा मकानों के लिये प्लोटों का आवंटन	Allotment of Agricultural Land and House-plots to Active/Retired Soldiers by States ...	137
2575. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की नौपाड़ा तहसील में बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Burma Repatriates in Tehsil Naupara, District Bahraich, U. P. ...	138
2576. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में प्रगति	Progress in Visakhapatnam Steel Plant ...	138
2577. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में उत्पादन	Production by Hindustan Steel Limited and IISCO ...	139
2578. गुजरात खनिज विकास निगम को खनन पट्टों की स्वीकृति	Clearance for Mines Lease to Gujarat Mineral Development Corporation ...	140
2579. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में एक बायलर के फट जाने के संबंध में जाँच	Enquiry regarding bursting of a Boiler in HAL, Kanpur ...	141
2580. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मैग्नेसाइट के निक्षेपों की खोज	Exploitation of Magnesitic Deposits in Hill Districts of U. P. ...	141
2581. उत्तर प्रदेश के जिलों में खनिज सम्पदा के लिये सर्वेक्षण	Survey for Mineral Wealth in U. P. Districts ...	142

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2582. दिनांक 30 जनवरी, 1973 के 'स्टेट्स-मैन' में भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड) पर सम्पादकीय	Editorial in 'Statesman' dated 30-1-73 on Steel Authority of India Limited (SAIL) ...	143
2583. बेरोजगार व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये आस्थगित वेतन अदायगी प्रणाली	Deferred Wages Payment System for utilizing Services of Unemployed ...	143
2584. बंगला देश के शरणार्थियों का आसाम में रह जाना	Staying back of Bangladesh Refugees in Assam ...	144
2585. भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार की राष्ट्रीय मजदूर यूनियन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Rashtriya Mazdoor Union of Bharat Heavy Electricals, Hardwar ...	144
2586. सिंगरौली पावर स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Singrauli Power Station on priority basis ...	144
2587. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे बंगाली	Bengalies working in the Engineering Projects India Limited ...	145
2588. राष्ट्रीयकरण के समय खानों से मशीनों और सामान का हटाया जाना	Removal of Machines and Materials from Mines at the time of Nationalisation ...	145
2589. विदेशों से भारत लौटे व्यक्ति	Repatriates from Foreign Countries ...	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	147
चमड़ा उपलब्ध न होने के कारण छोटे पैमाने के जूता निर्माण उद्योग में संकट उत्पन्न होने का समाचार	Reported Crisis in the Small Scale Footwear Industry due to non-availability of Leather ...	147
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	147
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George ...	147
मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य दिये जाने के बारे में	Re. Alleged Wrong Statement by Minister ...	152
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	155
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	157
74वाँ प्रतिवेदन	Seventy-fourth Report ...	157

खान (संशोधन) विधेयक—

Mines (Amendment) Bill—

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a Member to Joint Committee...	157
पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा कथित गोली चलाये जाने के बारे में	Re. Reported Police Firing on Tribals in West Bengal ...	157
तमिलनाडु में कृषि प्रयोजनों के लिये डीजल तेल आदि की कथित कमी के बारे में	Re. Reported shortage of Diesel Oil etc. for Agricultural Purposes in Tamil Nadu ...	158
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Railways (Amendment) Bill—Introduced ...	158
रेल बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1973-74—General Discussion ...	159
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	159
श्री रामकंवर	Shri Ram Kanwar	160
श्री टी० डी० कांवले	Shri T. D. Kamble	160
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	161
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal ...	162
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty ...	164
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai ...	165
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shive Kumar Shastri ...	165
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली	Shri Ramchandran Kadanapalli	166
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy ...	167
श्री शंकरराव सावन्त	Shri Shankrarao Savant ...	167
श्री डा० लक्ष्मी नारायण पांडे	Dr. Laxminarain Pandey ...	168
श्री कृष्ण चन्द पांडे	Shri Krishan Chand Pandey	169
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi ...	169
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ...	171
श्री एस० बी० गिरि	Shri S. B. Giri ...	172
श्री मनीराम गोदरा	Shri Mani Ram Godra ...	173
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikrishan Modi	173
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha	174
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy ...	175
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	176
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy ...	177
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	177

विषय	Subject	पृष्ठें/Pages
श्री हीरालाल डोडा	Shri Hiralal Doda ...	178
श्री भारतसिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	179
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango ...	179
श्री बशेश्वर नाथ भार्गव	Shri Basheshwar Nath Bhargava	179
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	180
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	180
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ...	181
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inderjeet Malhotra ...	181
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	182
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal ...	182
श्री महेन्द्र सिंह गिल	Shri Mohinder Singh Gill	182

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 8 मार्च, 1973/17 फाल्गुन, 1894 (शक)
Thursday, March 8, 1973/Phalguna 17, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तुर्की में भगवद्गीता, उपनिषदों और 'दि हिन्दू व्यू आफ लाइफ' नामक पुस्तकों
पर प्रतिबंध

+

*241. श्री रण बहादुर सिंह :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की सरकार ने भगवद्गीता, उपनिषदों और डा० राधाकृष्णन की पुस्तक 'दि हिन्दू व्यू आफ लाइफ' पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मार्क्सवाद, माओवाद तथा कुछ अन्य विषयों पर लिखी गई उन पुस्तकों के साथ, जिन्हें तुर्की के अधिकारियों ने राष्ट्र-विरोधी समझा है, इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का ठीक-ठीक कारण सरकार नहीं जानती है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि तुर्की की संसर-व्यवस्था इन्हें

क्रान्तिकारी साहित्य समझती है अथवा यह मात्र उनके निर्णय की एक भूल है। हमारे राजदूत इस विषय पर अंकारा में वहाँ के उच्चतम अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया है। तुर्की सरकार के इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों की जानकारी प्राप्त होने पर, सूचना सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री रण बहादुर सिंह : हो सकता है कि यह साम्राज्यवाद के बचे-खुचे अंशों के कारण हो परन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या सरकार द्वारा ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने का कारण इन पुस्तकों के महत्व पर से हमारी अपनी आस्था का न रहना नहीं है। राजनयिक सेवाओं के हमारे कर्मचारियों को भी यह ठीक-ठीक पता नहीं है कि डा० राधाकृष्णन की पुस्तक 'दि हिन्दू व्यू आफ लाइफ' जैसी पुस्तकें धार्मिक हैं या दार्शनिक हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूँ कि उक्त कर्मचारियों को इन पुस्तकों के महत्व और शिक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि हमें इन पुस्तकों के महत्व के प्रति कोई आस्था नहीं रही है। भारत में इनका बहुत सम्मान है और सभी विद्वान इन्हें पढ़ते हैं जिनमें न केवल भारत के अपितु संसार भर के विद्वान शामिल हैं। हमें उनके इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने से बहुत आश्चर्य हुआ है और हम इसके कारणों का पता लगा रहे हैं। मेरा विचार है कि सभी देशों के बुद्धिमान व्यक्तियों को इनसे बहुत लाभ मिलता है।

श्री रण बहादुर सिंह : अन्य देशों तक इन पुस्तकों का संदेश पहुँचाने के लिए विदेशियों में इनके लिए रुचि पैदा करने लिए विदेश विभाग द्वारा क्या विशेष उपाय किए जाते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : आपका यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री के० लक्ष्मी : देश के लोगों के किसी वर्ग विशेष का कुछ भी मत क्यों न हो, क्या उक्त पुस्तकों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो तुर्की सरकार के एक वर्ग के प्रगतिवादी विचारों के विरुद्ध हैं ? क्योंकि भगवद्गीता और उपनिषदों में कुछ बातें कुछ लोगों के लिए भ्रामक और उत्तेजक हैं।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरे विचार से माननीय सदस्य के विचार का इससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि जिन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें "डायलेक्टिक्स आफ मार्क्सज्म" चेयरमैन माऊ की पुस्तक आदि भी शामिल हैं। अतः इन पर प्रतिबंध का और कोई भी कारण क्यों न हो, प्रगतिवाद कदापि नहीं हो सकता।

श्री बी० बी० नायक : जबकि हमारे देश में 'माऊ के विचार' संबंधी पुस्तक, रूस में 'डा० शिवागो' और चीन में माऊ की पुस्तकों को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों पर प्रतिबंध है तो क्या हमें तुर्की सरकार के इस निर्णय पर आलोचना का कोई नैतिक अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या इस देश में 'माऊ के विचार' पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा क्योंकि हमारा तो स्वतन्त्र समाज है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं चाहता हूँ कि सदस्य महोदय तनिक और आत्मविश्वास और नैतिक बल उत्पन्न करें क्योंकि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो हमारे राष्ट्रीय हित में न हो।

मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हम किसी पुस्तक पर तब तक प्रतिबंध नहीं लगाते जब तक तक वह हमारे राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल न हो। वैसे हमारे यहाँ ज्ञान-प्रसार, पुस्तकों एवं विचारों के प्रकाशन आदि की बहुत स्वतन्त्रता है चाहे वे कितनी ही आलोचनात्मक क्यों न हों। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की हमारी नीति ही नहीं है। यह कहना गलत है कि हमारे यहाँ इतना कुछ होता है कि हम ऐसी दार्शनिक पुस्तकों पर तुर्की जैसे मित्र देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध तक नहीं कर सकते।

मैं यह और बताना चाहता हूँ कि जब यह मामला तुर्की के विदेश मंत्री के साथ उठाया गया तो स्वयं उन्हें भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने मामले की जाँच कराने का वचन दिया है।

Shri R. V. Bade : I want to know whether he has written to the Turkish Government that the Bhagwat Geeta is as sacred to Hindus as the Quran is to Muslims and therefore the burning of books like the Geeta and the Upanishads hurt the feelings of the Hindus ?

श्री स्वर्ण सिंह : हो सकता है हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग न किया हो, परन्तु मैं सभा को बताना चाहूँगा कि तुर्की सरकार ने अपने संविधान में धर्म-निर्पेक्षता में आस्था व्यक्त की है और यही उनका सिद्धान्त है। इसलिए हमें और भी आश्चर्य हुआ है कि ऐसे देश ने यह कदम उठाया है। शायद इसका आधार इन पुस्तकों के बारे में गलत धारणा हो।

श्री जी० वाई० कृष्णन : मंत्री महोदय के उत्तर से लगता है कि केवल राजदूत को ही यह मामला उठाने के लिए कहा गया है। क्या सरकार इन पुस्तकों पर प्रतिबंध के कारण जानने के लिए तुर्की सरकार से सीधे बात करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब भारतीय राजदूत ने तुर्की के विदेश मंत्री से बातचीत की तो इसका अर्थ भारत सरकार और तुर्की सरकार का सीधे बातचीत करना है।

श्री पी० डी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि वह तुर्की सरकार द्वारा इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारणों संबंधी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्या तुर्की में राष्ट्रीपति के चुनाव संबंधी वर्तमान संकट इन पुस्तकों पर प्रतिबंध का कारण नहीं है जो १३ मार्च को होने वाला है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।

श्री माधुर्य्य हालदार : क्या उन्हें ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में माऊ द्वारा लिखित किसी पुस्तक रखने वाले को नकसलवादी करार दे दिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में यह बात सच नहीं है।

दिल्ली में कोयले की कमी

+

*245. श्री शशि भूषण :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में कोयले के उपलब्ध न होने के कारण जनसाधारण को हो रही कठिनाइयों का पता है;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली में कोयले की सप्लाई में कब तक सुधार हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). दुर्भाग्यवश, हाल ही में प्राइवेट मध्यजनों के द्वारा अपने यथांश को लेने में असफलता और दिल्ली से अन्य राज्यों को अप्राधिकृत निर्यात के कारण दिल्ली के कुछ स्थानों में साफ्ट कोयले की कमी हुई है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा कोयले की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए प्रयत्नों में, खुदरा लाइसेन्स धारियों की संख्या में वृद्धि, अन्य राज्यों में साफ्ट कोक के अप्राधिकृत निर्यात को रोकना और एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को अवैधानिक बिक्री को कम करना और साफ्ट कोक की उपाप्ति पब्लिक सैक्टर संगठनों को सौंपा जाना है । रेलवे भी, पर्याप्त कोयला संचलन के लिए अतिरिक्त वैनो की उपलब्धता के लिए प्रयत्न कर रही है ।

स्थिति में एक मास के भीतर सुधार होने की संभावना है ।

Shri Shashi Bhushan : India is the largest producer of best quality coal, even then people do not get adequate supplies at reasonable rates. Recently, the prices of coal had shot up and acute scarcity was also there. Perhaps the price went up due to scarcity and large scale black marketing in coal-trade is going on in Delhi. In this connection, I want to know from the hon. Minister whether a scheme to set up Zonal Units is proposed with Railway officials, the executive councillor of Delhi dealing with Civil Supply Department and some concerned dealers as members. It may then be decided in their meeting about the number of coal wagons needed for Delhi and whether in view of wagon-shortage such a circuit has been formed as to ensure the availability of wagons according to the demand of coal thereof ? This will ensure adequate supply in big cities where the demand is more. Do the Government propose to form a Corporation to look after distribution so that people may get coal easily ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहाँ तक कोयले के दिल्ली में प्राप्ति और वितरण से संबंधित व्यक्तियों को शामिल करने का संबंध है; कल ही एक बैठक खान विभाग ने बुलाई थी जिसमें दिल्ली प्रशासन के खाद्य सप्लाई आयुक्त और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इसी बैठक के फलस्वरूप विवरण में

उल्लिखित कदम उठाए गए हैं और हमें विश्वास है कि इससे स्थिति में सुधार होगा। वितरण के लिए एक पृथक निगम बनाना आवश्यक नहीं समझा गया, परन्तु हम योजना बना रहे हैं—और देश भर की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 14 मार्च को होने वाली है ताकि कोयले के भंडार बड़े-बड़े शहरों में बनाए जा सकें अर्थात् कोयला उत्पादक क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर कोयला लाकर बड़े-बड़े नगरों में रख दिया जाये और फिर उन्हें सरकारी एजेंसियों या राज्य प्रशासनों को वितरण का प्रबंध करने के लिए दे दिया जाये।

Shri Shashi Bhushan : I want to know how things can go on smoothly as long as distribution is in the hands of black marketeers even if production is in the hands of the Government ? Unless Government takes over distribution as well as production, the concept of social economy shall never succeed. (*Interruption*)

What is his opinion about bringing down the coal prices and ensuring its availability to the people in the near future ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं सदस्य महोदय से इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ कि वितरण का भी सरकारीकरण होना चाहिये। हम उसकी योजनाएँ बना रहे हैं और जहाँ तक दिल्ली का संबंध है, मेरे विचार में हम इन योजनाओं को शीघ्र शामिल करेंगे।

Shri Sarjoo Pandey : Sir, the question of Shri Shashi Bhushan as to whether Government would do something to bring down the prices of coal, which have gone up consequent upon its nationalisation, has not been answered. I would add that unless the meeting of states is held to tackle this issue, half the population would starve to death. We have not received water supply today and we have come here with empty stomachs... (*Interruptions*). I, therefore, want to know the steps being taken by Government to ensure coal at cheap rates to the people.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : वितरण में कुछ कठिनाइयाँ रही हैं परन्तु मेरे विचार में सरकार सामान्य स्थिति लाने के प्रयत्न कर रही है और शीघ्र ही कोयला उचित मूल्य पर मिलने लगेगा।

Shri Achal Singh : I want to know when coal-shortage would be over. In U. P. and particularly in Agra the black-market rate is much higher than the controlled price.

Mr. Speaker : This is what he has been telling.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हमें एक मास में स्थिति में सुधार की आशा है।

श्री भागवत झा आजाद : एक ओर सरकार का कहना है कि अनाज के मामले में थोक व्यापार तथा वितरण अपने हाथ में लेने से ही इसके मूल्य कम होंगे और हम इसका समर्थन भी करते हैं परन्तु कोयले की कीमतें जो राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत बढ़ गई हैं उन्हें कम करने के लिए सरकार क्या करेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं पहले सदस्य महोदय के इस कथन का खण्डन करना चाहूँगा कि कोयले की कीमत बहुत बढ़ गई हैं। 97 प्रतिशत.....(अन्तर्बाधा) कोयला बड़े उपभोक्ताओं को दिया जाता है और राष्ट्रीयकरण के बाद उसके मूल्य में कतई कोई वृद्धि नहीं हुई है। 37 प्रतिशत के बारे में.....(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : यह सच नहीं है। किसी भी सदस्य से पूछ लें मूल्य बढ़े हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कृपया एक मिनट शान्ति से मेरी बात सुन लें.....

श्री भागवत झा आजाद : पूरी बात वह भले ही कहें परन्तु गलत बात उन्हें नहीं कहनी चाहिये। बिहार और पश्चिम बंगाल में मूल्य बढ़े हैं और इस बात की पुष्टि कोई भी सदस्य यहां कर सकता है। हमें उनसे ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। (व्यवधान)

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सदस्यों से मेरा निवेदन है कि मुझे पूरी बात कह लेने दें और बाद में प्रश्न पूछें।

मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह घरेलू उपभोक्ताओं और ईट भट्टों को सप्लाई होने वाले कोयले के बारे में है जो देश में कुल उत्पादन का 3.7 प्रतिशत है। माननीय सदस्यों का इस वृद्धि पर रोष प्रकट करना स्वाभाविक ही है क्योंकि जन साधारण पर जो ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करता है, काफी बोझ पड़ा है। मैं तो केवल उस गलत धारणा को सुधारना चाहता था कि कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है क्योंकि प्रमुख उद्योगों के लिए कोयले के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यही उद्योग कोयले के मुख्य उपभोक्ता हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि से जो कठिनाई हुई है उसे दूर करने के लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से बड़े-बड़े नगरों में कोयले का भण्डार बनाते जा रहे हैं। मैं सदस्य महोदय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वितरण हमें गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में नहीं रहने देना चाहिये, जो अनुचित लाभ कमाते हैं और कमाएँगे। सरकार सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से प्रभावकारी वितरण को अपने हाथ में लेने की दिशा में कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि घरेलू उपयोग के कोयले के मूल्य में उसी रात को वृद्धि हो गई जिसको भारत सरकार ने सम्पूर्ण कोयला उद्योग को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया था और यदि हाँ तो ऐसा किसने किया ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सौफ्ट कोक अथवा घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले कोयले के मूल्य में वृद्धि कोयला खान अधिकारियों अथवा भारत सरकार द्वारा किये गये किसी निर्णय के परिणामस्वरूप नहीं हुई। दलाल अथवा व्यापारियों द्वारा राष्ट्रीयकरण के तुरंत पश्चात् कठिनाइयाँ उत्पन्न करने के कारण वृद्धि हुई है।

Shrimati Sahodrabai Rai : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that large stock of charcoal has accumulated in Madhya Pradesh due to the non availability of wagons ? It is not being transported to Delhi and other places. Railway wagons should be provided on priority basis so that it could be carried to other places. There is a large stock of charcoal (Interruptions).

Mr. Speaker : The question is related to soft coal.

Shrimati Sahodrabai Rai : When there is shortage of coal, charcoal can be used.
(Interruptions)

Mr. Speaker : Please sit down. So many questions have been put on it.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am on my legs for a long time. I want to put a small question.

Mr. Speaker : We have covered only two questions in half an hour. There are questions of other members also.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is the fourth question, not second.

Mr. Speaker : I am referring to those which have been answered.

श्री डी० एन० तिवारी : मैं बहुत कम अनुपूरक प्रश्न पूछता हूँ । आप मुझे अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

Mr. Speaker : All the members want to put questions. If only two out of twenty questions are taken up how can we say it is justified ? We have spent half an hour on these two questions. I am taking the next question now.

श्री सुरेन्द्र मोहंती : आप हमारी ओर देखते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह देखने का प्रश्न नहीं, समय का प्रश्न है । (व्यवधान)

जापानी सहयोग से एक इस्पात कारखाने की स्थापना

+

***246. श्री मुस्तियार सिंह मलिक :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान के सहयोग से भारत में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा तथा इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कभी सक्रिय रूप से विचार किया था तथा इसकी जाँच की और वाद में इसे त्याग दिया; यदि हाँ, तो देश में इस्पात की कमी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस्पात सहित कई क्षेत्रों में सहयोग किये जाने के बारे में जापान सरकार और हमारे बीच विचार-विमर्श होता रहा है। अभी उनपर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

Shri Dhanshah Pradhan : May I know whether Government propose to set up any plant in any state of our vast country in collaboration with any foreign country ? I also want to know whether hon. Minister is negotiating with any foreign country on this matter ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जैसा कि मैंने बताया है, इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किये जाने के बारे में जापान तथा भारत सरकार ने कई बार विचार-विमर्श किया है। जहाँ तक किसी अन्य देश की सरकार के साथ बातचीत करने का संबंध है, रूस सरकार के अतिरिक्त जिसके साथ भिलाई और बोकारो संयंत्रों के विस्तार के बारे में बातचीत हो रही है, किसी के साथ इस समय बातचीत नहीं की जा रही है।

श्री राम सहाय पांडे : मध्य प्रदेश में उपलब्ध लौह अयस्क की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, क्या वे वहाँ दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में गम्भीरता से पुनर्विचार करेंगे क्योंकि वहाँ इतना लौह अयस्क उपलब्ध है कि 200 वर्षों तक दो संयंत्रों को लौह अयस्क मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे संगत है ? प्रश्न जापान के साथ सहयोग के बारे में है।

श्री राम सहाय पांडे : क्या मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध होने के कारण वहाँ जापान के सहयोग से दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : यह पूर्णतः संगत है। जापान के साथ बातचीत चल रही है तथा संयंत्र की स्थापना के बारे में अभी तक विचार-विमर्श नहीं किया गया।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या टाटा स्टील प्लांट की क्षमता में विस्तार का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ तो क्या टाटा बन्धुओं ने भारत सरकार से सलाह की है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जापान के सहयोग से संबंधित है।

श्री भोगेन्द्र झा : जापान के सहयोग से टाटा स्टील प्लांट की क्षमता का विस्तार...

अध्यक्ष महोदय : इसे संगत बनाने के लिए जापान को बीच में क्यों लाते हैं।

रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय द्वारा रोजगार की व्यवस्था

*248. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और वर्ष 1972 के अन्त में रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन वर्षों में राज्यवार, कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख). 1971 तथा 1972 के दौरान कुल अफसरों तथा अन्य रैंकों की संख्या जिन्होंने पंजीकरण कराया था क्रमशः 3,720 तथा 6,680 थे। इन वर्षों के दौरान 4,939 तथा 3,413 को महानिदेशालय पुनर्व्यवस्थापन के द्वारा रोजगार दिलाया गया है। राज्य-वार आंकड़े जिन्होंने पंजीकरण कराया है का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4423/73.] अफसरों के संबंध में जिन्हें महानिदेशालय पुनर्व्यवस्थापन के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है, के राज्यवार आंकड़े भी सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। अन्य रैंकों के रोजगार के आंकड़े राज्य-वार सुलभ उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समग्र देश में की जाती है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों से विदित होता है कि 1972 में रोजगार कार्यालयों में 6,680 व्यक्तियों के नाम दर्ज कराये जब कि केवल 3,413 व्यक्तियों को अर्थात् आधे व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। 1971 की तुलना में 1972 में कम व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : सरकारी कार्यालयों में तथा विभिन्न उद्योगों में रिक्तियों के आधार पर ही नियुक्तियाँ होती हैं। 1972 में इतने स्थान रिक्त नहीं थे जितने 1971 में थे।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पहले नाम दर्ज कराने वाले को पहले रोजगार दिलाया जाता है ?

श्री जे० बी० पटनायक : यह नियम अभी अपनाया जाता है जब जिस उद्योग में स्थान रिक्त है उसके लिए प्रार्थी ने आवेदन पत्र दिया हो।

श्री गिरिधर गोमांगो : जिन व्यक्तियों को पुनर्वास महानिदेशालय के द्वारा रोजगार दिलाया गया है उनकी सूची से यह विदित होता है कि 1971 में उड़ीसा के एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिलाया गया तथा 1972 में केवल एक व्यक्ति को रोजगार दिलाया गया। क्या उड़ीसा स्थित रोजगार कार्यालय उड़ीसा स्थित केन्द्रीय निदेशालय को उम्मीदवारों के नाम भेजते हैं, यदि हाँ, तो क्या इसका यह आशय है कि उड़ीसा में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है ?

श्री जे० बी० पटनायक : उड़ीसा का रोजगार निदेशक रोजगार कार्यालयों में नाम लिखाने वाले उम्मीदवारों के नाम सरकार तथा औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार के लिए भेजता है। उड़ीसा के रोजगार निदेशालय से संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री के० गोपाल : वर्ष 1971 में अदर रैंक्स के 3,028 व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये तथा 4,505 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। 692 अफसरों ने नाम दर्ज कराए तथा 434 को रोजगार दिया गया। वर्ष 1972 में 469 अफसरों ने नाम दर्ज कराये तथा 311 अफसरों को रोजगार दिया गया। किन्तु अदर रैंक्स के 6,211 व्यक्तियों ने 1972 में नाम दर्ज कराये और केवल 3,102 व्यक्तियों का रोजगार दिलाया गया। क्या इसका यह अर्थ है कि अफसरों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और अन्य सैनिकों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री जे० बी० पटनायक : रोजगार के बारे में अफसरों तथा 'अदर रैंक्स' में कोई भेद-भाव नहीं बरता गया। अधिकारियों के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

Shri Ram Kanwar : May I know from the hon. Minister whether the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided with employment in the Ministry of Defence and Directorate of Resettlement directly and it is not necessary that their names should be sent by the Employment Exchanges ?

श्री जे० बी० पटनायक : यह स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने रोजगार निदेशालय तथा केन्द्रों में पुनर्वास महानिदेशालय में नाम दर्ज कराए हैं तथा उन्हें ये अवसर दिया जाता है।

श्री डी० पी० जडेजा : जो विवरण दिया गया है वह कुछ भ्रामक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि गुजरात राज्य में वर्ष 1971 में केवल चार अफसरों के नाम दर्ज कराये गये जबकि चार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये चार व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति जिन्हें गुजरात राज्य में रोजगार दिया गया है, गुजरात राज्य के निवासी हैं अथवा वे किसी अन्य स्थान के हैं और उन्हें वहाँ रोजगार दिया गया है ?

श्री जे० बी० पटनायक : माननीय सदस्य ने जिन आँकड़ों का उल्लेख किया है वे पूर्व वर्ष से संबंधित हैं। यह बताने के लिए कि क्या वे गुजरात राज्य के निवासी हैं अथवा नहीं, मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among the persons provided with jobs during the last two years ? Is it a fact that discrimination was shown against the persons of Scheduled Tribes and they were not provided with employment saying that they were not suitable ?

श्री जे० बी० पटनायक : जहाँ तक हमें ज्ञात है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। किन्तु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे में सही आँकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : How many persons have been provided with employment ? Please reply to it.

Mr. Speaker : If he could do it nobody else can get a chance.

श्री जे० बी० पटनायक : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के ऐसे व्यक्तियों के बारे में मेरे पास सही आँकड़े इस समय नहीं हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराये तथा जिन्हें रोजगार दिया गया ।

इस्पात के लिये अर्जित भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देना

*250. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि रोजगार के मामले में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिनकी भूमि नई इस्पात मिलें स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अर्जित करली गई है;

(ख) क्या अनेक मामलों में नियुक्त किए गए सैकड़ों श्रमिक उतनी मेहनत नहीं कर सके हैं जितनी उनको करनी होती है जिसके परिणामस्वरूप उद्यम को भारी हानि होती है; और

(ग) क्या इस प्रकार विस्थापित हुए लोगों को कहीं अन्यत्र रोजगार देने की जाँच करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती की नीति सरकार द्वारा पहले से ही निर्धारित है । इस नीति के अनुसार अकुशल, तथा कुशल कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर तकनीकी कर्मचारियों, जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, की भर्ती प्रायोजना के निकटवर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होनी चाहिए । इस प्रकार भर्ती करते समय प्रायोजना के लिए अर्जित किए गए क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अर्थात् आदिवासियों) तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनको दूसरे सरकारी उपक्रमों से छूटनी की गई अथवा की जाने वाली हो भले ही वे कुछ दूरी के स्थानों के रहने वाले हों, को प्राथमिकता देने को हर कोशिश की जाती है बशर्ते कि वे मूल अर्हताएँ और अनुभव रखते हों ।

अन्तिम चयन करते समय नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को शारीरिक स्वस्थता निश्चित हो एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है और इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ हों नौकरी में लेने और परिणामस्वरूप उपक्रमों को हानि होने का प्रश्न सामान्यतः उत्पन्न नहीं होना चाहिए ।

(ग) इस समय सरकार का इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं माननीय मंत्री का ध्यान उनके द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र में स्थित कुछ कारखानों में विशेषकर इस्पात उद्योगों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार उन लोगों को कारखानों में नियुक्त करने पर मजबूर है जिनकी भूमि का इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए अधिग्रहण किया गया है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं समझता हूँ कि किसी भी इस्पात कारखाने में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति इसलिए नहीं की गई है क्योंकि सरकार को विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिए मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा हो ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या माननीय मंत्री को यह याद दिलाना उचित होगा कि उन्होंने ऐसा इस्पात और खान मंत्रालय की मंत्रणा समिति में कहा था । उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा वक्तव्य दिया था । उनके उस वक्तव्य का रिकार्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकांश इस्पात कारखानों को आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ी क्योंकि उन क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार देना पड़ा जिनकी भूमि इस्पात कारखानों के लिए ले ली गई थी । ऐसा न करने पर वे बहुत शोर मचाते ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार से मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया और यदि मैंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था, तो मैं गलती पर था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रणा समिति संबंधी मामले का यहाँ उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए । माननीय सदस्य मंत्रणा समिति का उल्लेख किए बिना प्रश्न पूछ सकते हैं । मंत्री महोदय उन समितियों में कभी-कभी बहुत अनौपचारिक रूप से बात करते हैं । उक्त बैठकें गोपनीय भी होती हैं । यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय को अनौपचारिक समितियों में कही गई बातों के लिए दोषी ठहराना चाहेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : वह एक अनौपचारिक बैठक नहीं होती । वह एक औपचारिक बैठक होती है । इस्पात कारखानों में हानि होने का एक कारण यह बताया गया है कि उनमें कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : स्पष्टतया मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था । मैं कह चुका हूँ कि यदि मैंने ऐसा कहा था तो मुझे उस वक्तव्य में शुद्धि करनी होगी ।

श्री नवल किशोर सिंह : विवरण में शब्दों का उपयुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया है । विवरण के पैरा दो में उल्लेख किया गया है कि “सामान्यतया उद्योगों को हानि नहीं होनी चाहिए ।” शब्दों का यह प्रयोग उपयुक्त नहीं है । अतः श्री प्रबोध चन्द्र द्वारा इस प्रश्न को उठाना उचित ही था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि श्री प्रबोध चन्द्र द्वारा उक्त प्रश्न उठाना उचित था लेकिन मंत्री महोदय का कहना भी उचित है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार की जानकारी में यह बात थी कि कुछ ऐसे व्यक्तियों ने, जो ऐसे क्षेत्र से बाहर रहे थे, जिसे सरकार ने इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए प्राप्त किया रोजगार कार्यालय में अपने नाम मिल क्षेत्र में इसलिए लिखाये थे जिससे उनको मिल में रोजगार प्राप्त हो सके अथवा मिल में उनकी नियुक्ति हो सके ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ लोगों ने जो इस्पात कारखाने के क्षेत्र में नहीं रहते थे बल्कि देश के अन्य भागों में रहते थे अपने नाम इस्पात कारखाने के निकट रोजगार कार्यालय में इसलिए दर्ज करा दिए थे जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, रोजगार कार्यालय राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं और रजिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करने का वास्तविक दायित्व रोजगार कार्यालयों पर है। जहाँ तक इस्पात संयंत्रों का संबंध है, उन सब नौकरियों के मामले में जिनमें वेतन मान 500 रुपये प्रतिमास से कम होता है, हम इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि इस्पात संयंत्र से लगे क्षेत्र के लोगों को ही नौकरी दी जाये। लेकिन कभी-कभी इस संबंध में कुछ कदाचार भी हो जाता है और हम प्रयत्न करते हैं कि ऐसा कम से कम हो।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : विवरण से इस तथ्य का पता लगता है कि विस्थापित आदिवासियों को गैर-तकनीकी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच नहीं है कि विस्थापित आदिवासियों के साथ रूरकेला संयंत्र में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और यदि वह इस तथ्य से इंकार करते हैं तो क्या वह यह बतायेंगे कि रूरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील संयंत्र की उपस्थिति सूची में कितने आदिवासियों के नाम हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं इस बात से इंकार करता हूँ कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में आदिवासियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जहाँ तक उक्त संयंत्र में नौकरी करने वाले आदिवासियों की संख्या का संबंध है, मेरे पास इस बारे में आँकड़े नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : आँकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में वह इस बात से कैसे इंकार कर सकते हैं ? माननीय मंत्री द्वारा ऐसे इंकार करना उचित नहीं।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। चाहे रूरकेला हो अथवा रांची, सब जगहों पर जब भी गरीब लोगों, विशेषकर आदिवासियों की भूमि इस्पात संयंत्र के लिये प्राप्त की जाती है, तो अधिकांश मामलों में आदिवासियों को वैकल्पिक रोजगार देने पर उचित विचार नहीं किया जाता। रूरकेला अथवा रांची में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ होती रहती हैं। मैंने उन स्थानों का संसदीय समिति के साथ स्वयं दौरा किया था। माननीय मंत्री के उत्तर में यह कहा गया है कि : “भर्ती करते समय इस बात के पूरे प्रयास किये जायेंगे कि परियोजना के लिये भूमि प्राप्त करने के परिणामस्वरूप हुए विस्थापितों, विशेषकर अनुसूचित और जनजाति के लोगों (अर्थात् आदिवासियों) को प्राथमिकता दी जायेगी।” जब सरकार ने आदिवासियों अथवा अनुसूचित जातियों के लोगों से भूमि प्राप्त की है तो क्या सरकार इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि वह उन लोगों को नौकरी दे जिनकी भूमि अर्जित की गई है ?

दूसरे, जहाँ तक योग्यता और अनुभव का प्रश्न है, उनको निम्न पदों पर रोजगार देने के बाद, सेवा में रहते हुए भी, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी ?

तीसरे, ऐसे लोगों को, जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई है, रोजगार कार्यालयों के माध्यम की बजाये सीधे रोजगार देने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : ऐसे विस्थापित व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों के व्यक्तियों को, जो भूमि अर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गये हैं, स्थित परियोजनाओं में नौकरी देने के बारे में सरकारी क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के मैनेजर्स को निदेश दे दिये गये हैं। वे निदेश स्पष्ट हैं और मेरे विचार से कोई मैनेजर इस संबंध में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने से नहीं बच सकता। मैंने जो शब्द 'प्रयास' का प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय यह समझना चाहिये कि किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये प्रयास की आवश्यकता है। 'प्रयास' शब्द को और अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

जहाँ तक सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने का संबंध है, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने मेरा और सदन का ध्यान दिलाया है, हम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में सेवा के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें सुधार करने की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और हमें आशा है कि इसके परिणामस्वरूप हम वह करने में सफल होंगे जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

जहाँ तक विस्थापित लोगों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार कार्यालय के माध्यम की बजाय सीधे नौकरी दिलाने का प्रश्न है, उनकी रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति नहीं की जाती। हम उन सब परिवारों की सूची रखते हैं और उनको रोजगार देने का प्रयास करते हैं। हम इस संबंध में भरसक प्रयत्न करते हैं।

पाँचवीं योजना में लौह अयस्क का निर्यात और इस्पात का आयात समाप्त करने के लिए समय सीमा

*253. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या इस्पात और खान मंत्री 30 नवम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाँचवीं योजना की अवधि में लौह अयस्क का निर्यात और इस्पात का आयात समाप्त करने तथा क्रमिक रूप से अयस्क के स्थान पर तैयार माल का निर्यात करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : लौह खनिज के निर्यात और / अथवा इस्पात के आयात को बन्द करने के बारे में कोई समय सूची नहीं बनाई गई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है इस्पात की अधिक देशीय उपलब्धि से अन्ततः कच्चे माल के निर्यात की बजाय तैयार उत्पादों का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और इस प्रकार पूर्वोक्त का उत्तरोक्त से संबंधित अनुपात कम हो जाएगा।

निर्यात नीति बनाते समय उन मदों के निर्यात पर अधिक बल दिया जाता है जिनका "वैल्यू एडिफ" मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। जहाँ तक इस्पात के आयात का संबंध है, ऐसी आशा है कि बोकारो इस्पात कारखाने के चालू हो जाने तथा वर्तमान इस्पात कारखानों के 90%

क्षमता पर उत्पादन करने लगने से इस्पात के उत्पादन में दो या तीन वर्षों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : जैसा कि आप जानते हैं, लौह अयस्क की कुछ बहुत अच्छी किस्मों का निर्यात अब तक जापान और अन्य देशों को किया जा रहा है और जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी उल्लेख किया, उक्त निर्यात को समाप्त करके देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर बने-बनाये माल का निर्यात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि लौह अयस्क, बने बनाये माल और कच्चे माल के निर्यात से देश को प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा में होने वाली हानि के आँकड़े क्या हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है। देश में लौह अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध है और हमें इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है। इसका निर्यात करना हमारे राष्ट्रीय हित में है। इसके साथ-साथ हमें देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये भी प्रयास करते रहना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह सच है कि देश में कुछ निर्यात करने वाले बड़े पत्तन हैं और गोआ उनमें से एक है ? ऐसे कुछ पत्तन दक्षिण में भी हैं। मैसूर और गोआ से भी हम निर्यात कर रहे हैं। क्या गोआ में एक और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे हम अपने लौह-अयस्क को सुरक्षित रख सकें और बने बनाये माल का निर्यात कर सकें और इन वस्तुओं के आयात को बन्द कर सकें ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहाँ तक इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रश्न है, नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है। जहाँ तक उस क्षेत्र में लौह-अयस्क पाये जाने का संबंध है, उसमें इतना अधिक लौह-अयस्क उपलब्ध नहीं है जितना होस्पेट तथा अन्य क्षेत्रों में।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has not answered my friend's question as to how much foreign exchange is earned by exporting one ton of iron-ore and how much foreign exchange will be earned in case one ton of iron is converted into steel ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस्पात का उत्पादन इतना अधिक नहीं है कि वह देश की वर्तमान आवश्यकता को पूरा कर सके। अतः इस समय इस्पात का निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। तुलनात्मक हानि अथवा लाभ के आँकड़े क्या हैं ? क्या हम आयात बन्द कर रहे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

इस्पात संयंत्रों में हानि को रोकने और उत्पादन बढ़ाने के उपाय

***254. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों के निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर काम करने के कारण उनमें जितनी हानि हुई है, वह उनमें लगी कुल पूँजी का पाँचवां भाग है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन विभिन्न शीर्षकों का विश्लेषण किया है जिनके अन्तर्गत अत्यधिक हानि हुई है और हो रही है ;

(ग) सरकार द्वारा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

यद्यपि 1971-72 तक भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में हुई कुल हानि उनमें लगी कुल पूंजी का लगभग पाँचवा भाग है तथापि यह कहना सच नहीं है कि यह हानि निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर काम करने के कारण हुई है हालाँकि यह सबसे बड़ा कारण है । लाभदायकता लागत उत्पादन की मात्रा तथा मूल्यों पर निर्भर है । अतः हानि के अन्य भी कई कारण होते हैं जिनमें पूंजीगत खर्चों में वृद्धि, लागत में वृद्धि तथा मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना सम्मिलित है ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा उत्पादन की गति को तेज करने के लिए अनेक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं । इनमें कोक भट्टियों को विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने हेतु वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग; रख-रखाव में सुधार, जिससे उपस्करों की उपलब्धि बेहतर हो सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करना तथा योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जों, उष्म-सह और दूसरी आवश्यक सामग्री की प्राप्ति आदि शामिल है ।

हाल में दुर्गापुर में एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों और शिकायतों को तेजी से निपटाना तथा अधिकाधिक उत्पादन करने में कामगारों का सहयोग प्राप्त करना है । उत्पादन में क्रमिक वृद्धि लाने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना लागू की गई है ।

इस दशा में स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया की स्थापना से काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्शदातृ सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लौह खनिज और मैंगनीज जैसे कच्चे माल के प्रमुख सम्भारक हैं, प्रबंधात्मक एकीकरण तथा समन्वय होगा । सरकार भी डास्क फोर्स को सावधिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सख्त नजर रखती है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : सभा पटल पर रखे गये विवरण में केवल यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० को हुई हानि कुल सरकारी पूंजी का लगभग पाँचवा भाग है लेकिन मैं वह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान स्टील लि० को अपनी अशंगत पूंजी का एक तिहाई घाटा हुआ

है। इस पृष्ठ-भूमि में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कच्चे माल की कमी, अकुशलता, प्रशासनिक हानियाँ तथा श्रमिक दंगों से संयंत्रों में क्षमता से कम कार्य होने के अतिरिक्त हुए घाटों की प्रतिशतता का अनुमान लगाया है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार में इसका बिल्कुल सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है। 594.37 करोड़ रुपये के साम्य-पूँजी-निवेश के मुकाबले में संचित हानि 179.74 करोड़ रुपये की है। दीर्घाविधि ऋण की राशि 416.70 करोड़ रुपये है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : रेल मंत्री ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 1971-72 में 271 करोड़ रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में प्राप्त हुए और इस शुल्क की अधिकांश राशि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से प्राप्त हुई। क्या वह इस बात की जाँच करायेंगे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने कितना विलम्ब शुल्क दिया और इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी ठहराए गए ? लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक राशि ऐसे विलम्ब शुल्क के रूप में जाया की गई है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : अभी मेरे पास आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य इसके लिए पृथक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दे दूँगा।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करना

+

अ० सू० प्र० संख्या 4. श्री हुक्म चन्द कछवाय :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल के अध्यापकों के वेतनमानों के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को प्रत्येक राज्य ने लागू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख).

(i) विवरण I सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें स्कूल अध्यापकों के वेतन-मानों के बारे में शिक्षा आयोग, 1964-66 (कोठारी आयोग) की सिफारिशें दी गई हैं।

(ii) विवरण II से IV तक सभा पटल पर रख दिए गए हैं, जिनमें, राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बताया गया है कि विभिन्न राज्यों द्वारा किस सीमा तक उपर्युक्त

सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4424/73.]

Shri Hukam Chand Kachwai : The statement laid by the hon. Minister is quite lengthy and it is very difficult to go through it in such a short time.

Mr. Speaker : This is the beauty of it.

Shri Hukam Chand Kachwai : The states have not fully implemented the Kothari Commission report. There is unrest among the teachers. Government has not acted upon the report as a result of which the teachers have gone on strike and have courted arrests in large numbers. Last time, he had hinted at Chandigarh that the teachers should negotiate the matter with the State Government. But in the absence of satisfactory response from the Government, the entire responsibility falls on the Central Government. Whom should the teachers approach? I want to know what action the Government propose to take to enforce the recommendations of Kothari Commission particularly when most of the states have not acted upon it? The Commission has recommended that the pay scales should be uniform in all the States and the teachers' salaries should be equal to those of the Government employees. I want to know the opinion of the Government in the matter.

प्रो० ए० नूरुल हसन : शिक्षा राज्य सरकार का विषय है। सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और उन पर अपने साधनों के अनुकूल निर्णय लेना उनका काम है। यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं राज्य सरकारों को निर्देश दूँ कि वे कौन-सा वेतन ढाँचा अपने राज्यों में अपनाएँ। यह विषय राज्य सूची का है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister purposely wants to evade my question. I wanted to know if the State Governments are not acting upon the recommendations of Kothari Commission, what action is the Central Government going to take, so that teachers should also get the same pay scales as are being given to Government employees?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हम कोठारी आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज चुके हैं। हम 1968 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प भी पास कर चुके हैं जिसमें अध्यापकों संबंधी एक विशेष पैरा भी है परन्तु इसकी भाषा अस्पष्ट रखी गई है। मैं सभा का ध्यान निम्न पैरा की ओर दिलाता हूँ :

“शिक्षा की किस्म निश्चित करने वाले सभी पहलुओं में से अध्यापक निःसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी प्रयास अध्यापक के वैयक्तिक गुणों, उसके आचरण, शैक्षिक योग्यता और व्यवसायिक गुणों पर आधारित हैं। अतः उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए। उनका वेतन आदि उचित और संतोषजनक होना चाहिए जो उनकी योग्यता और जिम्मेदारियों के अनुकूल हो।”

केन्द्र सरकार की नीति इसी संकल्प में परिभाषित है जिसका अनुमोदन यह सभा कर चुकी है। हम इसे सभी राज्य सरकारों को भेज चुके हैं और राज्य सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विषय पर ही निर्देश देना हमारे लिए संभव नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has...

Mr. Speaker : You may kindly take your seat.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Ministry gives grant to all states for education and the report is not a mere scrap of paper and it should be accepted by all the states. Therefore, would you provide to restrict such grants to those states who accept these recommendations. Are you prepared to consider it ? These recommendations date back to 1966 and now it is 1973. Would you reconsider them now ?

Mr. Speaker : You have not specified the recommendations. May I know whether you have anything to add to what you have already said ?

Shri Hukam Chand Kachwai : I am ready to explain all that if you allow me to do so.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं राज्यों और केन्द्र में वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ परन्तु मेरे विचार में केन्द्रीय राजस्व से कुल राष्ट्रीय संसाधनों के वित्तीय नियतन वित्त आयोग द्वारा किए जाते हैं और विकास व्यय का निर्धारण योजना आयोग करता है। केन्द्रीय मंत्रालय स्वयं कोई धन राज्य सरकारों को इस योजना विशेष के लिए नहीं देता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Kindly get me a reply of my question.

Mr. Speaker : I do not allow such shouting to go on.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हरियाणा के 5000 से अधिक शिक्षक अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश कर चुके हैं, 2000 को मुअत्तल किया जा चुका है और 1000 को सेवा से निकाल दिया गया है। महिला शिक्षकों को भी नहीं बख्शा गया। यह सब बातें कोठारी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में ही हैं। मंत्री महोदय ने तीन वक्तव्य दिए हैं, एक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बारे में, दूसरा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के बारे में और तीसरा प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों के बारे में। जहाँ तक वेतन में अन्तर का प्रश्न है, एक ओर हरियाणा पंजाब की तुलना करता है और देश का सबसे समृद्ध राज्य है परन्तु अपने शिक्षकों के वेतन के मामले में कोठारी आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन किया जा रहा है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 57 पर स्पष्ट कहा है कि :

“जहाँ हम समझते हैं कि वेतनों को जीवन-निर्वाह मूल्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए, वहाँ हमारे विचार से यह समानता के सिद्धांत द्वारा अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है।”

यह समानता बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में ?

दूसरे, उन्होंने मंहगाई भत्ते की माँग की है। इस बारे में भी पृथक सिफारिश है कि सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति यह भत्ता मिलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

तीसरी बात शिक्षकों को 20 मील दूर तैनात करने की है। आयोग ने पृष्ठ 62 पर कहा है कि :

“आमतौर पर शिक्षक को गाँवों में मकान की कठिनाई के कारण दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है। इससे उसकी कुशलता घटती है और वह माता-पिता के साथ उचित सम्पर्क नहीं रख पाता और न ही वह प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम पूरा कर सकता है।”

इस संबंध में क्या हो रहा है ?

उनकी एक माँग मकान किराया भत्ता भी है। कोठारी आयोग ने यह भी कहा है कि जहाँ उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती, वहाँ मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

जहाँ तक समान दरों पर चिकित्सा भत्ता देने का संबंध है, इसके बारे में भी आयोग ने अलग से सिफारिश की है। क्या इसे भी क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्री शंकर दयाल सिंह : यह आधे घण्टे की चर्चा तो नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूरी तरह से कोठारी आयोग की सिफारिशों के बारे में ही बोल रहा हूँ। तुम अध्यापकों का विरोध करना चाहते हो। यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है।

नागरिक अधिकारों, ट्रेड यूनियन अधिकारों आदि को देने के बारे में भी सिफारिश है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है—आपको भी इसमें रुचि होगी—

अनुशासन, आचरण संहिता और नियम सरकारी सेवा के अध्यापकों, स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों सबके लिए एक समान हैं। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक अलग आचरण संहिता होनी चाहिए। इसके अलावा वर्तमान आचरण और अनुशासन नियम मुख्यतः एक विदेशी शासन के अन्तर्गत बनाए गए थे, जिसके अधीन अध्यापकों के राजनैतिक विचारों पर नियन्त्रण सरकारी नीति का एक प्रमुख अंग था। इस पर मैं मंत्री महोदय के विचार जानना चाहता हूँ। वेतन की यह विषमता और 20 मील दूर उनकी तैनाती कोठारी आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध है। मैं इस पर केन्द्रीय सरकार के विचार जानना चाहता हूँ। ये ऐसा कह कर छुटकारा नहीं पा सकते कि शिक्षा राज्य का विषय है। जो प्रश्न मैंने अभी उठाया उस पर उनके क्या विचार हैं ?

प्राईमरी अध्यापक का कुल वेतन हरियाणा में 427 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 446 रुपये और पंजाब में 496 रुपये है। हमें इस बात का गर्व है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के लिए हरियाणा में 575 रुपये.....

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। यह कोई चर्चा नहीं है। अपना प्रश्न पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं समानता की बात कर रहा हूँ, मैं अपने चार पाँच प्रश्नों के बारे में मंत्री महोदय से स्पष्ट टिप्पणियाँ चाहता हूँ। मैंने कोठारी आयोग का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने एक विशेष सिफारिश की थी जिसका हरियाणा सरकार उलंघन कर रही है। इस दृष्टिकोण के बारे में जिसके लिये मुख्य मंत्री प्रसिद्ध हैं, मंत्री महोदय क्या विचार कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में शिक्षा की प्रगति न होने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है। 10 हजार अध्यापक हड़ताल पर हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : दो प्रकार के विषय उठाये गये हैं। एक वेतनमानों के बारे में.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : समानता।

अध्यक्ष महोदय : आप बाधा क्यों डाल रहे हैं? इन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया है। यदि आप नहीं सुनना चाहते तो यह बात भिन्न है। आपको सहनशील होना चाहिये।

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य ने दो प्रकार के विषय उठाये हैं। पहला अध्यापकों के वेतनमानों से संबंधित है, जिसके बारे में यह अल्प सूचना प्रश्न है। दूसरा उस प्रश्न से संबंधित नहीं है जिसके बारे में मुझे सूचना दी गयी है। अतः मैं अन्य बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, अन्य बातों के बारे में मैं आपका परामर्श चाहूँगा। संविधान के बारे में मेरी जानकारी यह है कि हम राज्यों को एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश भेज सकते हैं। साधारणतः हमने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कार्यान्विति और इन्हें मानने का अधिकार राज्य सरकार को है। हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यदि मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्रदान की जाये कि हम राज्य सरकार को इसके लिये बाध्य कर सकते हैं तो मैं आभारी हूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सिफारिशों का प्रकाशित करना ही आपका कर्तव्य था, इन्हें कार्यान्वित करना नहीं है? क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि रिपोर्ट को प्रकाशित करना ही आपका कर्तव्य था इसे कार्यान्वित करना नहीं? समानता के बारे में एक निश्चित सिफारिश है। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पड़ौसी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बीच यह असमानता क्यों होनी चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन श्री बसु आप कृपया बैठ जायें (व्यवधान)। मैं सबसे बैठने का अनुरोध करता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समानता बनाये रखना कोठारी आयोग की एक विशिष्ट सिफारिश है। मैंने कोठारी आयोग रिपोर्ट का जिक्र किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister is not replying. What is the Government doing to maintain the parity? Eight years have passed.

Mr. Speaker : Interruptions will not serve the purpose.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कोठारी आयोग रिपोर्ट का जिक्र किया है। ये हमें इस बारे में अपने विचार बतायें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई अपत्ति नहीं है मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कह दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक राज्य में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है । 10 हजार अध्यापक हड़ताल पर हैं । (व्यवधान) मैं इस मामले में आपका संरक्षण और मार्गदर्शन चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : हर प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिस पर हम आपका परामर्श चाहते हैं । क्या केन्द्रीय सरकार का मंत्री ही रिपोर्ट को भेज सकता है ? क्या यह सच नहीं है कि संविधान के अधीन गुण संबंधी नियंत्रण और तालमेल का विषय केन्द्रीय सरकार का है ? क्या केन्द्रीय सरकार के लिये इतना ही काफी है कि वह किसी आयोग अथवा संसदीय समिति का गठन करे ? राष्ट्रीय विकास परिषद् में सभी मुख्य मंत्री नीति का निर्धारण करते हैं और राज्य सरकार को उन वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिये कहते हैं जो उनकी वित्तीय क्षमता से बाहर हों ? यदि ऐसा है तो क्या किया जाना चाहिये ? हम इसका उत्तर चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को कह दिया गया है कि संवैधानिक स्थिति क्या है ? मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता । मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि संवैधानिक स्थिति क्या है । मेरे विचार में आयोग की सिफारिशें जब राज्यों को भेजी जाती हैं तो कम से कम केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यह पता कर सकती है कि ये सिफारिशें किस सीमा तक कार्यान्वित हुई हैं । यह संविधान अथवा किसी और बात का प्रश्न नहीं है । केन्द्र यह पता कर सकता है कि राज्य सरकारों ने ये सिफारिशें किस सीमा तक कार्यान्वित की हैं.....(व्यवधान) ।

Mr. Speaker : Noise will not serve the purpose. It will not do.

Shai Satpal Kapur : Is the Central Government contemplating to stop the aid to the State Government in case it does not accept the recommendations ?

No financial implications are involved in the transfer policy. Are you considering to issue a directive in case a State Government do not implement that policy.

Which states should accept the recommendations of the Kothari Commission on the basis of priority ? Punjab, having highest per capita income, has been quoted. Haryana is at No. 2. Are you going to issue a directive to Haryana State Government in case it is not implementing the recommendations of the Kothari Commission ?

Mr. Speaker : You have repeated the question.

Shri Satpal Kapur : That is the only trouble. We want remedy for it.

Prof. S. Nurul Hasan : I could not be present in the house, had I not taken oath or allegiance to the Constitution. We give our opinion and also enquire from them as pointed out by you. The same details have been laid on the table of the house. It is not that we did

not enquire into it. We made necessary enquiries as to what they have done. How could the lengthy statement be laid on the table of the house, had we not made necessary enquiries ?

I want to know from the hon. members whether Centre can issue a directive on a subject falling under state list ? I want to understand it first and say something thereafter.

श्री अमृत नहाटा : शिक्षा मंत्री द्वारा व्यक्त असमर्थता समूचे देश के शैक्षणिक स्तरों में समानता लाने तथा समूचे देश के अध्यापकों के रहन-सहन तथा कार्य की स्थितियों आदि आदि को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय संसद के सामने एक ऐसा प्रस्ताव लायेंगे कि शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची के अन्तर्गत रखा जाये ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : केन्द्र तथा हरियाणा में एक ही दल के शासन के बावजूद भी कोठारी आयोग को कार्यान्वित करने संबंधी केन्द्रीय सरकार के निर्णय को हरियाणा सरकार क्यों नहीं कार्यान्वित करती ? सरकार अपनी असमर्थता ही प्रकट करती है । यह बहुत बड़ा विरोधाभास है; मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूँगा ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य के मेरे दल के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । यह प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए । मैं तो संविधान के अन्तर्गत मिले अधिकारों का ही प्रयोग कर सकता हूँ ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Kothari Commission was appointed by the Central Government, and as the hon. Minister said that according to its recommendation a National policy for education was formulated which was approved by this Parliament. I want to know why this National policy is not being implemented in the states. If there are some financial complications in the way of states, will the Central Government provide necessary financial assistance to the states so that the recommendations of the Kothari Commission may be implemented in the states ? Government can not give any directives but financial assistance can be given.

Prof. S. Nurul Hasan : So far as the question of financial implications is concerned, I have already stated that according to the decision of the Finance Commission as well as Planning Commission, money is given to the states from Central Revenues. So far as the question of extra assistance is concerned I have given sanction for the various states to appoint some 60 thousand more primary teachers and we expect to be able to extend more assistance in the next financial year for appointing 30 thousand more teachers.

Prof. Narain Chand Parasher : In 1971 when a dispute arose between Punjab University, Chandigarh and Guru Nanak University, Amritsar on the matter of jurisdiction, the then Education Minister Shri Sidharth Shankar Ray said that it was not the subject for Central intervention. The students then took up the matter in the Punjab High Court and the judge in his judgement stated that this was a subject fit for Central intervention. In how many cases the affected persons would go to the courts and take this directive. Why are we not in a position to avoid this situation ?

When according to the recommendations we formulate a policy to take funds from those surplus states which finance other projects also, why should the recommendations of Kothari Commission not be implemented in the case of the teachers ?

Shri S. Nurul Hasan : Mr. Speaker, Sir, two points have been raised. First point was regarding disputes of Universities in the matter of jurisdiction. Regarding the point raised by Shri Bhagwat Jha Azad, I may mention here that according to the entry 66 of the constitution coordination and determination of standards in the institutions for higher education, has no relevance to it. Secondly, so far as the recommendations of Kothari Commission are concerned, some improvement has been made in the pay scales of primary teachers. Therefore, it is not correct to say that Central Government has wasted its funds on Kothari Commission.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हरियाणा राज्य के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने में कुल कितनी राशि खर्च होगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के पास बिल्कुल भी धन नहीं है ? ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वतः ही उठता है कि क्या यह मामला वित्त आयोग के पास भेजा गया है, जो इस समय देश की आर्थिक स्थिति पर विचार कर रहा है और राज्यों के पास भेजने के लिए संसाधनों का पता लगा रहा है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : वित्त आयोग के पास भेजे गए मामलों के बारे में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि यह प्रश्न वित्त मंत्री महोदय से किया जाए । वह ही इस बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं । मैं तो कम से कम यह नहीं जानता कि कौन से मामले वित्त आयोग के पास भेजे गये हैं । कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने में जहाँ तक वित्तीय पहलुओं का संबंध है, मैंने देश के सब राज्यों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं सारे देश के लिए नहीं, अपितु हरियाणा राज्य के लिए ही पूछ रहा हूँ । यदि मंत्री महोदय उक्त सूचना के साथ तैयार होकर नहीं आए हैं तो इससे सदन का अपमान होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : शिक्षकों की कठिनाइयों और उनके वेतनमानों के महत्व पर प्रकाश डालने वाला नीति-संबंधी वक्तव्य राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों से तीन बार परामर्श करने के पश्चात्, और इस सदन की समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किये जाने के पश्चात् यहाँ रखा गया था । क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पंजाब और हरियाणा सरकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक राज्य सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकती हैं ? इस मामले में क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को और दृढ़ करने का है और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त कोष से सारा धन देने का है किन्तु इसे इन सिफारिशों को लागू करने के लिए ही व्यय किया जाना चाहिए ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । किन्तु यह तो राज्य सरकारों को ही चाहिए कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़े तो वे केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुरोध करें । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार अपनी अर्थोपायों की स्थिति के अनुरूप ऐसे किसी अनुरोध पर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और विभिन्न पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रख कर ही उचित निर्णय किया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हरियाणा के शिक्षकों की हड़ताल से जो कठिनाई उत्पन्न हुई है वह कोठारी आयोग की सिफारिशों को या तो लागू न करने से हुई है या उन्हें आंशिक रूप से लागू करने से हुई है। आज समाचार-पत्रों में आया है कि अब हरियाणा के शिक्षक कल ही प्रधान मंत्री से मिले थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री ने कोई ऐसा आश्वासन दिया है अथवा इस मामले की जाँच करने का वचन दिया है। इसके आधार पर क्या यह मामला हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ उठाया जायेगा; इसका सदा के लिए निपटारा किया जायेगा ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस प्रश्न का उत्तर तो प्रधान मंत्री ही दे सकती हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सारी कठिनाई कोठारी आयोग की विभिन्न सिफारिशों को या तो लागू न करने और या उन्हें आंशिक रूप लागू करने से उत्पन्न हुई हैं। वे कल ही प्रधान मंत्री से मिले थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री ने उन्हें कोई वचन दिया है और यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय प्रधान मंत्री से यह अनुदेश प्राप्त करेंगे और हरियाणा के मुख्य मंत्री से कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कहेंगे। क्या वह प्रधान मंत्री से मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका आपके पास स्पष्ट उत्तर है ?

प्रो० नूरुल हसन : जी नहीं, श्रीमन्, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

Shri B. P. Maurya : Sir, there should be free and compulsory education for all in the country. There should be only one language of the country so that an homogeneous society may be formed. In view of these will the hon. Minister again obtain legal opinion from the Supreme Court as to whether the Central Government have recommendatory powers in the matter of education and if not, whether Centre can interfere. In case Central Government cannot interfere in the matter of education, may I know whether Centre can issue directions to the States in this direction when there is a high power Commission and State Governments refuse to implement its recommendations ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यदि कोई सुन्देह की बात होती तो मैं अवश्य ही इस मामले में कानूनी सलाह प्राप्त करता। “शिक्षा” का विषय तो समग्र रूप से राज्य की सूची से है और मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सत्ता का आदर करना चाहिए। देश में राष्ट्रीय नीति स्वीकार करने का केवल यही आशय है कि राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक रूप से सलाह दी जाए और स्वैच्छिक निर्णय किए जाएं। तभी मैं अपने सहयोगियों, राज्य सरकारों के शिक्षामंत्रियों को यह संकेत देता हूँ कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम अनुदेश जारी करेंगे। हमारे संविधान के अन्तर्गत एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए मेरी तो सदा परामर्श लेने और विचार करने की ही नीति रही है और यह बात स्पष्ट है कि शिक्षा के मामलों में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सत्ता का आदर करती है ?

Shri Mukhtiar Singh Malik : In reply to a supplementary the hon. Minister just now stated that the Government is not going to issue any direction to the State Government regarding Kothari Commission. Kothari Commission was appointed to recommend improvements in the conditions of the teachers. I want to know whether the Government has sent any documents to the State Government to implement the recommendations of the Commission. If the Government is unable to give any direction regarding implementations of the recommendations of the Commission what was the use of appointing that Commission ?

In the matter of per-capita income Punjab comes first and Haryana second. Haryana may be second in the matter of per-capita income, but in the matter of victimisation Haryana is on the top. The teachers of Haryana met the hon. Minister to urge the acceptance of the Kothari Commission's recommendations in regard to their grades. They complained to the hon. Minister regarding hand-cuffing and parading of the teachers in the streets and supplying them food containing stones and sand in jail. They also complained that they were not provided with blankets in the jail. I want to know whether hon. Minister has given any assurance to the teachers after his meeting with them ?

The hon. Minister has recently gone to Chandigarh and he must have talks with the Haryana Government in this regard. He made a statement that the teacher and the Government should sit together and discuss this matter. But the next day the Education Minister of Haryana rejected his appeal. The rejection of the appeal of the Central Minister showed that the State Minister was disrespectful and indecent. I want to know what action has been taken by the Minister in this regard ?

Lady teachers have been molested in Sonapat in Haryana. The police disturbed their meeting and misbehaved with them.

The Central Government wants to remain a silent spectator in this matter or wants to take some action so that the goodness prevails in the State Government. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : The main question relates to the Kothari Commission and the hon. Member should confine himself to that only.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि केन्द्रीय सरकार का शिक्षा आयोग को नियुक्त करने का उद्देश्य शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय स्थिति का पुनरीक्षण कर सिफारिशें देना था। मेरे विचार से आयोग द्वारा उचित सिफारिशें दी गई हैं। सभा ने उन सिफारिशों पर विचार किया है और उनके आधार पर शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। यह सच है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आरम्भ किये गये अनेक परिवर्तनों पर कोठारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का प्रभाव पड़ा है। अतः मैं यह कहूँगा कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों पर निरन्तर प्रभाव पड़ रहा है।

जहाँ तक अन्य मामलों का संबंध है मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं किस अधिकार के अन्तर्गत निर्देश जारी कर सकता हूँ।

जहाँ तक केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच ऐसे मामले पर विचार-विमर्श का प्रश्न है जो केवल राज्य सरकार की सूची के अन्तर्गत आता है; विचार-विमर्श तभी उपयोगी

सिद्ध हो सकता है जब इस विचार-विमर्श को गोपनीय रखा जाये और इसका उपयोग विभिन्न राजनीतिक प्रयोजनों के लिए न किया जाये। तभी उक्त विचार-विमर्श सफल हो सकता है।
(अन्तर्बधाएँ)

Shri Mukhtiar Singh Malik : The hon. Minister has not stated anything about his talks with them.

Shri R. S. Pandey : I am thankful to the Speaker for giving me an opportunity to speak. We are grateful to the Education Minister for showing his sympathy to the teachers. He has also stated in his statement that the teachers play a vital role in our society. I want to know who have created this situation.

In case the Kothari Commission had not been appointed, the necessity of these recommendations would not have arisen. Therefore, the responsibility lies upon you. The Government appointed the Kothari Commission and now it is the responsibility of the Union Government to ensure the implementation of the recommendations. The Central Government gives financial assistance to the state and so it can give a warning to that state. If I had been the Education Minister in your place, Shri Bansi Lal would have not dared to do that. Keeping in view the position of the teachers in the society, the Government should see to it that the Parliament and the Commission are not insulted and that all its recommendations are accepted and efforts should be made to improve the financial conditions of the teachers. To appoint a Commission like this and not to accept its recommendations, is not proper.

श्री पीलू मोदी : माननीय मंत्री यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको क्रियान्वित करना राज्य सरकार के हाथ में है। जब इस प्रकार के किसी आयोग की नियुक्ति की जाती है तो ऐसा सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए जाँच आयोग के माध्यम से तथ्य और उसके निष्कर्षों का पता लगाने के लिए किया जाता है। सत्तारूढ़ दल की भी यह नीति है कि इसको क्रियान्वित किया जाए। राज्य के चुनावों में उसने वोट लेने के लिए स्थिरता, एकता आदि के नाम पर अपील की और वहाँ उनकी सरकारें हैं। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि जो केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्रियों को भेज सकती है, उन्हें निकाल सकती है, वह कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं कर सकती।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। यह प्रश्न लगभग वही है जो प्रो० मुकर्जी ने पूछा था।

Dr. Kailash : The hon. Minister has stated that the education is state's subject. It is a well known fact. But he should know the responsibility of Central Government also.

I want to know what additional burden will fall on the State Governments as a result of the implementation of those recommendations. I also want to know whether its recommendations have been forwarded to the Planning Commission or the Finance Department. Had it been done, the Central Government could compel the State Governments to implement the recommendations of the Kothari Commission.

In cases where there is no question of expenditure, like transferring the teachers upto twelve miles the recommendations of the Kothari Commission are that the teachers should not be transferred to places where there are no facilities for their residences. I want to know whether the Central Ministry or the Education Minister has written any letter to the Education Minister of the Chief Minister or the State asking him not to make such transfers ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : प्रत्येक राज्य सरकारें अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करती हैं और उसे योजना आयोग को प्रस्तुत करती हैं और योजना आयोग मामले में अन्तिम निर्णय लेता है। यदि वह यह अनुभव करती हैं कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो वे ऐसा हमेशा कह सकती हैं। मेरे पास हरियाणा के बारे में ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है कि उसे केन्द्र से अमुक सहायता दी जानी चाहिये। अतः मैं इस संबंध में अन्तिम वक्तव्य देने में असमर्थ हूँ। मैं उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा; मैं पहले ही कह चुका हूँ, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों के मध्य विचार-विमर्श को सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा राज्य सरकारें यह समझेंगी कि केन्द्र सरकार उन मामलों में हस्तक्षेप कर रही है जो कि निश्चित रूप से राज्य की सूची में आते हैं। केवल इस आधार पर तो विचार-विमर्श किया जा सकता है, विचार-विमर्श किया गया है तथा प्रत्येक राज्य सरकार तक हमारे विचार पहुँचे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० जी० भावलंकर।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें, मैं सभा की कार्यवाही को चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं किसी की जबान बन्द नहीं करना चाहता। इस चर्चा पर एक घन्टा लग चुका है। अब यह जरूरी है कि समय की कोई सीमा निश्चित कर दी जाये। यदि कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं तो.....

श्री पीलू मोदी : एक घन्टा और

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभा इस बारे में निर्णय करे। मैं सभा द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार कार्यवाही चला रहा हूँ। यदि इस पर सभा एक घन्टा और लगाना चाहती है तो इस बारे में सभा ने ही निर्णय करना है। सभा चाहे दो घन्टे लगाये। मैं तो उसी के अनुसार कार्यवाही चलाऊँगा। परन्तु हमें सत्य को सामने रखना चाहिये। एक घन्टा तो हम पहले ही ले चुके हैं। क्या हम अब और 10 या 15 मिनट लगायें? हमें इसकी सीमा निर्धारित करनी है। सभा यह साधारण सा निर्णय क्यों नहीं ले सकती? मैं 15 मिनट भी स्वीकार कर लूँगा परन्तु कोई सीमा तय होनी चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : पन्द्रह मिनट से काम नहीं चलेगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये, मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दीजिये। मैं कह रहा था कि.....

श्री भोगेन्द्र झा : आप हमारा मत पूछ रहे हैं। क्या मैं अपना मत प्रकट नहीं कर सकता ? फिर आप हमारी राय क्यों माँगते हैं ? आप स्वयं निर्णय कर लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि कोई न्यायोचित समय-सीमा होनी चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : पन्द्रह मिनट पर्याप्त नहीं रहेंगे क्योंकि एक सदस्य 15 मिनट तक बोल जायेगा । आप भाषण रोककर केवल प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये । अन्य एक ही सदस्य 10 या 15 मिनट तक बोलता रहेगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री भोगेन्द्र झा के इस कथन से सहमत हूँ कि केवल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं ।

दूसरी बात, मेरी कठिनाई यह है कि मैं इस प्रश्न पर चर्चा के बीच में आया हूँ अतः मुझे नहीं मालूम कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं । यह दायित्व स्वयं सदस्यों पर ही छोड़ता हूँ ।

श्री पीलू मोदी : आप सभा की मर्यादा बढ़ा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य प्रश्न पूछ चुके हैं वे कृपया दूसरों को कोहनी मारकर प्रश्न पूछने को प्रेरित न करें । श्री शर्मा !

श्री पी० जी० मावलंकर : व्यवस्था के प्रश्न पर ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की बात भी सुनूँगा—(व्यवधान) जब इतने सारे सदस्य बोलते हों तो मैं कैसे कुछ समझ सकता हूँ ?

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं अपनी बात कह रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप देखिये कि ऐसी कठिन स्थिति में अध्यक्ष-पीठ को कैसे समझ आये कि आप क्या कह रहे हैं । यदि आप आराम से मुझे बताते कि आप बोल रहे थे तो मैं आपको अपनी बात जारी रखने की अनुमति देता । इसकी बजाये 10 अन्य सदस्य आपके साथ बोल रहे हैं । इससे कितनी गड़बड़ होती है । मैं चाहता हूँ आप बोलें; अन्य दस नहीं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं क्या कर सकता हूँ । यदि अन्य सदस्य खड़े हो जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ? जब आप पीठासीन हुए उस समय मैं बोल रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आप द्वारा पीठासीन होने से पूर्व मैं कह रहा था कि मंत्री महोदय का उत्तर न केवल दुखदायी है बल्कि अस्पष्ट भी है । मैं नहीं समझ सकता.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछें ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझसे पहले वक्ता 5 से 7 मिनट तक बोले । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह आशा करना अनुचित है कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री ऐसा हो जो कि मंत्रीमण्डल का पूर्ण सदस्य हो । मैं तो कुछ समझ नहीं पाता जब वह यह कहते हैं कि वह इस या उस मामले में विवश हैं । यदि वह कहते हैं, जैसा कि उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा, कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्त दिए बिना ही पत्र जारी कर दिये गये; फिर इन सिफारिशों को भेजने का लाभ क्या है ? जब उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने कोठारी आयोग की नियुक्ति की थी तो क्या उसमें सरकार का उद्देश्य केवल किसी प्रकार की इच्छायें जानना ही था ? यहाँ तथा सारे देश में अध्यापकों की दशा बड़ी शोचनीय है । सरकार द्वारा बार-बार इस आशय के भाषण दिये जाने का कोई अर्थ नहीं कि अध्यापक तो इस देश का आधार हैं और उनके हितों की रक्षा की जायेगी । क्या शिक्षा मंत्री, अध्यक्षपीठ से सलाह माँगने की बजाय, वह अपने सहयोगियों को कहें कि शिक्षा मंत्री को मंत्रीमण्डलीय स्तर का मंत्री बनाया जाये ।

दूसरे, यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि सरकार विवश है । आखिर राज्य सरकारों का बहुमत.....

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । अब यह सब बन्द कर दूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि यह विवश हैं । आखिर अधिकांश राज्यों में उनके दल की सत्ता है अधिकांश मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । यह तो मनोनीत लोकतंत्र है... (व्यवधान) निश्चय ही यह सब मनोनीत लोकतंत्र है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यदि संविधान के अनुसार मैं विवश सिद्ध होता हूँ तो मैं तो किसी व्यक्ति को खुश करने के लिये यह कहने कि आह ! मैं कितना शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, की बजाये संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये ।.....(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : संविधान ने उन्हें बेबस बना दिया है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : उक्त विशेषण पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में सर्वथा असंबंधित है ।

श्री एस० बी० गिरि : खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : गिरि साहेब, कृपया बैठ जाइये ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : प्रश्न का उद्देश्य यह जानकारी लेना है कि किस-किस राज्य ने स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समानता ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : वह जानकारी माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है । मैं उस समय

बड़ा ही खेद अनुभव करूंगा जब कोई सरकार का मंत्री संविधान की उपेक्षा करेगा तथा निर्देश जारी करना आरंभ कर देगा जबकि संविधान उसे ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार न देता हो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० पी० शर्मा ।

श्री ए० पी० शर्मा : कोठारी आयोग केन्द्र सरकार ने नियुक्त किया था तथा केन्द्र सरकार चाहती है तथा सलाह भी देती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस पर आपत्ति करता हूँ । कोई भाषण नहीं दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न ।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि चूँकि कोठारी आयोग की नियुक्ति केन्द्र सरकार ने की थी और राज्य सरकारों से यह चाहा था या उन्हें सलाह दी थी कि वे कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करें, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि कोई राज्य विशेष कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करे तो सरकार उनकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : संवैधानिक दृष्टि से तो केवल यह उचित प्रक्रिया होगी कि उनके साथ विचार-विमर्श किया जाये । यह विचार-विमर्श चल रहा है तथा शिक्षा में सुधार संबंधी सभी उपायों के बारे में ऐसा विचार-विमर्श चलता रहेगा ।

श्री माधुर्य्य हालदार : पिछले एक घंटे से, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वह संवैधानिक दृष्टि से विवश हैं तथा कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राज्य से कोठारी आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिये और अधिक निधि का आवंटन करने का अनुरोध किया है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा में सुधार के विभिन्न उपायों की क्रियान्विति करने के लिये केन्द्र सरकार से सहायता माँगी है । कुछ मामलों में तो केन्द्र सरकार ने सहायता दे दी है तथा अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Shashi Bhushan : May I know whether 12,000 teachers have ever been arrested during the last 500 years in Delhi. The Delhi Police are carrying them to Bareilly, Agra, Banaras and other various places. So, is it not the subject of the Centre ? As the Central Government issues directives to the State Chief Ministers in regard to distribution of land, taking over of food grains, would the Government give necessary directives to the Chief Minister of Haryana who certainly is in need of good advice. If not, what was the need of appointing the Kothari Commission ? Recently, the Education Minister visited Chandigarh. He had desired that the Chief Minister should talk to the teachers. I want to know whether he is satisfied with the manner in which the Chief Minister talked to the teachers ? Would our leadership here i. e. the Prime Minister, the Home Minister and the rest make efforts to solve this problem and wash away the blot on our head for arresting teachers ?

Shri S. Nurul Hasan : I have repeatedly answered that we are not competent to issue directives.

Shri Shashi Bhushan : Then amend the Constitution accordingly, in case you can't give directives.

Shri Ram Avtar Shastri : In view of the agitation which is evident here too, for implementation of the recommendations of the Kothari Commission, and also the discontent expressed by the hon. Members here; are you making an effort to find some way out by organising a meeting of the Chief Ministers and the Education Ministers of various states, so that such a deadlock is not repeated in future and some solution is found out for it ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : शिक्षा प्रणाली के समूने प्रश्न पर हाल ही में सितम्बर, 1972 में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया था जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री भी शामिल थे। अब कोठारी आयोग ने केवल वेतनमानों पर ही विचार नहीं किया है बल्कि यह एक विशाल प्रति-वेदन है जिनमें शिक्षा के सभी पहलुओं का वर्णन है। अब क्योंकि हमें कुछ धनराशि उपलब्ध होने के संकेत मिले हैं मेरा विचार है, कि शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए। स्थायी समिति की बैठक के बाद ही सम्पूर्ण केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई जाने की संभावना है और फिर शिक्षा-जीवन में इन अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याओं को उसके समक्ष रखा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय आपके पीठासीन होने से पूर्व, मैंने शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीयनीति संकल्प से उद्धरण पेश किया था। वह नीति इस सभा द्वारा स्वीकार की गई है और केन्द्र सरकार इसे एक सही नीति समझती है। हम निश्चित रूप से अपने-अपने विचार केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेंगे और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीयनीति संकल्प की क्रियान्विति के लिए उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न तथा उनके उत्तर संक्षिप्त हों तभी हम इस प्रश्न को निपटा सकेंगे।

श्री वसन्त साठे : यह देखते हुए कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रति मंत्री महोदय की इतनी जिज्ञासा है तथा वह राज्य सरकारों को परस्पर विचार-विमर्श आदि से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह हमें बतायेंगे कि वह हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशी लाल को समझाने-बुझाने में कितना समय लेंगे ? क्या कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उन्हें राजी करने तक वह शिक्षा संबंधी अन्य नये सुधारों का विचार त्याग देंगे क्योंकि उनके लिए भी मंत्री महोदय को उन्हें समझाना-बुझाना पड़ेगा ? क्या आप एक समय में एक ही काम करेंगे तथा उसमें कितना समय लगायेंगे ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं सभा को कोई समय-सीमा नहीं बता सकता। दूसरे शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन एक समूचा मामला है जिसमें अध्यापकों की सेवा-शर्तें तथा दर्जा भी शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने से रोकना तो नहीं चाहता परन्तु फिर भी हमें कोई मानदण्ड तो रखना ही चाहिये। पहले यह परम्परा थी—अब भी है—कि यदि एक गुट के एक-दो

सदस्य प्रश्न पूछ लें तो वह काफी होता है। परन्तु यहाँ तो लगता है कि हर सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है।

श्री भोगेन्द्र झा : संविधान द्वारा प्रावधित सीमाओं में रहते हुए क्या इस सभा के मंच से मंत्री महोदय भारत सरकार की ओर से यह वचन दे रहे हैं कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक राज्य सरकार को शीघ्रता से कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिये, तथा क्या केन्द्र सरकार हरियाणा सरकार से भी यह आशा करती है कि वह धमकी तथा आतंक का रवैया छोड़ कर बातचीत का रास्ता अपनाये और अध्यापकों की मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करे ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यदि सभी राज्य सरकारें कोठारी आयोग की सिफारिशों को न केवल वेतनमानों के मामले में बल्कि सभी अन्य बहुत से मामलों में भी क्रियान्वित करदे तो केन्द्र सरकार को निश्चय ही बेहद प्रसन्नता होगी। जो अन्य प्रश्न पूछे गये हैं, उनका संबंध मुझसे नहीं है।

श्री बी० बी० नायक : इस तथ्य की दृष्टि से कि केन्द्र तथा राज्य की सेवाओं की आय में असमानतायें ही हरियाणा के अध्यापकों की हड़ताल तथा प्रदर्शनों का मुख्य कारण हैं—केन्द्र सरकार के डाकिये को हरियाणा के प्राइमरी अध्यापकों से दुगना वेतन मिलता है—तो फिर मंत्री महोदय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में क्या करेंगे जिसकी सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय सेवाओं में दुर्व्यवहारी अध्यापकों तथा अन्य राज्य सेवाओं की तुलना में वेतन और बढ़ जायेंगे ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थिति की माँग के अनुसार अपने वेतनों में वृद्धि न मिले।

श्री एस० बी० गिरि : हरियाणा के अध्यापकगण केवल कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यह देखना केन्द्र सरकार का काम नहीं है कि राज्य सरकारें इस आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। यदि उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तो क्या यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है कि वह हरियाणा सरकार को निदेश जारी करे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया है तथा उसका उत्तर दिया गया है।

श्री एस० बी० गिरि : यदि कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार की इच्छाओं को पूरा न करे, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्य करने का है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दे चुका हूँ।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the recommendations of the Kothari Commission involves finances and also whether many States have written to him and the Government to solve the financial implications to pave the way for the implementation of the recommendations and if so, whether the hon. Minister would call a conference of the Chief Ministers or the Education Ministers of the States and discuss the issue of implementing the recommendations of the Kothari Commission ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर वह दे चुके हैं ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : शिक्षा नीति के व्यापक पुनरीक्षण के बारे में मंत्री महोदय का आश्वासन इस प्रश्न के संदर्भ में असंबंधित है। यह प्रश्न विभिन्न राज्यों में वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में है। केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी अध्यापक स्वयं को बन्दी बनवा रहे हैं। तमिलनाडु में 2,000 अध्यापक जेलों में हैं। क्या वह तमिलनाडु सरकार से सम्पर्क स्थापित करके, वेतनमानों की क्रियान्विति के बारे में वहाँ चल रहे आन्दोलन का कोई हल निकालेंगे ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह मामला अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया है ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : यह मामला.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्योंकि यह मामला उनकी जानकारी में आ गया है इसलिए वह उसकी जाँच कर लेंगे ।

Shri Ram Chandra Vikal : The hon. Minister has put forth the constitutional limitations of the Finance Commission, Kothari Commission, Planning Commission etc. and also stated that the State Governments can seek financial help.....(*Interruptions*). The agitation of Haryana Teachers is making country-wide impact; recently there has been strike by U. P. Engineers also and the Irrigation Minister intervened and got the strike called off. Now the Haryana Teachers issue has also reached the Prime Minister, so would the Minister of Education make an effort to get the strike called off ?

उपाध्यक्ष महोदय : विद्युत इंजीनियरों की हड़ताल से हमारा कोई संबंध नहीं है ।

Shri R. R. Sharma : The Haryana Teachers' problem is going to become a country-wide issue. U. P. Teachers have their own discontentment. I only want to know the expenditure incurred on the appointment of Kothari Commission and also during the period of its work until the submission of its report. May I also know whether the State Governments were not consulted prior to that and why do you need it now ? Why consultations were not made before ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का आशय समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ क्योंकि राज्य सरकारों ने विशेषज्ञों की सलाह माँगी थी। केन्द्र सरकार ने विभिन्न समस्याओं के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की थी। जैसा कि मैंने कहा राज्य सरकारों से अध्यापकों के वेतन मानों सहित कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कई बार अनुरोध किया गया था ।

Shri Lalji Bhai : May I know the amount which the Government of Haryana would require for implementing the Kothari Commission's recommendations ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरे पास वह जानकारी नहीं है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशी लाल को उसके लिए राजी करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं तथा क्या सरकार राज्य सरकार की कठिनाई दूर करने का कोई उपाय सोच रही है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहा हूँ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रोजगार के अवसर खोजने वालों की संख्या और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की प्रतिशतता

*242. डा० कर्णो सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की अन्तिम तिमाही में और वर्ष 1972 की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तिमाहियों में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में दर्ज रोजगार खोजने वालों की संख्या में अलग-अलग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) गत वर्ष रोजगार के अवसरों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) गत वर्ष रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने में कहाँ तक सफलता मिली ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क)

तिमाही के अन्त में		चालू रजिस्टर पर रोजगार खोजने वालों की संख्या (हजारों में)	पिछली तिमाही के मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि
1971	तीसरी	4,929	—
	चौथी	5,100	3.5
1972	पहली	5,248	2.9
	दूसरी	5,688	8.4
	तीसरी	6,457	13.5

(ख) और (ग). समस्त अर्थव्यवस्था में सृजित होने वाले रोजगार अवसरों की कुल संख्या के यथार्थ आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । देश के रोजगार कार्यालयों की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बारे में सूचना इस प्रकार है—

वर्ष	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या (लाखों में)	पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि
1971	8.14	—
1972	8.58	5.5

1971-72 और 1972-73 के दौरान रोजगार अवसरों के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 306, दिनांक 21-2-1973 के उत्तर में लोक सभा की मेज पर रखे गए विवरण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

फील्ड केबिलों का आयात

*243. श्री पी० के० देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड केबिलों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों से और इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमन् । फील्ड केबिलों के संबंध में रक्षा आवश्यकताओं को अपने उत्पादन से ही पूरा किया जा रहा है। ब्यौरों को बताना लोक हित में नहीं होगा।

कोडरमा क्षेत्र की अभ्रक खानों में सुरक्षा नियमों का पालन

*244. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोडरमा क्षेत्र की अभ्रक खानों में सुरक्षा नियमों को न तो पूरी तरह अपनाया गया है और न ही लागू किया गया है और इसके परिणामस्वरूप वहाँ अक्सर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जाँच करवाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बिहार में अभ्रक खानों में सुरक्षा नियमों की प्रभावी कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। एक विवरण, जो घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या दर्शाता है, सभा की मेज पर रख दिया है।

(ख) सरकार निरन्तर निगरानी रखती है।

विवरण

अभ्रक खानों (बिहार) में दुर्घटनाओं के आँकड़े

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गंभीर	मारे गए	गंभीर रूप से घायल हुए
1968	2	12	2	12
1969	6	14	8	16
1970	4	16	4	17
1971	2	14	2	15
1972	†3	10	5	10

†अनंतिम

शस्त्रास्त्रों और गोला-बारूद के निर्माण के संबंध में आत्म-निर्भर बनने के लिए रक्षा विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा को सुदृढ़ बनाना

*247. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस शाखा के कार्य का पुनर्विलोकन किया है जिससे वह सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण बनाने में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहायता कर सकें।

(ख) यदि हाँ, तो रक्षा विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) रक्षा संबंधी पंचवर्षीय योजना में इस शाखा के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(घ) क्या आबंटित धन का पूरा उपयोग किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4425/73.]

बोलानी ओर्स द्वारा स्टेशन वैननों का बेचा जाना

*249. श्री रोबिन सेन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी ओर्स के प्रबंधकों ने दो विली स्टेशन वैनन—रजिस्ट्रेशन नं० ओ० आर० जे० 930, माडल 1960, ओ० आर० जे० 1400, माडल 1961 और एक विले जीप नं० ओ० आर० जे० 1966, माडल 1966 को सितम्बर, 1972 में बेचा था;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मोटर गाड़ी का विक्रय मूल्य क्या था; और

(ग) क्या बोलानी ओर्स के अधिकारियों ने ये मोटरगाड़ियाँ खरीदी हैं; और

(घ) क्या इनके लिए कोई टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमारमंगलम्) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग). बोलानी ओर्स लि० के प्रबंधकों ने एक विल्लीज् स्टेशन वैगन ओ० आर० जे० 1400, 1958 माडल श्री ए० पाल चौधरी, सहायक अधीक्षक को 1054 रु० में एक विल्लीज् स्टेशन वैगन ओ० आर० जे० 930 1957 माडल श्री पी० आर० सुब्रमनियम, वित्तीय नियन्त्रक को 857 रु० में और एक विल्लीज् जीप ओ० आर० जे० 1966, 1964 माडल को श्री एस० राजाराम, मुख्य अभियन्ता को 4651 रु० में बेचा ।

(घ) जी, नहीं ।

युगांडा को एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रस्ताव

***251. श्री समर गुह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा के जनरल इदी अमीन ने यह प्रस्ताव किया है कि दोनों के बीच व्यापार संबंधों के विस्तार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भारत से एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल युगांडा का दौरा करे; और

(ख) युगांडा द्वारा की गई इस पेशकश के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

रूस के सहयोग से इस्पात परियोजनाएं

***252. श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के सहयोग से कौन-कौन सी इस्पात परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं अथवा निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की कुल वास्तविक अथवा अनुमानित लागत क्या है और सोवियत संघ ने परियोजनावार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है; और

(ग) निर्धारित समय के अनुसार कौन-कौन सी परियोजनाएँ पूरी नहीं हुई हैं अथवा पूरी नहीं होंगी और प्रत्येक मामले में कितना विलम्ब हुआ है या होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमारमंगलम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है—

	कुल लागत	सोवियत रूस से वित्तीय सहायता (ऋण)
(1) भिलाई इस्पात कारखाना (25 लाख टन पिण्ड)	रु० 353.55 करोड़	रु० 125.44 करोड़ (विदेशी मुद्रा में)
(2) बोकारो इस्पात कारखाना (17 लाख टन पिण्ड का चरण)	रु० 758.4 करोड़	रु० 176.6 करोड़ (विदेशी मुद्रा में)

उपर्युक्त के अतिरिक्त सोवियत रूस की सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार के लिए जिसकी अनुमानित लागत लगभग 513 करोड़ रु० होगी 70-80 करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा में) का ऋण दिया है । सोवियत संघ से भिलाई इस्पात कारखाने के 25 लाख टन से 40 लाख टन के विस्तार हेतु भी वित्तीय सहायता मिलेगी ।

सोवियत संघ की सरकार ने विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कारखानों के निर्माण और परिचालन में तथा इन कारखानों के लिए सोवियत रूस में भारतीय इंजीनयरों को प्रशिक्षण देने के रूप में तकनीकी सहायता भी दी है ।

(ग) जहाँ तक भिलाई इस्पात कारखाने का संबंध है (25 लाख टन चरण) मुख्य एककों तथा कोक ओवन, धमन भट्टी, इस्पात पिघलाने की कार्यशाला, फिनिशिंग मिल आदि के चालू किए जाने में अनुसूची की तुलना में कुछ महीनों से लेकर एक वर्ष से अधिक तक की देरी हुई है ।

तीन वर्ष पहले बनाई गई अनुसूची के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने (17 लाख टन चरण) को मार्च, 1973 तक पूरा किया जाना है और विभिन्न एककों को उसके 3 से 6 महीने पश्चात् तक चालू किया जाना है । पहले धमन भट्टी समूह को अक्टूबर, 1972 में अर्थात् अनुसूची से तीन महीने बाद चालू किया गया । आशा है कि अन्य दूसरे एककों को जिनमें इस्पात पिघलाने की कार्यशाला भी शामिल है, इस वर्ष के दौरान चालू कर दिया जायेगा ।

Creation of a Welfare Fund for Manganese Mine Workers

*255. Shri Shrikrishan Aggarwal : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in the creation of a 'Welfare Fund' for the workers of the Manganese Mines;

(b) whether the decision to create such a fund was taken 15 years back but it has not been implemented so far; and

(c) whether the manganese industrialists in the private sector are putting pressure on Government against the creation of the said fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). It was considered that the levy of cess on manganese might adversely affect the export of manganese in a highly competitive market. This was the main reason for delay in setting up of Welfare Fund for the workers of the Manganese Mines. The matter has now been reconsidered and is being vigorously pursued.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत अस्पताल

*256. डा० कैलास : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम बीमारियों के लिए और क्षय रोग के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत कितने अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अन्तर्गत आते हैं, उनके लिए सरकारी नगर निगम और स्वयंसेवी अस्पतालों में कितने बिस्तर आरक्षित किए गए हैं;

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में वर्ष 1972 से प्रति बिस्तर प्रतिदिन कितना खर्च हुआ; और

(घ) सरकारी नगर निगम और स्वयंसेवी अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रति बिस्तर प्रतिदिन कितनी राशि अदा करता है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) अस्पतालों का विवरण	अस्पतालों की संख्या	पलंगों की संख्या
(i) साधारण और प्रसूति रोग	39	5,299
(ii) क्षयरोग (सीने के रोग)	7	1,000
(iii) साधारण रोगों तथा क्षय रोग के संयुक्त अस्पताल	5	1,306
	(1166 साधारण और 140 क्षयरोग)	
जोड़	51	7,605

इनके अतिरिक्त, 24 कर्मचारी राज्य बीमा के उपग्रह हैं, जिनमें पलंगों की कुल संख्या 442 है (160 साधारण पलंग और 282 क्षयरोग पलंग)।

(ख) 2,904 पलंग।

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा अपस्तालों में प्रति पलंग का औसत प्रतिदिन खर्च लगभग 20 रुपये था।

(घ) भुगतान 5 रुपये और 12 रुपए प्रति पलंग प्रतिदिन के बीच में था।

Summit Conference of India, Pakistan and Bangladesh

*257. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether there is any likelihood of a Summit Conference of India, Pakistan and Bangladesh;

(b) whether some efforts have also been made by any country in this direction; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir, not at present.

(b) No proposals have been received by Government in this regard.

(c) Does not arise.

आयुध कारखानों को संगठन के अन्तर्गत लाने के लिए उनका पुनर्गठन

*258. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी आयुध कारखानों को एक संगठन के अन्तर्गत लाने के लिए उनके पुनर्गठन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयुध कारखाने पहले से ही एक संगठन अर्थात् आर्डनेन्स कारखानों का महानिदेशालय के अन्तर्गत हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Election to Danapur Cantonment Board

*259. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the election to the Danapur Cantonment Board is scheduled to be held in 1973;

(b) if so, whether in its meeting held on the 10th January, the Danapur Cantonment Board has recommended that Ward No. 5 should be declared as Scheduled Caste constituency; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The matter is under examination.

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड

*260. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड के बारे में 22 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र उद्योग के कर्मचारियों के और मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). 24 और 27 फरवरी, 1973 को विचार-विमर्श हुए थे। नियोजकों के प्रतिनिधि अपने सुचित विचार 31-3-1973 तक भेजेंगे।

प्राकृतिक संसाधनों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति में ऊर्जा, जल तथा खनिजों की विश्व में सप्लाई तथा माँग के बारे में चर्चा

2401. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों संबंधी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने नई दिल्ली में 6 फरवरी, 1973 को हुए अपने तीसरे सत्र में ऊर्जा, जल और खनिजों की विश्व में सप्लाई तथा माँग के प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हाँ। संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक संसाधन समिति के तृतीय अधिवेशन में प्राकृतिक संसाधन भंडार प्रक्षेप तथा भावी माँग और पूर्ति के संबंध में विचार किया गया।

(ख) समिति ने निर्णय लिया कि इन प्रक्षेपों के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मानक प्रणाली निश्चित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए। भारत ने ऊर्जा नीति एवं आयोजन विधियों पर एक गोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव किया और यह भी सिफारिश की कि विकास-

शील देशों के हित में ऊर्जा-आयोजन की सूक्ष्म विधियों पर सलाह देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेषज्ञों का एक पैनल स्थापित किया जाए। इन सुझावों तथा दूसरे शिष्टमंडलों द्वारा दिए गए सुझावों पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की भावी बैठकों में विचार किया जाएगा।

**Cell for Redressal of Grievances of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees
in Heavy Engineering Corporation**

2402. Shri M. S. Purty : Will the Minister of Heavy Industry be pleased to state :

(a) whether there is no cell in the Heavy Engineering Corporation especially for redressal of grievances of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) No, Sir. In conformity with Government's directive on the subject, a cell headed by a Liaison Officer has been constituted in Heavy Engineering Corporation to ensure the prompt disposal of the grievances and representations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) Does not arise.

**Reservations of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Candidates in Heavy Engineering Corporation**

2403. Shri M. S. Purty : Will the Minister of Heavy Industry be pleased to state :

(a) whether Government have directed the Heavy Engineering Corporation to quote the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each category of posts while notifying the vacancies to the employment exchanges; and

(b) if so, the facts thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Yes, sir.

(b) All vacancies pertaining to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are notified to the local or the regional employment exchange. Copies of the advertisements are also endorsed to the local or regional employment exchange. When a local employment exchange is unable to nominate suitable candidates it refers the vacancies to the Director General of Employment Exchanges who maintains an All India List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates registered with employment exchanges.

**सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवाओं का राष्ट्र-निर्माण संबंधी कार्यों के
लिए उपयोग किया जाना**

*2404. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर वर्ष काफी बड़ी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं जिनका स्वास्थ्य काफी अच्छा होता है, और जिनका राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) तीनों विंगों से सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सैनिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है कि उनकी सेवाओं का उचित ढंग से उपयोग किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) हर वर्ष औसतन 55,000 से अधिक रक्षा कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं । असैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता के लिए बहुउद्देशीय कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं । जिसमें असैनिक पदों पर रोजगार तथा औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषि संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं ।

बाक्साइट के निक्षेप

2405. श्री अम्बेश : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाक्साइट किन-किन स्थानों पर, राज्यवार, उपलब्ध है; और

(ख) इन निक्षेपों की मात्रा कितनी है और वहाँ पर किस किस प्रकार का बाक्साइट मिला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, भारत के विभिन्न भागों में अभी तक अनुमानित 45 प्रतिशत से अधिक ऐल्युमिनियम की मात्रा से युक्त, बिहार के राँची, पालामू और मुंगेर जिलों में 312.40 लाख टन, गोवा में 71.70 लाख टन, गुजरात के भवनगर, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ और कोइरा जिलों में 440.50 लाख टन, जम्मू और कश्मीर के पुंच, रियासी सेक्टरों, में 26.10 लाख टन; केरल कन्नानोर, एल्लेप्पी और क्वीलोन जिलों में 29.40 लाख टन; मध्य प्रदेश के शाहडोल, मण्डला, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, बालाघाट और जबलपुर जिलों में 529.80 लाख टन; महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कोलाबा, रत्नगिरि और थाना जिलों में 661.90 लाख टन, मैसूर के वेलगाँव, उत्तरी और दक्षिणी कनारा और चिमगलूर जिलों में 164.30 लाख टन, उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिरि और संबलपुर जिलों में 149.30 लाख टन, तमिलनाडु के सालेम, मदुराई और नीलगिरि जिलों में 81.80 लाख टन और उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में 22.20 लाख टन बाक्साइट की उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की गई हैं । आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में बाक्साइट की लगभग 100 लाख टन की अनन्तिम उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की गई हैं । केरल के कन्नानोर जिले, बिहार के राँची और पालामू जिलों, मध्य प्रदेश के रीवा और बालाघाट जिले, गुजरात के जामनगर और जूनागढ़ जिलों, उड़ीसा के कोरापुट जिले, महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर और बाँदा जिलों में बाक्साइट के लिए अन्वेषण कार्य प्रगति में है । आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, नेल्लोर और ओंगोल जिलों में बाक्साइट के लिए शीघ्र ही अन्वेषण किए जाएँगे ।

Expenditure on Republic Day Parade, 1973

2406. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Republic Day Parade of 1973; and

(b) whether the expenditure incurred on this Parade during this year exceeds the expenditure incurred during the last year.

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). The expenditure incurred by the Central Government on Republic Day Parade 1972 (except the Fly-past) in Delhi was approximately Rs. 17.9 lakhs. Accounts relating to expenditure incurred on Republic Day Parade 1973 are being compiled.

कोचीन में एक पृथक नौसैनिक डाक यार्ड बनाने का प्रस्ताव

*2407. श्री बयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कोचीन में एक पृथक नौसैनिक डाक यार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा कब तक इसके पूरे होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान के युवराज की भारत यात्रा

*2408. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या अफगानिस्तान के युवराज ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और
- (ख) विदेश नीति तथा व्यापार के क्षेत्र में भारत अफगानिस्तान के पारस्परिक संबंधों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ । उन्होंने दिसम्बर 1972 में भारत की यात्रा की ।

(ख) अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ मैत्री एवं स्नेहपूर्ण हैं । विश्व की बहुत समस्याओं पर दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है और वे दोनों ही गुटनिरपेक्ष एवं अन्य विश्व मंचों पर साथ-साथ काम कर रहे हैं । दोनों देश क्षेत्रीय सहयोग एवं इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ।

द्विपक्षीय आधार पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने 1969 में मंत्री स्तर पर एक संयुक्त कमीशन की स्थापना की । बहुत सी परियोजनाओं पर अमल किया जा चुका है जबकि अन्य पर कार्य हो रहा है ।

भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार वर्षानुवर्ष आधार पर व्यापार संधि के अनुसार संचालित किया जाता है । 1971-72 में हमारे दोनों देशों के बीच 14.64 करोड़ रुपये का व्यापार

हुआ। व्यापार बराबर बढ़ रहा है और अप्रैल से अगस्त, 1972 के आँकड़े यह बताते हैं कि इन पाँच महीनों में यह 8.18 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

स्पेन के विदेश मंत्री का दौरा

2409. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९७२ में स्पेन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनके साथ किन बातों पर चर्चा की गई; और

(ग) किए गए विषयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया गया, खासतौर से यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं पर जोर दिया गया। उसमें दोनों देशों के हित के मामलों और भारत-स्पेन व्यापार तथा सहयोग के मामलों पर भी चर्चा हुई। बातचीत के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की प्रतियाँ, जिसमें समझौतों का जिक्र किया गया है, सदन की मेज पर रख दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—4426/73.]

कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कारखाने की औद्योगिक क्षमता

2410. श्री रणबहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोरबा में घोषणा की थी कि बिलासपुर जिले में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कम्पनी के कारखाने में इस वर्ष मार्च महीने से एल्युमिनियम का उत्पादन शुरू हो जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उद्योगपतियों को कोरबा में उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा नये एकक स्थापित करने के लिए क्या रियायतें दी जा रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्युमिनियम परियोजना की प्रथम प्रावस्था अर्थात् एल्युमिना संयंत्र के अप्रैल, 1973 में चालू होने की संभावना है। परियोजना की द्वितीय प्रावस्था अर्थात् प्रद्रावक के, 1974 के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होने वाली प्रावस्थाओं में, चालू किए जाने की संभावना है।

(ख) 2,00,000 टन प्रतिवर्ष वाले एल्युमिना संयंत्र की कुल पूँजी लागत 39.19 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। कोरबा प्रद्रावक और गढ़ाई प्रसुविधाओं की लागत लगभग 152 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। प्रद्रावक की क्षमता 1,00,000 टन एल्युमिनियम धातु प्रतिवर्ष होगी।

(ग) परियोजना के एल्युमिनियम प्रदावक के 1974 में चालू होने पर ही, कोरबा में सहायक एककों के लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र बन सकेगा।

Steel Production in Steel Plants in Public Sector

2411. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state the steel production in each Steel Plant under Public Sector during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : The production of ingot steel and saleable steel from each of the public sector steel plants under Hindustan Steel Limited during the years 1970-71 and 1971-72 and during the period April, 1972 to February, 1973 was as under :

	(in ,000 tonnes)		
	Bhilai Steel Plant	Durgapur Steel Plant	Rourkela Steel Plant
<i>Ingot Steel</i>			
1970-71	1,940	634	1,038
1971-72	1,953	700	823
April, 72 to February, '73* (11 months)	1,895.5	638.4	1,060.1
<i>Saleable Steel</i>			
1970-71	1,549	413	648
1971-72	1,568	432	597
April, 72 to February, '73* (11 months)	1,570.4	418.4	684.2

*Provisional

खनिज खनन निगम की स्थापना

2412. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए खनिज खनन निगम की क्या शक्तियाँ तथा कार्य हैं; और

(ख) इसका गठन किस प्रकार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क). खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड के कृत्य खनिज निक्षेप की खोज और उसके समुपयोजन के बीच वर्तमान समय अन्तराल को कम करने के लिए उत्साहजनक और वाणिज्यिक दोनों आधार पर, देश के खनिज संसाधनों के शीघ्र समन्वेषण के लिए योजना बनाना, प्रोन्नत करना, संगठित करना और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। इन उद्देश्यों को अभिप्राप्त करने के लिए, निगम अन्य बातों के साथ-साथ, (i) भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, (ii) खनिजों की उपलब्ध राशियों

- को प्रमाणित करने के लिए व्यघन और समन्वेषी खनन पूर्वक्षेत्र संक्रियाएँ, (iii) बिना विलम्ब के उत्पादन आरम्भ करने के लिए समुपयोगी अभिकरण को सौंपने के लिए पूर्वक्षेत्रों के व्यघन और समन्वेषी सह-उत्पादन खनन द्वारा विस्तृत समन्वेषण और समुपयोगी अभिकरणों के परामर्श में पूर्वक्षेत्रों इत्यादि पर साध्यता रिपोर्टों को बनाने के लिए, (iv) खनिज समन्वेषण में संविदा कार्यों को करने के लिए, (v) भारतीय कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी अथवा सरकार के लिए भारत से बाहर खनिज समन्वेषण के लिए संविदाकार्यों को करेगा ।

निगम को मूलतः वही अधिकार हैं जो अन्य स्वशासी पब्लिक सेक्टर नियमों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं । निगम के उद्देश्यों और शक्तियों की विस्तृत गणना निगम के संगम के ज्ञापन और अनुच्छेद में दी गई है जिसकी एक प्रति लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) निगम का प्रबन्ध निदेशक सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त/नाम निर्देशित और सम्यक रूप से संरचित निदेशक मण्डल के परामर्श में निगम का कारबार करता है । प्रबन्ध निदेशक को भूविज्ञान, खनन, व्यघन, रसायन इत्यादि और वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रारम्भ में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से लिए गए प्रशासनिक कार्मिक के नियंत्रण में प्रमुखों द्वारा सहायता पहुँचाई जाती है ।

Missing of Indian Air Force Plann

2413. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a Dakota of the Indian Air Force, engaged in air dropping supplies in some part of Assam during February, 1973, has been missing;

(b) the number of the persons on board therein; and

(c) the results of the searches made to find out the missing Dakota ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, sir.

(b) Eight.

(c) In spite of intensive aerial and ground searches, it has not been possible to locate the missing Dakota so far. A Court of Inquiry has been ordered. Its proceedings have not yet been finalised.

युगान्डा से वापिस आए भारतीय

2414. श्री रोबिन ककोटी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1972 तक युगान्डा से वापिस आए भारतीयों की कुल संख्या क्या है;

(ख) पुनः बसाए गए व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों के पुनर्वास पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 15-8-1972 से 1972 के अन्त तक युगान्डा से 9622 व्यक्ति (विभिन्न देशों के पासपोर्ट वाले या राज्य विहीन) भारत आ गए थे।

(ख) और (ग). भारतीय पासपोर्ट वाले प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। इसे अन्तिम रूप दे दिये जाने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात

2415. श्री आर० वी० बड़े : क्या भारी उद्योग मंत्री 30 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3985 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 तक 4000 में से 32.5 प्रतिशत कटौती करके कितने ट्रैक्टर आयात किये गये और 2000 में से 45 प्रतिशत कटौती करके कितने ट्रैक्टर आयात किये गये; और

(ख) क्या ये सभी ट्रैक्टर 3 मार्च, 1972 को चैकोस्लोवाकिया की फर्म के साथ किए गए करार के अनुसार 31 मार्च, 1973 से पहले आयात कर लिये जायेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा 31-1-1973 तक 32.5 प्रतिशत कटौती करके 1500 पैकों का आयात किया गया है। उन्होंने 45 प्रतिशत कटौती करके अब तक कोई भी पैक का आयात नहीं किया है।

(ख) 31-3-1973 तक 32.5 प्रतिशत कटौती करके 2000 और पैक मिलने की आशा है। इस श्रेणी में शेष 500 पैकों के मार्च, 1973 के अन्त तक जहाज द्वारा भेज दिए जाने की आशा है।

45 प्रतिशत कटौती करके 500 पैक मार्च, 1973 के अंत तक और शेष 1500 पैक अप्रैल-मई, 1973 में जहाज से भेज दिए जाएंगे।

आयुध कारखानों में रोजगार पर लगे लोग

2416. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुध कारखानों में कुल कितने लोग रोजगार पर लगे हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 31-7-72 को 28 आर्डनेंस तथा इक्विपमेंट फैक्ट्रीज तथा हेली व्हीकल फैक्ट्री, आवाडी तथा बर्फ शोधित खुराक कारखाना हजरतपुर में रोजगार पर लगे (दोनों अफसरों तथा अन्य श्रेणियों) की संख्या 1,45,272 थी।

रक्षा सामग्री का मूल्य

2417. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान कितने मूल्य की रक्षा सामग्री का उत्पादन हुआ ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सामग्री का मूल्य (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	डी० जी० ओ० एफ० के अन्तर्गत आर्डनेन्स कारखाने	एच० वी० एफ०	ए० एफ० डी० फैक्टरी	रक्षा क्षेत्र के सरकारी संस्थान	कुल
1970-71	94.28	14.02	1.00	99.41	208.71
1971-72	161.83	18.50	1.71	99.69	281.73
1972-73	162.00*	24.50*	1.98*	123.01*	311.49*

*प्रत्याशित मूल्य

भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान दी गयी सहायता

2418. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन कितनी राशि की सहायता प्रदान की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971-72 में 64.87 लाख रुपये की सहायता दी गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 के दौरान और नवम्बर के अन्त तक 39.67 लाख रुपये की सहायता दी गई है। दिसम्बर 1972 से अब तक खर्च किए गए धन की सूचना, सभी वितरक संस्थाओं से प्राप्त नहीं हुई है परन्तु अनुमान है कि 1972-73 के दौरान भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 73 लाख रुपये की सहायता दी गई।

सिडनी में कार दुर्घटना में मारी गयीं दो भारतीय महिलाओं के लिए क्षतिपूर्ति

2419. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिडनी में रम्य-स्थलों की यात्रा करते हुए एक कार दुर्घटना में दो भारतीय महिलाओं की मृत्यु हो गयी थी ;

(ख) यदि हाँ तो दुर्घटना के तथ्य क्या हैं और मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 16 फरवरी 1973

को श्रीमती दफ्तरी ने सिडनी स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को फोन पर सूचना दी कि सिडनी से 130 मील दूर बाथस्ट टाउन में एक गम्भीर कार दुर्घटना हुई जिससे वह स्वयं और दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में दाखिल किये गए जहाँ उनकी अच्छी तरह देखभाल की गई थी। श्रीमती दफ्तरी और एक अन्य व्यक्ति को मामूली सी चोटें आयीं।

हमारे प्रधान कोंसलावास ने श्रीमती ग्लेडी मेरी अलवाइरस का शव प्राप्त करने, उसे सुगंधित करने एवं उसे एयर इंडिया द्वारा बम्बई भिजवाने में सभी संभव सहायता की। मरने वाली दूसरी भारतीय महिला श्रीमती डोरिस ब्राउन के शव को आस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके पुत्र ने माँग लिया था। हमारे प्रधान कोंसलावास ने संबद्ध आस्ट्रेलियाई अधिकारियों को इस दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट तथा पुलिस जाँच रिपोर्ट की भी एक प्रति देने का अनुरोध किया है। यह सूचना प्राप्त होने पर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

18 से 25 फरवरी 1973 तक मेलबोर्न में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युखेरिस्टिक काँग्रेस में शामिल होने के लिए यह भारतीय दल आस्ट्रेलिया गया था।

अमरीका, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, रूस, जापान और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का शिक्षण

2420. श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की जानकारी के अनुसार अमरीका, पश्चिम जर्मनी, रूस, जापान, ब्रिटेन और अन्य देशों के कितने विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज के मजदूर संघों की बैठक

2421. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज के विभिन्न कारखानों के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की 16 तथा 17 जनवरी, 1973 को बम्बई में बुलाई गयी 2 दिन की बैठक में पारित किये गये प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही हैं।

भारतीय विद्युत सार्थ संघ द्वारा कार्य का निष्पादन

2422. श्री एम० के० कृष्णन् :

श्री दिनेश जोरदार :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत विकास के क्षेत्र में भारतीय विद्युत सार्थ संघ के लिये किस-किस कार्य की परिकल्पना की गयी है;

(ख) उक्त सार्थ संघ की कब स्थापना की गई;

(ग) उक्त सार्थ संघ इस समय क्या-क्या कार्य कर रहा है; और

(घ) उक्त सार्थ संघ ने गत वर्ष के दौरान कुल कितने रुपये का व्यापार किया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आई० सी० पी० वी० का कार्य भारत में तथा बाहर विद्युतशक्ति परियोजनाओं तथा उनके सहायक उद्योगों से सम्बन्धित सभी प्रकार से आवश्यक उपकरणों का सम्भरण करने विशेष रूप से डिजाइन, उत्पादन, निरीक्षण, सम्भरण, निर्माण और उक्त उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चालू करने का कार्य टर्न की अथवा अन्य आधार पर सदस्य कंपनियों को उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकतानुसार अन्य स्रोतों का उपयोग करके पूरा करना है।

(ख) सार्थ समूह (कन्सोर्टियम) का 26 जून, 1969 को कंपनी के रूप में पंजीकरण किया गया।

(ग) सार्थ समूह (कन्सोर्टियम) इस समय तीन निर्यात ठेके तथा पाँच देशी ठेकों के पूरा करने में लगा है जिनका अनुमानित मूल्य 3.5 करोड़ रु० से अधिक है।

(ग) 1971-72 में कुल 7.6 लाख रुपये का व्यापार किया गया।

माल डिब्बा निर्माण उद्योग की बेकार पड़ी क्षमता

2423. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का माल डिब्बा निर्माण उद्योग भारतीय रेलवे की नये माल डिब्बों की सप्लाई की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है और यदि हाँ, तो वर्तमान अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है और वास्तव में कितने माल डिब्बों की सप्लाई कम है;

(ख) देश में माल डिब्बों के उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में उक्त क्षमता कितने समय तक बेकार पड़ी रही; और

(ग) रेलवे की पूरी माँग की सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय रेलवे की माल डिब्बों की आवश्यकता की गणना योजना के पाँच वर्षों के लिए की जाती है। चौथी योजना की अवधि में चार पहियों वाले लगभग 68,776 माल डिब्बों की आवश्यकता है जबकि 62,968.5 माल डिब्बों का उत्पादन किये जाने की आशा है।

(ख) वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता चार पहियों वाले 33,869 माल डिब्बों की है। गत तीन वर्षों में बेकार पड़ी क्षमता इस प्रकार है :

1970	68%
1971	76%
1972	73%

(ग) उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं।

- (1) पर्याप्त अग्रिम आर्डर दे दिये गये हैं।
- (2) रेलवे द्वारा बढ़े हुए उत्पादन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु देश में उपलब्ध इस्पात तथा व्हील सेट की कमी को आयात द्वारा पूरी करना;
- (3) उत्पादन पूरा करने की दृष्टि से रेल डिब्बों के महत्वपूर्ण पुर्जों यथा, सेन्ट्रल बफर केप्लर, रालर बियरिंग, एक्सल बाक्स आदि का समय से संभरण करना।

हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उद्योगों को हुई हानि

2424. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में देश में हुई हड़तालें, तालाबन्दियों और दुर्घटनाओं के कारण भारतीय उद्योगों में हुई हानि का सरकार द्वारा लगाया गया अनुमान क्या है; और

(ख) सरकार को हानि पहुँचाने वाली इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1971 के दौरान, विवादों की संख्या (हड़तालें और तालाबन्दियों) और हानि हुए उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :

वर्ष	विवादों की संख्या (हड़तालें और तालाबन्दियाँ)	हानि हुए उत्पादन का मूल्य (रुपए करोड़ों में)
1971	2,752	90.54 रु० (1,659)

स्टम्प (3) में कोष्ठ में दी गई संख्या उन मामलों की संख्या बताती है जिनसे आँकड़े संबंधित हैं।

अनंतिम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1971 के दौरान कारखानों में दुर्घटनाओं से नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या 35.53 लाख है।

(ख) जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, अनौपचारिक मध्यस्थता, समझौते, न्याय-निर्णय अथवा विवाचन द्वारा हड़तालों और तालाबन्दियों से होने वाली काम बन्दियों को कम-से-कम करना सरकार का उद्देश्य रहा है। औद्योगिक संबंध प्रणालियों में सुधार लाने के लिए, सरकार भी समस्त उपाय निकालने हेतु संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करती है। जहाँ तक औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने का प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई राज्य कारखाना नियमावली में निर्धारित सुरक्षा अवैक्षिताओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। सतत् रूप से उनकी पुनरीक्षा की जा रही है और जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाता है, उनमें सुधार किया जा रहा है। कारखाना निरीक्षणालय को यथा साध्य रूप से सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा उपायों में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं।

भारतीय हिरासत से पाकिस्तानी पत्रकारों की रिहाई

2425. श्री एच० एम० पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हिरासत में पाकिस्तानी पत्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी रिहाई में अवरोध के विभिन्न कारण क्या हैं; और

(ग) क्या पाकिस्तान से इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) 6 पाकिस्तानी पत्रकार, एक केमरामैन और पाकिस्तान टो० वी० निगम के 7 कर्मचारी पूर्वी क्षेत्र में भारत-बंगला देश की सेनाओं की संयुक्त कमान की संरक्षी हिरासत में हैं।

(ख) इस बात को देखते हुए कि यह लोग भारत-बंगला देश की सेनाओं की संयुक्त कमान की संरक्षी हिरासत में अन्य नागरिक बन्दियों की भाँति ही आए हैं, इनसे भिन्न स्तर पर व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक बंगाली पत्रकार पाकिस्तान में रुके पड़े हैं और पाकिस्तान सरकार उन्हें बंगलादेश जाने की अनुमति नहीं दे रही है।

(ग) इस विषय में पाकिस्तान से कोई औपचारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

Recession in Bidi Trade in Jhaka (Bihar)

2426. Shri M. S. Purty : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether about 40 thousand labourers have been rendered jobless as a result of recession in Bidi trade in Jhaka (Bihar); and

(b) if so, the measures adopted by Government to deal with the situation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली की खदानों में होने वाले काम का रोका जाना

2427. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की 200 खदानों में हो रहे काम को 22 दिसम्बर, 1972 से रोक दिया गया है;

(ख) क्या लगभग 10000 खनिकों को बेकार होना पड़ा है और उनका प्रत्येक दिन भूख और भुखमरी की आशंका से भयभीत होकर गुजरता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में अगर कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 200 खदानों में नहीं बल्कि मैसर्स किरण पाल पाल एण्ड कम्पनी, दिल्ली की खदानों के 35 मिलों में 22-12-1972 को काम बन्द कर दिया गया ।

(ख) इन मिलों में काम के बन्द हो जाने से 10,000 नहीं बल्कि लगभग 2,000 श्रमिक बेरोजगार हुए । किसी के भूख से मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के पश्चात्, 4 पिटों में कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया और अब 315 श्रमिक कार्य कर रहे हैं । अन्य पिटों से संबंधित प्रबंध तंत्र को अन्य खदानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का परामर्श दिया गया है ताकि वे पुनः कार्य प्रारम्भ कर सकें ।

बदरपुर खदान में पाँच व्यक्तियों की मृत्यु

2428. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जनवरी, 1973 को बदरपुर खदान (फतहपुर बेरी) दिल्ली में पाँच व्यक्ति जिन्दा दब कर मर गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी ने इस मामले की जाँच की थी । उनकी रिपोर्ट के अनुसार, किसी ने 29-12-1972 को 17:50 बजे महरौली पुलिस स्टेशन को टेलीफोन किया कि खदान में पाँच व्यक्ति दब गए हैं । स्टेशन हाउस अधिकारी ने इसकी तुरन्त जाँच की और यह बात असत्य पाई गई ।

राजस्थान के कैम्पों में रखे गये पाकिस्तानी विस्थापितों का पाकिस्तान वापस जाने के लिए अनिच्छा प्रकट करना

2429. श्री एच० एम० पटेल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान सैक्टर कैम्पों में रखे गये अधिकांश पाकिस्तानी विस्थापित, जो पैदल अथवा ऊंटों पर बाड़मेर जिले में आ गये थे, पाकिस्तान वापस जाने के इच्छुक नहीं हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार इसे मानवीय समस्या के रूप में मानती है और आशा करती है कि पाकिस्तान सरकार आवश्यक स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी ताकि प्रभावित व्यक्ति पाकिस्तान में अपने घरों को सुरक्षा तथा सम्मान पूर्वक लौट जायें ।

युद्ध बन्धियों के शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था

2430. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध बन्धियों के शिविरों में अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी शिविर में युद्ध बन्धियों के भागने के प्रयास को असफल बनाया जा सके ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : किसी बन्दी द्वारा भागने के प्रयत्न को विफल करने के लिए सभी युद्ध बन्दी शिविरों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध लागू हैं ।

राज्यों में बोनस माँग दिवस

2431. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8.33% बोनस की माँग को लेकर केन्द्रीय और सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 जनवरी, 1973 को माँग दिवस के रूप में मनाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में उक्त माँग दिवस मनाया गया; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के इस आन्दोलन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). समाचार-पत्रों की रिपोर्ट यह संकेत करेंगी कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 8.33% के न्यूनतम बोनस के भुगतान की माँग के लिए विभिन्न राज्यों में सभायें आयोजित की गई थीं। इस प्रकार के कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिधि से अलग रखे गए हैं और वर्तमान स्थिति को बदलने का इस समय इरादा नहीं है।

Whereabouts of Flying Officer Shri Sudhir Tyagi

2432. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Hunter aircraft of Flying Officer Shri Sudhir Tyagi was encircled, damaged and shot down by six Mirage aircraft of Pakistan on the 4th December 1971, when he attacked Pakistani military establishments near Peshawar and he was taken into custody by Pakistan; and

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Flying Officer Sudhir Tyagi was on a mission to attack a military airfield near Peshawar in a two aircraft formation on 4th December 1971. He failed to return to base.

According to the information received from Pakistan through the International Committee of Red Cross the wreckage of one IAF aircraft, which was shot down on 4th December 1971 near Peshawar, was located. But the identity of the pilot could not be established as no documents or personal effects could be recovered. Flying Officer Tyagi was not reported as a Prisoner of War and he is still on the missing list. No information has been received about Flying Officer Tyagi from the I. C. R. C. so far. However, it has been intimated by the I. C. R. C. that Pakistani authorities have denied the suggestion that any Military personnel is being kept by Pakistan without declaring him as a Prisoner of War.

कोयले की दुलाई और उसकी सप्लाई की स्थिति

2433. श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता के उपयोग के लिए कोयले की दुलाई और उसकी सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन तत्संबंधी अवधियों के दौरान मूल्यों के उतार-चढ़ाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1973 में कोयले की संभावित दुलाई और सप्लाई की स्थिति एवं संभावित नियंत्रित मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भी विभिन्न कोयला क्षेत्रों से लदान किए गए वैगनों की दैनिक औसतन संख्या निम्नलिखित प्रकार से रही :—

वर्ष	बंगाल बिहार	दूरस्थ क्षेत्र	कुल
1969-70	6242	1934	8186
1970-71	5542	2015	7557
1971-72	5647	2185	7830
1972-73	5684	2339	8023

(फरवरी, 1973 तक)

बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से लदान में सुधार के लिए रेलवे सतत् प्रयास कर रहा है। प्रेषण की स्थिति में जो अब सुधारात्मक प्रवृत्ति दर्शित कर रही है, 1973 में और अधिक सुधार होने की आशा है।

24 जुलाई, 1967 से कोयले की कीमत में कोई नियंत्रण नहीं रहा है। विगत 3 वर्षों के दौरान, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में, जो कोयले की किस्म, उत्पादन-क्षेत्र और उत्पादकों तथा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मध्य हुए करारों पर निर्भर करती है, भिन्नता हुई।

उत्तर प्रदेश में पाले से मरे सैन्य कर्मचारी

2434. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-प्रदेश के पिथौरायढ़ जिले में कुछ सैन्य कर्मचारी पाले से मर गये हैं;

(ख) क्या इन मौतों का कारण हमारे उन सैनिकों के लिए सुदृढ़ आवासों का न होना था, जो काफी ऊँचाई पर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे थे; और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कोई राशि दी गई है और इस प्रकार की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Supply of Buses to Bangla Desh

2435. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether an agreement has been signed between India and Bangladesh recently for supply of 150 buses to Bangladesh; and

(b) if so, the broad outlines of the terms and conditions thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes Sir. A credit agreement was signed between the Government of India and the Government of Bangladesh on 29 January, 1973 to enable the Bangladesh Government to buy 150 buses from India.

(b) The total amount of the credit is Rs. 13,322,000/—which carries an interest of 6% per annum. The principal amount of the loan is repayable in 15 years, including a grace period of 5 years, in equal semi-annual instalments payable on 30th June and 31st December each year, commencing from 30th June, 1978.

हनोई में अमरीकी बमबारी से भारतीय दूतावास को हुई क्षति

2436. श्री दशरथ देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 दिसम्बर, 1972 को हनोई में की गई बमबारी के परिणामस्वरूप भारतीय दूतावास तथा स्टाफ क्वार्टरों को अनुमानतः कितने धन की क्षति हुई;

(ख) क्या इसके लिए अमरीका सरकार को कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ग) क्या क्षति के लिए मुआवजे की मांग की गई है; और यदि हाँ, तो अमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस प्रकार के अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारियों ने हम पर अदायगी की कोई जिम्मेदारी डाले बगैर इमारतों की मरम्मत करा दी ।

(ख) जी हाँ । नई दिल्ली स्थित अमरीकी कार्यवाहक से जबानी विरोध प्रकट कर दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

Manufacture of Mini Tractors

2437. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Heavy Industry be pleased to state :

(a) whether 'Automotive Agriculturists' a Bombay firm, have formulated a scheme to manufacture mini tractors; and

(b) if so, the main features thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No such scheme has been brought to the notice of the Ministry of Heavy Industry.

(b) Does not arise.

Tractors Manufactured in the Country and Their Prices

2548. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of Heavy Industry be pleased to state :

- (a) the number of tractors manufactured in the country during the last two years;
- (b) the names of the companies manufacturing tractors with 100 per cent indigenous material as also the names of those which are manufacturing tractors with foreign collaboration; and
- (c) the percentage of increase in the prices of various types of tractors (Zetor, Ferguson, Hindustan, Escort, Isser, Ford and Kirloskar) during the past years and their prices in March, 1971 and in January, 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) The production of tractors during the past two years has been as under :

1971	...	16,440 Nos.
1972	...	18,301 „

(b) At present no unit is manufacturing agricultural tractors with 100% indigenous content. The following units are manufacturing tractors with foreign collaboration :—

1. M/s. International Tractor Co. of India Ltd., Bombay.
2. M/s. Tractors and Farm Equipment Ltd., Madras.
3. M/s. Escorts Ltd., Faridabad.
4. M/s. Escorts Tractors Ltd., Faridabad.
5. M/s. Eicher Tractors Ltd., Faridabad,
6. M/s. Hindustan Tractors Ltd., Baroda.
7. M/s. Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.

(c) The information is given in the statement attached. [*Placed in Library. See No. L. T.—4427/73.*]

बम्बई पत्तन में गोदी श्रमिकों की कमी

2439. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या जहाज संचालकों ने बम्बई पत्तन में गोदी श्रमिकों की कमी के संबंध में शिकायत की है;
- (ख) क्या शिकायत का कोई आधार है; और
- (ग) यदि हाँ, तो क्या इस कमी को दूर करने के बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हाँ ।

(ख) बम्बई में गोदी श्रमिकों की कोई आम कमी नहीं है, हालांकि अस्थायी सामयिक कमियों और/या जहाजों के इकट्ठा होने के कारण कभी-कभी कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं । इसके विपरीत, कुछ अवसरों पर कुछ श्रमिकों के लिए कुछ दिन रोजगार भी नहीं पाया जा सकता ।

(ग) श्रमिकों की पर्याप्तता की बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जाती है ।

इंडियन कोआपरेशन मिशन, नेपाल से संबद्ध औषधालय

2440. श्री राजदेव सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० पी० आर०, ई० डब्ल्यू० एच० और एम० आर० एम० के अंतर्गत इंडिया कोआपरेशन मिशन, नेपाल से संबद्ध औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन औषधालयों में काम कर रहे फारमासिस्टों के कर्तव्य और दायित्व क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नेपाल में हमारे भारतीय सहयोग मिशन के साथ दस डिस्पेन्सरियाँ हैं और वे महेन्द्र राजमार्ग, इसे ईस्ट-वेस्ट हाईवे भी कहते हैं, पर हैं । सोनाली-पोखरा रोड पर भारतीय सहयोग मिशन की कोई डिस्पेन्सरी नहीं है क्योंकि वह प्रायोजना नेपाल में महामहिम की सरकार को सौंप दी गई है ।

(ख) इन डिस्पेन्सरियों में काम करने वाले औषधकारक लोग महेन्द्र राजमार्ग प्रायोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की औषध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

कोचीन पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2441. श्री सी० जनार्दनन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के गोदी कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की माँगें क्या हैं; और

(ग) हड़ताल समाप्त कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कोचीन पत्तन के स्टीमर एजेंटों के अधीन, काम करने वाले स्टीमर पर्यवेक्षकों और सहायक पर्यवेक्षकों ने 8 जनवरी, 1973 को 24 घंटों की सांकेतिक हड़ताल की ।

(ख) मुख्य माँग स्थायीकरण से संबंधित थी ।

(ग) विचार-विमर्श के फलस्वरूप यह मंजूर किया गया कि संबंधित पक्ष ब्यौरे तैयार करेंगे और सरकार को स्थायीकरण आरम्भ करने के लिए कहेंगे और यह कि अन्तरिम अवधि के दौरान, अनौपचारिक आधार पर आवर्ती बुकिंग आरम्भ की जायेगी और श्रमिक अतिरिक्त भत्ता पायेंगे।

बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरणों का देश में उत्पादन

2442. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरणों के देश में उत्पादन में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० द्वारा बिजली पैदा करने के उपकरणों का निर्माण करने की क्षमता अधिष्ठापित करने का पूर्व आधारित कार्य अब अपनी अन्तिम अवस्था में है। उच्चस्तरीय मांग को पूरा करने के लिए किया जाने वाला आवश्यक विस्तार क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है। राज्य विद्युत बोर्डों से देरी से तथा अनियमित रूप में मिलने वाले क्रयादेशों के संबंध में प्राप्त पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने कम से कम अवधि में सभी एककों में इष्टतम स्तर तक अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए क्रियान्वयन हेतु योजनायें तैयार की हैं। बिजली पैदा करने वाले उपकरणों के संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा क्रयादेश देने में विलम्ब होने के कारण जहाँ पूरे क्रयादेश नहीं मिले हैं, वहाँ निकट भविष्य में क्रयादेश प्राप्त होने की आशा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० ने अन्तिम रूप में उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। मैटीरियल प्लानिंग; मैन पावर प्लानिंग तथा पद्धति और प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इन अभ्युपायों से देश में बिजली पैदा करने वाले उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।

Division of Work between G. S. I. and State Organisations

2443. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether the Geological Programming Board had taken a decision in its fifth meeting held on the 10th September, 1970 that there must be some guidelines for divisions of work in G. S. I. and State Organisations;

(b) if so, the manner in which this decision has been implemented; and

(c) in case it has not been implemented, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Yes, sir.

(b) The subsequent field programmes of the Geological Survey of India were drawn up and implemented in accordance with the broad guidelines adopted in the fifth meeting of the Geological programming Board held on 10th September, 1970.

(c) Does not arise.

उगान्डा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का गुजरात तथा अन्य राज्यों में पुनर्वास

2444. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उगान्डा से स्वदेश लौटे अनेक व्यक्तियों का पुनर्वास किया है;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई है; और

(ग) उगान्डा से स्वदेश वापस लौटे कितने व्यक्तियों को अब तक विभिन्न राज्यों में बसाया जा चुका है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस संबंध में राज्य सरकार के सुझावों पर स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिए तैयार की जा रही सामान्य योजना के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है। इस बीच में, राज्य सरकार ने पात्र मामलों में 500 रु० प्रति परिवार की दर से तदर्थ अनुदान मंजूर किया है।

(ख) जी हाँ, चूँकि अभी पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है इसलिए गुजरात राज्य या किसी अन्य राज्य को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अभी तक नहीं दी गई है।

(ग) 15-8-1972 से 11-2-1973 तक युगान्डा से भारत लौटे व्यक्तियों की कुल संख्या 9,763 है। वे विभिन्न राज्यों में चले गए हैं। परन्तु उन्हें अभी बसाया जाना है।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को हुई हानि

2445. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के शुरू होने के बाद से अब तक उसे कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) आवर्ती हानियों के सही कारण क्या हैं;

(ग) हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को लाभ में चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) यह कारखाना कब तक लाभ कमाना शुरू कर देगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). प्रारम्भ से लेकर हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल को दिनांक 31 मार्च, 1972 तक कुल मिलाकर 58.98

करोड़ रु० की हानि उठानी पड़ी है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० जैसे उपक्रम में जिसमें भारी निवेश किया जाता है तथा अत्यन्त सूक्ष्म प्रकार की वस्तुएं बनती हैं और प्रारम्भिक काल लम्बा होता है जैसा कि 1956 में विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट अनुमान लगाया गया था, निर्माण काल में हानियाँ हुआ ही करती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृति दिए जाने के उपरान्त उत्पादन में और भी परिवर्तन किए गए तथा निर्माण की दिशा में स्टीम टर्बाइन जिनका उल्लेख मूल रिपोर्ट में नहीं था तथा जिसमें भारी निवेश अन्तर्ग्रस्त था, सम्मिलित किए गए थे। बड़ी बस्ती जिसमें अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाएं जुटाई गईं के कारण भी लागत बढ़ी। और भी कारणों जैसे संयंत्रों, मशीनों, कच्चे माल तथा पुर्जों पर बढ़ा हुआ आयात शुल्क 1966 में भारतीय रु० तथा 1967 में अंग्रेजी पाँड के अवमूल्यन का प्रभाव तथा बढ़ी हुई मजदूरी, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अंशदायी भविष्य निधि, बोनस आदि जैसी सार्वधिक अदायगियाँ आदि वे तथ्य तैयार करते समय नहीं लगाया जा सकता था परन्तु जिनकी वजह से हानियाँ और भी बढ़ती चली गईं।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० के कार्य संचालन में सुधार करके और उसे लाभ पर चलाने वाला उद्यम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए और उठाए जा रहे हैं :

1. सरकारी उपक्रमों की कार्य समिति की सिफारिशों के अनुसार उच्चतम तथा मध्यम स्तर पर प्रबन्ध का पुनर्गठन किया गया है।
2. कार्यों के समय चक्र में सुधार करने के लिए किए जाने वाले अभ्युपायों का पता लगाने की दृष्टि से निर्माणशाला में विस्तृत अध्ययन किए गए हैं।
3. बेकार समय को न्यूनतम करने की दृष्टि से कड़ा नियंत्रण लगाया जा रहा है।
4. निर्माणशाला में अनुशासन में सुधार करने तथा समुचित निरीक्षण को सुनिश्चित करने हेतु कड़े अनुशासनात्मक उपाय किए गए हैं।
5. उत्पादन अनुकूलतम स्तर तक पहुँचाने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं चलाना और साथ ही अनुपस्थिति में कमी करने के प्रस्ताव भी लागू किए गए हैं।
6. सामग्री और पुर्जों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया गया है कि पर्याप्त समय पहले खतरे के संकेत दिए जाएं ताकि वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा सके और सामग्री प्रबन्ध तथा उत्पादन नियन्त्रण प्रभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
7. विभिन्न सामग्री तथा पुर्जों के सम्बन्ध में सहायक उद्योग स्थापित करना ताकि देश में ही इनके स्रोतों का विकास किया जा सके।
8. कम्पनी के पूंजीगत ढाँचे का पुनर्गठन करना जिसके अन्तर्गत 1-4-72 से तीन वर्षों तक की अवधि के लिए ऋण की किश्तों तथा उस पर ब्याज की अदायगी के लिए मोहलत दी गई है।
9. उपर्युक्त अभ्युपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1971-72 में कम्पनी ने 89 लाख रु० का लाभ कमाया है। आगामी वर्षों में अधिक लाभ होने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना

2446. श्री मुस्तियार सिंह मलिक :

श्री के० मालन्ना :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना बनाने के बारे में जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था उसे छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). योजना आयोग इस समय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि यात्री कारों की तुलना में सार्वजनिक वाहन का सापेक्षतः अर्थव्यवस्था लागत और लाभ कितना है। सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित छोटी कार परियोजना पर अन्तिम निर्णय इस जाँच के पूरा हो जाने के बाद किया जाएगा।

**Crisis in Britannia Engineering Company (Wagon Division) Due to
Non-payment of dues to Workers**

2447. Shri M. S. Purty : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the effect that the Britannia Engineering Company (Wagon Division) factory of Mokama (Bihar) is passing through an acute crisis at present as a result of non-payment of arrears of pay and bonus to its workers by it;

(b) if so, whether this factory is being mismanaged for the last many years; and

(c) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). The State Government who are principally concerned have asked the management to pay the workers their arrears of wages, bonus and all other dues before effecting the closure. According to the information made available by the Ministry of Heavy Industry, the Company has stated that the working results of the Wagon Unit at Mokameh had been unfavourable since 1966-67, substantial installed capacity had remained idle contributing to recurring heavy losses, and there was complete lack of financial resources to continue to run the Wagon Unit. It has been decided to set up an investigation Committee under the Industries (Development and Regulation) Act to look into the affairs of this unit.

दिल्ली में ठेका मजदूरों को वेतन सहित अवकाश तथा चिकित्सा सहायता देना

2448. श्री भागवत झा आजाद : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में, ठेका मजदूरों को वेतन सहित अवकाश तथा चिकित्सा सहायता जैसी सुविधायें देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1972 द्वारा ठेकेदार से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहाँ उसने ठेका श्रमिक नियोजित कर रखे हैं, विहित वस्तुओं से सुसज्जित एक प्रथमोपचार बक्से की व्यवस्था करे और उसकी देख-रेख करे। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली में यह निर्धारित किया गया है कि ठेका श्रमिक उन्हीं मजदूरी-दरों, छुट्टियों, कार्य-घंटों और अन्य सेवा-शर्तों के हकदार होंगे जिनपर प्रतिष्ठान के मुख्य नियोजन ने उसी काम पर या वैसे ही काम पर श्रमिकों को नियोजित कर रखा हो।

बजाज (वेस्पा) और लम्ब्रेटा स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि

2449. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वेस्पा (बजाज) और लम्ब्रेटा स्कूटरों की काफी माँग है और इस कारण आवेदनकर्ता को 8 से 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और क्या उत्पादन को 4 से 10 गुना बढ़ा कर स्थिति को सुधारने के लिए जाँच की गई है ताकि प्रतीक्षा करने वाले आवेदनकर्ता अपना धैर्य न छोड़ दें;

(ख) दोनों किस्मों के स्कूटरों का उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ नए कारखाने बनाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। बजाज और लम्ब्रेटा स्कूटरों की बहुत अधिक माँग है तथा प्रतीक्षा अवधि अभी भी काफी लम्बी है। स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक अभ्युपाय किए गये हैं तथा किए जा रहे हैं।

(ख) 1972 में 60,000 से अधिक स्कूटरों का उत्पादन हुआ।

(ग) प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटर बनाने की क्षमता का बहुलांश सरकारी अंशधारिता वाला एक कारखाना संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा 72,000 स्कूटरों की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। प्रतिवर्ष 5,46,000 स्कूटर बनाने के लिये आशय पत्र भी जारी किए गये हैं।

फिएट कार के उत्पादन का बढ़ाया जाना

2450. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिएट कार खरीदने वाले व्यक्ति को कार बुक कराने की तिथि से 15 वर्ष से 18 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है? क्या उत्पादन को, यदि अधिक नहीं, तो कम से कम 15 प्रतिशत तक बढ़ाना सम्भव नहीं है; और

(ख) फिएट कार का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-12-1972 को प्रीमियर प्रेजिडेंट कारों के लिए बकाया आर्डरों की संख्या 54,419 थी। 1972 में 13,703 कारों का उत्पादन हुआ था। ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे निर्माता प्रतिवर्ष 14,000 कारों का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं।

उत्पादन स्तर बढ़ा कर 18,000 तक कर देने के लिये कंपनी से प्राप्त एक आवेदन सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब के प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल

2451. श्री राजदेव सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब के अनेक प्रादेशिक भाषा के पत्रों में कई सप्ताह से हड़ताल चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों और नियोक्ताओं के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). जालंधर के 12 भाषा समाचार पत्रों में पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों ने हाल ही में अपनी परिलब्धियों में वृद्धि की माँग के समर्थन में हड़ताल की थी। मामला अनिवार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचनानुसार, हड़ताल को राज्य औद्योगिक सम्पर्क तंत्र के हस्तक्षेप के बाद जनवरी 9, 1973 को वापस ले लिया गया था। कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि की माँग को राज्य सरकार ने न्याय-निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया है।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में वृद्धि

2452. श्री राजदेव सिंह : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अप्रैल-सितम्बर, 1972 के दौरान फ़ैक्टरी के तैयार माल का उत्पादन 11.65 करोड़ रुपये का था जबकि गत वर्ष 1971 के इन्हीं महीनों में यह उत्पादन 7.52 करोड़ रुपये का था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उत्पादन में निरन्तर रूप से इस विकास के जारी रहने की आशा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ।

उड़ीसा के कोरापट जिले में एल्युमीनियम फैक्टरी के बारे में हुई प्रगति

2453. श्री डी० के० पंडा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापट जिले में एल्युमीनियम फैक्ट्री लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मैसर्स भारतीय ऐल्यूमीनियम निगम, कलकत्ता को दिसम्बर, 1974 तक प्रतिवर्ष 30,000 टन ऐल्यूमीनियम धातु के उत्पादन के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में जैपुर के निकट नए उपक्रम की स्थापना के लिए 16 फरवरी, 1971 को औद्योगिक अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी।

(ख) कम्पनी ने यह बताया है कि उसने परियोजना के लिए उसे अनुदत्त औद्योगिक अनुज्ञप्ति के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन परियोजना के सम्पूर्ण में विलम्ब होने की संभावना है क्योंकि रेलवे द्वारा अभी तक परियोजन स्थल पर अपेक्षित रेलवे साईडिंग की स्वीकृति नहीं दी गई है। कम्पनी को यह भी आशंका है कि नई परियोजना पर विनिहित की जाने वाली पूंजी पर प्रक्षिप्त प्रतिफल पर्याप्त नहीं होगा, अतः सरकार को यह अभ्यावेदित किया है कि अधिकतर पूंजी लागत से स्थापित किए जाने वाले ऐल्यूमीनियम संयंत्र को वर्धित विक्रय-कीमत और उत्पादन शुल्क में रिबेट जैसे विशिष्ट प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। मामला सरकार के विचाराधीन है।

मऊ छावनी के लिए जल सप्लाई योजना

2454. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय को यह अनुरोध किया है कि वह मऊ के लिए जल सप्लाई योजना हेतु मऊ छावनी द्वारा भेजी गई 3.5 लाख रुपये की मांग को शीघ्र स्वीकृति दे दें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं, श्रीमन्।

इन्दौर नर्मदा जल सप्लाई योजना

2455. श्री रणबहादुर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर नर्मदा जल सप्लाई योजना की निर्माण लागत संबंधी उनके मंत्रालय की योजना की स्वीकृति के बारे में कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मध्य प्रदेश शासन ने रक्षा मंत्रालय से नर्मदा जल पूर्ति योजना से रक्षा आवश्यकताओं के लिए जल लेने के कारण उसके लागत का अनुपात में भाग देने का अनुरोध किया है।

(ख) जहाँ तक सुनिश्चित वित्तीय सहभागिता का प्रश्न है मामला विचाराधीन है।

दिल्ली के कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण हुई हानि

2456. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 27 दिसम्बर, 1972 को दिल्ली के पाँच कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण श्रम घंटे तथा माल के रूप में कितनी हानि हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना एकत्र की जा रही है।

उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए सेंट्रल प्रूफ एस्टैब्लिशमेंट फैक्टरी

2457. **श्री पी० के० देव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित उपकरणों को प्रमाणित करने हेतु एक सेंट्रल प्रूफ एस्टैब्लिशमेंट फैक्टरी बनी हुई है;

(ख) इस कारखाने की क्षमता क्या है; और

(ग) क्या इसी उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कारखाने खोलने की कोई योजनाएँ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमन् । आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए इटारसी, मध्य प्रदेश में एक सेंट्रल प्रूफ एस्टैब्लिशमेंट चालू कर दी गई है।

(ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् । ऐसे उद्देश्यों के लिए कोई अतिरिक्त एस्टैब्लिशमेंट खोलने की इस समय कोई योजना नहीं है।

चीन द्वारा शस्त्रों के निर्माण में वृद्धि

2458. **श्री मुस्तियार सिंह मलिक :**

श्री के० मालन्ना :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से चीन में शस्त्रों का उत्पादन अधिक और अत्यधिक आधुनिक होता जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने चीन द्वारा बनाये गये इस शस्त्र भंडार के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर लिया है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग). सरकार को इन पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी है । हमारी अपनी योजनाओं तथा तैयारियों का पुनरीक्षण करते समय इनको ध्यान में रखा जाता है ।

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि

2459. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक करोड़ की राशि वाली लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि की 60 प्रतिशत से अधिक की राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निधि का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कच्चा लोहा खान श्रम कल्याण निधि के लिए 1-10-1963 से लेकर एकत्रित उपकर की लगभग 616 लाख रुपये की कुल राशि में से, 58 प्रतिशत का इस समय तक उपयोग नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में कल्याण योजनाओं पर व्यय करने की प्रगति धीमी थी । तथापि, प्रारूप कल्याण योजनाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, व्यय की गति पर्याप्त रूप में 1963-64 के दौरान 3.67 लाख रुपये से 1971-72 के दौरान 68.35 लाख रुपये बढ़ गई है । तीन केन्द्रीय अस्पताल मंजूर किए गए हैं और इन पर किये जाने वाले व्यय के साथ, कल्याण संगठन का वार्षिक व्यय उपकर से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय के बराबर हो जाएगा ।

‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणियों में वर्गीकृत विदेशों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाएँ

2460. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय में कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणियों में वर्गीकृत देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) कर्मचारियों को प्रत्येक श्रेणी में सुविधाओं सहित भत्ते और कार्यविधि क्या प्रदान की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4428/73.]

(ख) 1. प्रतिनिधिक वर्ग के सभी अधिकारियों के लिए सभी जगहों पर कार्य-अवधि तीन वर्ष सिवाय उन 'ग' की जगहों के जिन्हें संलग्न विवरण में (*) का चिह्न लगाकर दिखाया गया है और जहाँ कार्य-अवधि सामान्यतया 2 वर्ष है। अन्य वर्ग के अधिकारियों के लिए 'क' और 'ख' वर्ग की जगहों की कार्य-अवधि 3 वर्ष है और 'ग' वर्ग की जगहों की दो वर्ष।

2. भारत में मिलने वाले वेतन (भत्ते शामिल नहीं) के अलावा विदेश में सेवारत कर्मचारी निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार हैं—

- (i) विदेश भत्ता, जो हर जगह के रहन-सहन के खर्च के अनुसार अलग-अलग है;
- (ii) दो बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता जो विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 150 रु० प्रति-माह प्रति बच्चे की दर से और भारत में पढ़ने वाले बच्चों को 80 रु० प्रति-माह की दर से दिया जाता है।
- (iii) पहली पोस्टिंग के समय वस्त्रादि के लिए भत्ता मिलता है जो बाद में विदेश की सेवा के लिए आवश्यक अतिरिक्त कपड़ों के खर्च को पूरा करने के लिए पुनर्नवीकृत किया जाता है और कुछ विशेष स्टेशनों के लिए, जहाँ बहुत अधिक सर्दी के कारण विशेष कपड़ों की आवश्यकता होती है, विशेष वस्त्रादि भत्ता दिया जाता है।

3. विदेश में सेवारत कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएँ संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (i) निःशुल्क सुसज्जित आवास;
- (ii) सहायीकृत चिकित्सा सेवा के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ;
- (iii) छुट्टियों के दौरान वर्ष में एक बार दो बच्चों को माता-पिता के पास आने-जाने के लिए छुट्टी मार्ग-व्यय;
- (iv) अधिकारियों और उनके परिवारों को दो वर्ष में एक बार भारत की यात्रा के लिए मार्ग व्यय;
- (v) विदेश सेवा के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त छुट्टी।

4. (i) विशेष रियायत के रूप में, 'ग' वर्ग की जगहों पर नियुक्त प्रतिनिधिक वर्ग के अधिकारी 18 माह वहाँ पूरे करने पर भारत में गृह-अवकाश पर आते समय मार्ग-व्यय पाने के हकदार हैं।

(ii) हनोई और सैगोन में सेवारत कर्मचारियों को विश्राम एवं मनोरंजन के लिए वर्ष में एक बार सरकारी खर्च पर बैंकाक आने-जाने का खर्च मिलता है।

**विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं और परम् वीर चक्र विजेताओं के ग्रामों को
आदर्श ग्राम घोषित किया जाना**

2461. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि देश के उच्चतम शौर्य पुरस्कार, विक्टोरिया क्रॉस और परम् वीर चक्र विजेताओं के ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाये;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग). देश में विक्टोरिया क्रॉस और परमवीर चक्र विजेताओं के ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करने के लिए हाल ही में एक सुझाव प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

रक्षा सेना के कार्मिकों की पेंशन में वृद्धि

2462. श्री समर गुह :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-निवृत्त होने वाले तीनों रक्षा सेनाध्यक्षों द्वारा गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई सेवाओं को देखते हुए उन्हें बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्णय किया है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रक्षा सेवाओं के सैनिकों और अधिकारियों के देशभक्तिपूर्ण साहस को देखते हुए उनके परिवारों को भी ऐसे ही लाभ देने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले युद्ध के दौरान उन सभी सैनिकों, कैंडेटों और अधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं की भी सराहना की है, जिन्होंने अपने तीनों सेनाध्यक्षों के आदेशों को कार्यान्वित करने में प्रशंसनीय साहस दिखाया; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है और यदि नहीं तो सैनिकों और अधिकारियों द्वारा अर्पित सेवाओं के संबंध में सरकार की भेद-भाव पूर्ण नीति के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन् । फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा के मामले में सरकार ने निर्णय किया है कि चीफ आफ आर्मी स्टाफ का पद छोड़ने पर वह आजीवन 'सक्रिय सूची' में बने रहेंगे तथा उन्हें 1600 रुपए प्रति माह की दर से विशेष वेतन स्वीकार किया जायगा जिसमें 1200 रुपए वह भी शामिल होंगे जो उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाफ

के रूप में सेवा निवृत्त होने पर पेंशन के रूप में उपार्जित हुए हैं। एडमिरल एस० एम० नन्दा तथा एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल को 1200 रुपए प्रति माह की सामान्य पेंशन के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति माह अतिरिक्त पेंशन मंजूर की गई है।

(ख) जी हाँ, श्रीमन्। यह निर्णय पहले ही जनवरी, 1972 में कर लिया गया था कि उन रक्षा सेवाओं में सैनिकों तथा अफसरों को जिन्होंने गत युद्ध में जीवन बलिदान कर दिया है, उन्हें मंत्रालय पत्र संख्या 200847/पेन-सी/71. दिनांक 24 फरवरी, 1971 में दिए गए उदार पेंशन अवार्ड मंजूर किए जाएँ।

(ग) तथा (घ). सब अन्य सैनिकों, केडेटों तथा अफसरों के द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता देते हुए निम्नलिखित मेडल मंजूर किए गए हैं—

- (1) संग्राम मेडल
- (2) पूर्वी स्टार
- (4) पश्चिमी स्टार

उन अफसरों तथा जवानों को जिन्होंने महान् साहस प्रदर्शित किया है या जिन्होंने महान् सेवा की है, उन्हें शौर्य तथा अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने जवानों तथा अफसरों के द्वारा की गई सेवा के लिए कोई भी भेद-भाव नहीं किया है।

बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीय सेना की भूमिका का इतिहास

2463. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीय सेना द्वारा अदा की गई भूमिका का इतिहास लिखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य किस इतिहासकार को सौंपा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम : (क) तथा (ख). रक्षा मंत्रालय ने अनेकों पत्रकारों तथा लेखकों को बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिए हमारी रक्षा सेनाओं के द्वारा अदा की गई भूमिका के संबंध में पुस्तकें लिखने के लिए सहायता दी है। निकट भविष्य में ही राष्ट्रीय रक्षा कालेज के तत्वावधान में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के संबंध में एक प्रकाशन निकालने का भी प्रस्ताव है।

1971 की सैनिक संक्रियाओं के संबंध में प्राधिकृत रूप से विवरण प्रकाशित होने में कुछ समय लगेगा। रक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक अनुभाग उन यूनिटों तथा विरचनाओं से जिन्होंने संक्रिया में भाग लिया था, संबंधित सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त है। यथा समय सरकार किसी श्रेष्ठ भारतीय इतिहासकार को, माननीय सदस्य के द्वारा बताई गई अवधि के सैनिक इतिहास की रचना के लिए, सहयोजित करने का विचार करेगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये केन्द्रीय इंजीनियरों तथा डिजाइन ब्यूरो से परामर्शदात्री सेवा प्राप्त करना

2464. श्री आ० पी० उलगनम्बी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के दूसरे चरण को पूरा करने और इसमें और विस्तार करने के लिए केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो के पास परामर्श देने के लिये पर्याप्त विशिष्ट जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो बोकारो के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय इंजीनियरों तथा डिजाइन ब्यूरो से भिन्न किसी परामर्शदाता को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). यद्यपि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए प्रमुख सलाहकार रूसी हैं, कुछ परामर्शदात्री कार्य एक भारतीय परामर्शदात्री संगठन को पौपा गया है। बोकारो स्टील लिमिटेड और इस संगठन के बीच हुए करार में इस संगठन को 40 लाख टन इस्पात पिंड वार्षिक क्षमता तक कारखाने के विस्तार में संबंधी कार्य के लिए इनका लगातार सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था है। तदनुसार भारतीय परामर्शदात्री संगठन को वही काम सौंपे गये हैं जो वह प्रथम चरण के लिए करते रहे हैं जबकि सोवियत परामर्शदाताओं के कार्य केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को सौंपे गये हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी और तीसरी धमन भट्टी के पूरा होने संबंधी कार्य की प्रगति

2465. श्री आर० पी० उलगनम्बी :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की दूसरी धमन भट्टी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितना कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) उस भट्टी में ढाँचे संबंधी कार्य में तथा उपकरण लगाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) बोकारो की तीसरी भट्टी के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण में दूसरी तथा तीसरी भट्टी के पूरा करने और चालू करने में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) दूसरी धमन भट्टी का लगभग 90% सिविल कार्य पूरा हो गया है और केवल लगभग 5,500 घन मीटर कंक्रीट डालने का काम होना बाकी है।

(ख) ढाँचे खड़े करने का 46% और उपकरण लगाने का 38% कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) तीसरी धमन भट्टी का 90% सिविल कार्य पूरा हो चुका है।

(घ) लगभग 32 करोड़ रु०।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की रामगढ़ स्थित कोयला खानों से कोयले का उत्पादन

2466. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मंत्री 30 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2440 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की रामगढ़ स्थित कोयला खानों से कोयले का वास्तविक खनन प्रारंभ करने की समयावधि क्या है और कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : यह आशा की जाती है कि माध्यमिक कोककारी कोयला की उपलब्ध राशियों वाली रामगढ़ I और II खानों से 1975-76 तक उत्पादन आरंभ होगा, जब लगभग 4.50 लाख टन का उत्पादन होगा। 1978-79 तक उत्पादन लगभग 16.50 लाख टन तक पहुँच जाएगा। यह आशा की जाती है कि गैर कोककारी कोयला की उपलब्ध राशियों वाली रामगढ़ III खान से 1977-78 तक उत्पादन आरंभ होगा जब लगभग 1.50 लाख टन का उत्पादन होगा। कोयला खान से 1978-79 तक 2.50 लाख टन का उत्पादन होगा।

बिहार में खनिज निक्षेप

2467. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मंत्री 30 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2549 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन खनिज पदार्थों का पता लगाया जा चुका है उनका खनन हो गया है और वास्तव में कितने खनिज पदार्थ का खनन हो गया है अथवा निकट भविष्य में किया जाना है।

(ख) क्या उत्तर बिहार आरटिरियल पट्टी का कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुखदेव प्रसाद) : (क) वह सीमा जिस तक पहले ही समन्वेषित खनिजों का वास्तविक खनन किया गया है अथवा निकट भविष्य में वास्तविक खनन किया जाना है, नीचे उपदर्शित हैं—

1. **राखा प्रावस्था एक :** राखा खण्ड से 1975 तक प्रतिदिन 1000 टन ताम्र अयस्क के उत्पादन के लिए प्रायोजना स्वीकृत की गई है। इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

2. **राखा प्रावस्था दो :** रोअम-सिद्धेश्वर खण्ड से ताम्र अयस्क के उत्पादन के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कनाडा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट की अगले 6-8 मासों की कालावधि में तैयार हो जाने की संभावना है।

3. भारतीय ताम्र निगम के सुरदा खान की प्रतिदिन 400 टन से 4000 टन तक ताम्र अयस्क के उत्पादन की विस्तारण प्रायोजना विचाराधीन है।

4. भवरथ क्षेत्र के चूनाश्म को बोकारो इस्पात संयंत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुर्निया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, सरन, मुँगेर और दरभंगा जिलों के भागों में भूतलजल अन्वेषण किए हैं और इन क्षेत्रों की भूतलजल सम्भाव्यता निर्धारित हो चुकी है। समन्वेषी नलकूप संगठन ने भी इस क्षेत्र में भूतलजल के लिए समन्वेषण किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के माध्यम से टिन प्लेटों का आयात किया जाना

2468. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबसे टिन प्लेटों का आयात हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से करना आरम्भ किया गया है तभी से कुछ टिन प्लेट निर्माता इस प्रणाली के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं तथा सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि उनका आयात पहले की भाँति राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कराया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो माध्यम के परिवर्तन के क्या कारण हैं तथा निर्माताओं को किन आधारों पर वर्तमान व्यवस्था कम लाभप्रद तथा कम प्रभावकारी प्रतीत हो रही है; और

(ग) क्या वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत टिन प्लेटों का उपयोग करने वालों को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के आयात में से आवश्यक टिन प्लेटों की सप्लाई की जाएगी जबकि पूर्व व्यवस्था के अनुसार राज्य व्यापार निगम से प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत वे आवश्यक टिन प्लेटों का स्वयं आयात कर सकते थे और क्या इस प्रकार सीधा आयात का दुरुपयोग करने के मामलों की सरकार को कोई सूचना मिली है; और यदि हाँ, तो क्या वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत इसको दूर किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). 1 अप्रैल, 1970 से लेकर ओ० टी० एस० सी० (ओपन टॉप सेनीट्री केन), क्वालिटी की टिन प्लेट का आयात

हिन्दुस्तान स्टील लि० के माध्यम से किया जा रहा है। अन्य प्राइम टिन प्लेटों और वेस्ट वेस्ट टिन प्लेट का आयात 1 अप्रैल, 1972 से हिन्दुस्तान स्टील लि० के माध्यम से किया जाने लगा था। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके रिलीज आर्डरों पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। टिन प्लेट का आयात कभी भी राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नहीं किया गया।

सामान्यतः हिन्दुस्तान स्टील लि० से ओ० टी० एस० सी० और सामान्य किस्म की टिन प्लेटों के आयात करने के विरोध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। परन्तु टिन प्लेट फेब्रीकेटर (बम्बई) एसोसिएशन से हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा वेस्ट वेस्ट टिन प्लेट के आयात के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि यदि इस मद का आयात किसी माध्यम से ही किया जाना है तो वे इसे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करना बेहतर समझते हैं जिसके लिए उसे (राज्य व्यापार निगम) एक निर्देश दिया जाए कि वह 2.5% सामान्य सर्विस चार्ज के रूप में वसूल करके प्राधिकार पत्र जारी कर दे ताकि एकक स्वेच्छा से शाख-पत्र खोल सकें और और अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार सामान का सीधे आयात कर सकें। इससे माध्यमीकरण वस्तुतः समाप्त हो जाएगा। अभ्यावेदनों की जाँच की गई थी परन्तु वे स्वीकार नहीं किए जा सकते थे। दूसरे, बड़े उपभोक्ताओं अर्थात् टी चेस्ट फिटिंग्स निर्माताओं आदि से कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं।

सीधे आयात से होने वाली विभिन्न हानियों और विदेशी बाजारों में भारतीय क्रेताओं में आपसी होड़ से बचने के लिए और थोक खरीद तथा परिवहन के लाभ उठाने के लिए सरकार ने माध्यमीकरण की नीति अपनाई है। आयातित माल का चाहे उस का आयात सीधे अथवा माध्यम अभिकरणों के जरिये किया गया हो, दुरुपयोग किए जाने की हालत में आई० टी० सी० नियमों में सख्त जुमनि/सजा की व्यवस्था है।

Central Hospitals for Iron Ore Mine Workers

2469. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the scheme for Government to set up central hospitals in various areas for the workers of iron ore mines; and

(b) the time by which the central hospital in Goa whose foundation stone was laid by him in January, 1972 would start functioning ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Ragunatha Reddy) : (a) The intention is to set up for the present one Central Hospital each in the iron ore producing region of Orissa, Mysore, Bihar and Goa, to provide medical facilities to the workers and their families.

(b) The hospital is likely to start functioning towards the end of this year, by which time the work of construction of the hospital and ancilliary buildings and the staff quarters is expected to be completed.

Implementation of Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1970

2470. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the 'Lok Khadan Shramik Sanshodhan Adhiniam, 1970 (Kalyan)' [Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Act, 1970] is not being enforced because Central Cess Department is hesitating to collect this welfare levy; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). The revised procedure envisaged in the Act provides for collection of cess on all Iron Ore produced in any mine—

(a) as a duty of customs, where such iron ore is exported, or

(b) as a duty of excise, where such iron ore is sold or otherwise disposed of to the occupier of any metallurgical factory or is used by the owner of the mine for any purpose.

The details of the revised procedure are being finalised in consultation with the Excise authorities. In the meantime the cess continues to be collected under the existing procedure.

Posts of Doctors Lying Vacant in Hospitals and Dispensaries for Welfare of Coal and Mica Mine Workers

2471. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of posts of doctors in various grades, which are lying vacant in the hospitals and dispensaries functioning for the welfare of coal and mica mine workers and since then posts are lying vacant;

(b) the number of doctors who are working on ad hoc basis and since when;

(c) the number in which Government propose to meet the shortage of doctors; and

(d) the manner in which the workers are being given proper treatment in the absence of a large number of doctors therein ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The following effective posts are lying vacant :—

Coal Mines Labour Welfare Fund

	No. of clear vacancy	Date of vacancy	Remarks
Supertime Grade II (Rs. 1300-1800)	1	10-2-71	A doctor has accepted the offer and is expected to join shortly.

	No. of clear vacancy	Date of vacancy	Remarks
Specialists' Grade (Rs. 600-1300)	12	Information is being collected.	-----
G. D. O. Grade I (Rs. 450-1250)	12	—do—	
G. D. O. Grade II (Rs. 350-900)	17	—do—	

Mica Mines Labour Welfare Fund

Specialists' Grade	2	—do—	Posts already adver- tised by the U. P. S. C.
G. D. O. Grade I	1	—do—	Efforts being made to fill up the post on ad hoc basis.

(b) Coal Mines Labour Welfare Fund

Supertime Grade II	2	22-9-71	
Specialists' Grade	2	12-7-71 25-2-72	
G. D. O. Grade I	1	1-1-71	
G. D. O. Grade II	14	24-3-70 4-9-70 21-12-70 18-9-70 15-2-71 16-3-71 10-5-71 8-11-71 22-11-71 (2 posts) 3-12-71 10-12-71 (2 posts) 3-4-72	

Mica Mines Labour Welfare Fund

G. D. O. Grade II	8	9-4-69 26-4-69 1-2-71 9-9-69 22-12-69 20-1-71 3-9-71 28-2-72	
-------------------	---	---	--

(c) The posts are included in the Central Health Service Cadre which is controlled by the Department of Health. That Department has posted a number of doctors to these Organisations. If most of them join, the position is likely to improve.

(d) No patient is left unattended. The work is re-distributed amongst the doctors available in the Hospitals and dispensaries.

Visit by Foreign Minister of Egypt

2472. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

- (a) whether the Foreign Minister of Egypt visited India recently;
- (b) the gist of the talk held with him in regard to relations between India and Egypt; and
- (c) whether any talks were also held in regard to Arab-Israel relations, and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :
(a) The Foreign Minister of the Arab Republic of Egypt, H. E. Dr. Mohamed Hassan El Zayyat arrived this morning on a friendly visit and to exchange views on a number of issues of common interest.

(b) and (c). Do not yet arise.

Foreign Minister's visit to Kuwait

2473. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

- (a) the outcome of his recent visit to Kuwait;
- (b) whether any agreement for co-operation between the two countries was arrived at; and
- (c) is so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :
(a) to (b). This visit has led to a good measure of understanding in political, economic and cultural fields between the State of Kuwait and India.

An Inter-Governmental Joint Committee at the official level has been established for economic and technical co-operation. A cultural exchange programme will be elaborated and delegations will be exchanged on economic and technical matters.

खेतिहर श्रमिकों की मजूरी का पुनरीक्षण

2474. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री एम० कतामुतु :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण कब किया गया था;

(ख) कितनी मजूरी नियत की गई थी; और

(ग) राज्यों में वर्तमान मजूरी दरें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है ।

एशिया की सामूहिक सुरक्षा के बारे में रूस के प्रस्ताव पर आगे विचार

2475. श्री रामसहाय पाण्डे :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में रूस के प्रस्ताव पर आगे और बातचीत हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को किसी रूप में क्रियान्वित करने के लिए कोई पहल की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) हमारे साथ बातचीत में सोवियत पक्ष ने बताया है कि एशिया में सामूहिक सुरक्षा के उनके प्रस्ताव का आधार निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत हैं :

- (1) बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी का त्याग;
- (2) राज्यों की प्रभुसत्ता का समादर
- (3) सीमाओं की अनुल्लंघनीयता
- (4) आंतरिक मामलों में अ-हस्तक्षेप
- (5) पूर्ण समानता तथा आपसी हित पर आधारित चहुँमुखी सहकारिता का व्यापक विकास ।

(ग) हमारी दृष्टि में यह क्षेत्र के देशों पर निर्भर करता है कि वे इस विषय से संबद्ध विभिन्न विचारों पर बातचीत करें और एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करके ऐसे रास्ते निकालें और साधन जुटाएं जिससे कि उनकी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता सुरक्षित रह सके और उनमें आपस में सहयोग की भावना मजबूत हो सके ।

Resolution on Bonus Passed at A. I. T. U. C. Conference at Calcutta

2476. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the 29th Conference of the All India Trade Union Congress had been held in Bankim Mukherjee Nagar in Calcutta from the 30th January to the 4th February, 1973;

(b) whether resolution on the demand for bonus was also passed in the said Conference; if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Yes,

(b) Yes. The resolution demands that.

- (i) The Government should forthwith accept the recommendations unanimously made by the representatives of the AITUC, INTUC and HMS providing for bonus to all wage and salary earners in all areas of employment;
 - (ii) The bonus review committee should recommend a new formula based on calculation of bonus on gross profits minus depreciation, with a percentage of the remainder being allocated as bonus, with a statutory minimum of 8.33% and with no ceiling;
 - (iii) The invidious clauses regarding exclusion of new undertakings for five years be removed;
 - (iv) The entire bonus be paid in cash; and
 - (v) The provision regarding 8.33% minimum bonus be made permanent and not limited to one year only.
- (c) The suggestions have been noted.

कुसुन्दा रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकार में लेना

2477. श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुसुन्दा रिफ्रैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड ने, बिहार में कुसुन्दा स्थित अपने रिफ्रैक्टरी संयंत्र को अधिकार में लेने के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है;

(ख) क्या उच्च न्यायालय ने कोयला खान प्राधिकरण के कस्टोडियन जनरल को उक्त संयंत्र को अपने अधिकार में न लेने के लिए अंतरिम रोकामादेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी ने किस आधार पर संयंत्र को अधिकार में लेने के आदेश को चुनौती दी है; और

(घ) क्या इस प्रकार अधिकार में लेने के उपायों पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाने के लिए कोई आवश्यक विधान बनाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) कम्पनी ने मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से संयंत्र के प्रबंध ग्रहण को चुनौती दी है :—

- (1) कम्पनी का गलनरोधी संयंत्र, कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 में यथा-परिभाषित 'खान' नहीं है।
- (2) संयंत्र फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अधीन 'फैक्टरी' के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।
- (3) संयंत्र के कर्मकार कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उनके मामलों में न तो बोनस प्रायोजना अधिनियम, 1948 के उपबंध और न ही कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि 1947 के उपबंध लागू होते हैं।
- (4) कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 की अनुसूची में गलनरोधी संयंत्र या इस कम्पनी का कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पंजाब में हुसैनीवाला और वागाह सीमा पर पाकिस्तान के साथ यातायात खोलने का प्रस्ताव

2478. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री पी० वेंकटसुब्बया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से हुसैनीवाला और वागाह सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच यात्री और व्यापार यातायात खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). शिमला करार के पैरा 3 पर पाकिस्तान के साथ जब बातचीत होगी तब सीमांत जाँच चौकियाँ खोलने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस विषय पर निर्णय करते समय सरकार सभी संबद्ध बातों को ध्यान में रखेगी।

छावनी अधिनियम, 1924 के संशोधन

2479. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छावनी अधिनियम, 1924 की की जाने वाली संशोधनों की जाँच करने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) की स्थापना की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन् । 18-12-72 से अपनी नियुक्ति के छः महीनों के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत मूलक ब्रिटिश नागरिकों द्वारा ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल को ज्ञापन

2480. श्री प्रभुदास पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मूलक ब्रिटिश नागरिकों ने दक्षिण अफ्रीका से निकाले जाने पर बड़ौदा में एक बैठक की और ब्रिटिश सरकार के उस प्रतिनिधिमण्डल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसने ब्रिटेन के पासपोर्ट धारियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल ने समस्या के पूर्ण समाधान के लिए सरकार को आश्वासन दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किन्हीं भारत मूलक ब्रिटिश नागरिकों की जानकारी नहीं है जिन्हें दक्षिण अफ्रीका से निकाल दिया गया हो और न कि यह मालूम है कि ब्रिटिश संसदीय जाति संबंध प्रवर समिति के सदस्य प्रतिनिधियों का कोई ज्ञापन दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रतिनिधिमण्डल ने भारत सरकार के साथ सामान्य विचार-विनिमय किया था और आश्वासन का प्रश्न नहीं उठा ।

**वियतनाम के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा की गई कथित टिप्पणी पर
अमरीका सरकार का विरोध**

2481. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री विदिब चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा वियतनाम के बारे में की गई टिप्पणी पर अमरीकी सरकार ने चिन्ता व्यक्त की थी; और

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने वहाँ स्थित हमारे राजदूत से उक्त टिप्पणी की स्पष्टीकरण करने का अनुरोध किया था और इस बारे में भारत से विरोध प्रकट किया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 6 फरवरी को एक एशिया सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए भाषण के कुछ अंशों से अमरीका को गलतफहमी हुई थी। इन गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है और अमरीका सरकार ने भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा को दुहराया है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परियोजना प्रतिवेदन पर टाटा बन्धुओं को आपत्ति

2482. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने में वित्तपोषण करने पर अपनी आपत्ति प्रकट की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने किस-किस आधार पर आपत्ति की; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). जाहिर है कि अभिप्राय टिस्को के वर्तमान इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए जापान के निप्पन स्टील द्वारा शक्यता प्रतिवेदन तैयार किए जाने से है। अध्ययन का काम सौंपने की स्वीकृति प्राप्त करते समय टिस्को ने बताया था कि चूंकि निप्पन स्टील के साथ उनके लम्बी अवधि से मैत्रीपूर्ण तथा व्यापारिक संबंध हैं इसलिए उन्होंने यह कार्य करना स्वीकार किया है। इसलिए टिस्को शक्यता अध्ययन का काम उनसे करवाना चाहती है तथा उसके लिए खर्च करने को तैयार है।

(ग) शक्यता अध्ययन करवाने और टिस्को द्वारा उसका भुगतान करने की स्वीकृति दे दी गई है। प्रतिवेदन तैयार करने के काम का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण एक कर्णधार समिति करेगी जिसमें सरकार और टिस्को के प्रतिनिधि होंगे और जिसका अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

बेलाडिला परियोजना के एकक में आग लगना

2483. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के एक उत्पादन एकक में हाल ही में आग लगी थी;

(ख) यदि हाँ, तो अग्निकांड से परियोजना को कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या अग्निकांड के कारणों का पता लगाने के लिये जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हाँ । बैलाडिला निक्षेप संख्या 14 की खान की सुरंग में पट्टी-वाहक में 1-2-1973 की प्रातः आग की दुर्घटना हुई जिससे वाहक और उसकी संरचना को क्षति पहुँची । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रारम्भिक निर्धारण के अनुसार क्षति की मरम्मत करने और वाहक को पुनः चालू हालत में लाने के लिए लगभग 15 लाख रुपयों की लागत लगेगी ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने आग की जाँच के लिए समिति गठित की है । उसके निष्कर्ष प्रतीक्षित हैं ।

Strength of Male and Female Personnel in N. C. C.

2484. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total strength of the National Cadet Corps in the country at present and the number of male and female students among them, separately and the total expenditure incurred on them during 1972; and

(b) whether the National Cadet Corps has been registering improvement or decline every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) Total enrolled strength of N. C. C. in the country on 31 December, 1972 is as under—

	Senior Division	Junior Division
Total male students	496,831	615,841
Total female students (viz., Girls Division)	58,221	65,254
TOTAL :	555,052	681,095

The total expenditure on N. C. C. Units based on the above strength is as under—

Centre	—	Rs. 10.45 crores (approx.)
States	—	Rs. 7.83 crores (approx.)

(b) On account of all but one University making N. C. C. training for boys in Colleges, voluntary enrolment in Senior Division has been on the decline in the recent past. Further with a view to ensure optimum utilisation of the available resources—manpower, equipment, finances etc.—it had been decided to restrict enrolment in the Senior Division and Junior Division to 6 lakhs and 7 lakhs in 1972-73. Enrolment in Junior Division had shown steady growth upto the end of 1971-72 and there has been a slight fall in 1972-73. Figures for the years 1969-70 onwards are given below—

Year	Enrolled Strength	
	Senior Division	Junior Division
1969-70	740,337	659,838
1970-71	718,144	678,166
1971-72	666,197	693,235
1972-73	555,052	681,095

Import of Fertilizers

2485. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Supply be pleased to state :

(a) whether the Department of Supply has imported fertilizers from foreign countries during the last three years; if so, the value of fertilizers imported along with the names of those countries; and

(b) the names of the countries from which fertilizers were imported during the last three years without inviting tenders and in case it was done the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir. The countries and value of fertilizers are given in the Statement enclosed.

(b) Italy, West Germany, France, Holland, Belgium, U.K., Japan, Saudi Arabia, Kuwait, South Korea, Finland, U. S. A. and Canada. In view of the short supply of the material in the world market, it was considered advisable to make purchases through negotiations rather than through open tenders.

Statement

Country	Value in Million \$ (approximately)		
	1970	1971	1972
Holland	5.08	1.00	12.33
South Korea	—	2.50	6.52
France	9.21	5.26	11.68
U. K.	3.30	2.67	4.03
Japan	5.00	4.00	33.38
West Germany	4.56	4.62	12.95
Italy	8.92	1.66	0.72
Canada	5.23	20.83	24.34
U. S. A.	7.62	29.42	33.40
Belgium	1.32	0.50	2.74
Saudi Arabia	1.58	—	8.58
Iran	0.48	—	—
Taiwan	—	—	1.22
Kuwait	—	—	11.98
Mexico	—	—	0.93
Finland	—	—	0.64
TOTAL :	52.30	72.46	165.44

Development Work done by Army in Tribal Areas

2486. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether services of Army are utilised for the development works in tribal areas; and

(b) if so, the development works in which army personnel are engaged and which tribal areas and the details of such works undertaken by them during the last two years ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Three Army Development Groups are working in the tribal areas along our Eastern borders—two in Kameng and Tirap Divisions of Arunachal Pradesh and one in Manipur. Each Group has 4 to 5 teams which include medical, veterinary, educational and agricultural personnel. The teams have succeeded in inculcating the habit of self help in the Tribal people and instil in them a consciousness for improving their living condition. Details of their activities during the last two years are as follows—

- (i) Demonstration farms have been laid out by these teams to guide the tribals in the adoption of modern agricultural practices.
- (ii) Piggery and poultry farms have also been set up.
- (iii) Small dams have been constructed on rivulets in Manipur for irrigation purposes.
- (iv) Use of improved seeds, fertilizers, insecticides and modern agricultural tools have made the tribal people receptive to new ideas.
- (v) Training classes for tribal women have been held to teach them knitting, sewing, cooking, child-care and home-hygiene.
- (vi) Medical aid is being provided and immunisation against whooping cough is being carried out. Four small hospitals have been set up in the interior areas of Manipur. Medical treatment has been given to over 64,000 people in the tribal areas during the past two years.

Indian Cultural Centres Abroad

2487. Shri M. C. Daga : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to strengthen cultural relations with friendly foreign countries;

(b) the countries where Government have set up Centres for dissemination of information about Indian culture and the time since when the centres have been functioning; and

(c) the total expenditure incurred thereon during the last financial year, country-wise and centre-wise ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Government have taken various steps to strengthen cultural relations with foreign countries. Cultural agreements have been signed with 27 foreign countries envisaging bilateral exchange programmes in the fields of education, science, technology, art, sports, etc. In addi-

tion, relations with other countries are sought to be strengthened through establishment of centres of Indian Studies abroad; publication of books and periodicals on different aspects of Indian culture; exchange of exhibitions of art; orientation courses for Indian scholars going abroad and foreign scholars coming to India; sending out and receiving performing cultural delegations; and setting up Indian cultural centres abroad.

(b) Cultural Centres have been set up by the ICCR in Suva, Fiji (in March, 1971), San Francisco, USA (in August 1972), and Georgetown, Guyana (in January 1973).

(c) The expenditure incurred on Indian Cultural Centres abroad in 1971-72 was as follows :

- (i) Suva (Fiji) —Rs. 1,59,145.97
- (ii) Georgetown (Guyana) Rs. 31,323.37
- (iii) San Francisco (USA)—Nil

**Setting Up a New Wing in Department of Defence Production
to Boost Export of Arms**

2488. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a new Wing has been set up in the Department of Defence Production by the Ministry of Defence in order to boost the export of arms manufactured in ordnance factories in the country; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence Production (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The export of defence equipment has been undertaken by the Defence Ministry for some years now. The staff requirements are adjusted according to the work-load position.

खेतड़ी में ताँबा निकालने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना

2489. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी में ताँबा बड़ी मात्रा में मिला है;

(ख) क्या अनिश्चित बिजली सप्लाई, खराब सड़कों तथा सीधे रेल से न जुड़े होने के कारण ताँबा निकालने के कार्य में बाधा पड़ रही है; और

(ग) क्या अयस्क के परिष्करण के लिए वहाँ परिष्करण यंत्र लगाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) खेतड़ी ताम्र परियोजना में खेतड़ी और कोलिहान खानों का विकास कार्य और विभिन्न प्रक्रिया संयंत्रों का सन्निर्माण कार्य प्रगति में है । विद्युत आपूर्ति स्थिति में जो भूत में

असंतोषप्रद थी, अब सुधार हुआ है। परियोजना की रेल-सम्पर्क सन्निर्माणाधीन है और चालू वर्ष के दौरान इसके सम्पूरित हो जाने की आशा है। जहाँ तक सड़कों के अनुरक्षण का संबंध है, समय-समय पर हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया है।

(ग) खेतड़ी ताम्र परियोजना में ताम्र शोधनशाला स्थापित की जा रही है।

राष्ट्रीयकरण के बाद गैर-कोकिंग कोयला खानों में कोयले का उत्पादन

2490. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

डा० रानेन सेन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद देश में गैर-कोकिंग कोयला खानों में कोयले के उत्पादन में कोई सुधार हुआ है;

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद 28 फरवरी, 1973 तक राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों में गत वर्ष इसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में कितने कोयले का उत्पादन हुआ; और

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) विगत वर्ष के तत्समानी मास के उत्पादन की तुलना में, इन खानों के राष्ट्रीयकरण से लेकर, जो 1-5-1972 से किया गया था, कोककारी कोयले का मासिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	उत्पादन आँकड़े (हजार टनों में)	
	माह के दौरान (1972-73)	विगत वर्ष के तत्समानी माह के दौरान (1971-72)
मई	862	918
जून	798	888
जुलाई	801	850
अगस्त	823	847
सितम्बर	860	782
अक्टूबर	807	737
नवम्बर	837	855
दिसम्बर	883	931
जनवरी	809	866
फरवरी	उपलब्ध नहीं है।	845

(ग) विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि की व्याज दर में वृद्धि

2491. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के सैन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज ने फरवरी, 1973 में हुई अपनी बैठक में सरकार ने यह सिफारिश की है कि भविष्य निधि के खातेदारों के लेखों में जमा राशि पर व्याज दर को बढ़ाकर छः प्रतिशत कर दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बोर्ड ने पूँजी निवेश की प्रणाली को उदार बनाने और कम लाभ वाली प्रतिभूतियों को बदलने की सुविधा का लाभ उठाने की भी सिफारिश की है और बताया है कि ये सुविधायें भारत के रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बीच इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने बम्बई में फरवरी, 1973 में हुई अपनी बैठक में 1973-74 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की दर से व्याज घोषित करने की सिफारिश सरकार के पास की है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

पैट्रोल से चलने वाले जहाज के निर्माण के लिए निविदाएँ

2492. श्री गिरिधर गोमांगो :

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नौसेना के लिये पैट्रोल से चलने वाले जहाज के निर्माण के लिए निविदायें माँगी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत को बड़े जहाज निर्माताओं से पैट्रोल से चलने वाले इस जहाज के बनाने की निविदाएँ प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत ने इस संबंध में ब्रिटेन/फ्रांस की निविदा को स्वीकार कर लिया है और इस जहाज के निर्माण के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही गश्ती जहाज बनाने का प्रश्न गत कुछ समय से विचाराधीन रहा है। इस उद्देश्य के लिए कई एक विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव माँगे गये थे। इसके उत्तर में नौ विभिन्न फर्मों से पेशकश प्राप्त हुई थी और इन पेशकशों का अध्ययन करने के पश्चात् तीन पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को प्रत्यक्षतः आगे विचार के लिए उपयुक्त समझा गया। तदनुसार, नौसेना की आवश्यकताओं के विस्तृत विनिर्देश, इन जहाजों को बनाने के लिए चुने गये भारतीय यार्ड के साथ सहयोग करने के लिये इन तीन फर्मों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत किये गये। परन्तु इन फर्मों में से दो ने और आगे पूछ-ताछ का उत्तर दिया। इस समय इनके साथ बात-चीत चल रही है।

बिसरायपुर कोयला खान के मजदूरों को मजूरी का भुगतान

2493. श्री दिनेश जोरदार : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत बिसरायपुर कोयला खान के 60 मजदूरों (लीडर) ने 13 नवम्बर, 1972 से मजूरी लेने से इन्कार कर रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो मजदूरों की माँगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० की बिसरायपुर कोलियरी के 53 लीडरों ने 13 नवम्बर, 1972 से मजूरी लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि उनकी मजूरियाँ, बिहार की सियाल कोलियरी से मध्य प्रदेश की बिसरायपुर कोलियरी में उनका स्थानांतरण होने से पूर्व 72 घन फीट कार्य-भार की तुलना में 100 घन फीट के कार्य-भार के आधार पर परिकल्पित की गई। मजूरी दर में यह असमानता बिहार-बंगाल और मध्य प्रदेश की कोयला खानों में लीडरों के विभिन्न कार्य-भारों की विद्यमानता के कारण है।

(ग) प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर, जिन्होंने समझौता वार्ता करवाई, समझौता करवाने के लिए इस मामले के संबंध में संबंधित पक्षों से और आगे बात चीत कर रहे हैं।

Assistance to Families of Labourers killed by Over-Turning of Truck in Bailadilla Iron Ore Mine Area

2494. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether a truck overturned in the Bailadilla iron mine area as a result of which 16 labourers were killed on the spot and about 50 labourers were injured; and

(b) the causes of the accident and whether any assistance has so far been given to the families of the deceased?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Ragunatha Reddy) : (a) A fatal accident took place at Bailadilla No. 14 Mechanised mine (Iron ore) of M/s National Mineral Development Corporation on 8-2-1973 due to overturning of a motor truck. 16 persons were killed and 22 others were injured.

(b) A truck belonging to a contractor engaged in repairing and re-installing a conveyor situated on the mine premises was carrying requisite materials and 38 persons to the hill top camp. After negotiating several bends, the truck was proceeding on a straight stretch of road, the driver of the truck somehow appears to have lost control over the vehicle. The enquiry is under progress, and it is not yet known whether the contractor who engaged the workers has made any ex-gratia payment or not.

Chinese Maps Showing Kashmir as a Part of China

2495. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether certain maps published by China show Kashmir as a part of China; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Chinese maps show the Aksai Chin area in Jammu and Kashmir as part of China.

(b) The Government of India's position regarding our boundary is clear. They regard the whole of Jammu and Kashmir as an integral part of India.

Indo-Pak Talk for Resuming Air Services

2496. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Hari Singh :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(b) whether talks were held between India and Pakistan to resume air services between the two countries;

(b) if so, whether the Government have raised the question of compensation for the hijacked plane of Indian Airlines and surrender by hijackers; and

(c) the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) While some exchanges have taken place between the Governments of India and Pakistan on the normalisation measures mentioned in para 3 of the Simla Agreement, no concrete proposals to exchange delegations for discussing these items have materialised so far.

(b) and (c). Do not arise.

Foreign Minister's Visit to Persian Gulf Countries

2497. Shri M. S. Purty :
Shri Chhatrapati Ambesh :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether he visited some countries in the Persian Gulf recently

(b) if so, the names of the countries visited, the subjects discussed and the decisions arrived at in each case; and

(c) whether any talks were held for seeking their cooperation in declaring the Indian ocean and the Persian Gulf as peace zones and keeping them free from foreign influence and if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :
(a) and (b). The Foreign Minister visited the following countries on the dates shown against each :

Sultanate of Oman :	January 28-30, 1973
State of Qatar :	January 30-31, 1973
United Arab Emirates :	January 31-February 2, 1973
State of Bahrain :	February 10-11, 1973
State of Kuwait :	February 11-14, 1973

The visit was primarily of a goodwill nature and to exchange views on a number of matters of mutual interest in the political, economic, commercial and cultural fields. Delegations of experts are being exchanged with these countries to work out detailed programmes of cooperation and identify specific projects.

(c) There was an identity of views between the Governments of these countries and India that the Gulf and the Indian Ocean area should be a zone of peace; free of big Power rivalries and tensions.

‘इन्टक’ का फरवरी 1973 में हुआ अधिवेशन

2498. श्री वेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या 10 और 11 फरवरी, 1973, को ‘इन्टक’ का दो दिवसीय अधिवेशन हुआ था;
- (ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये गए; और
- (ग) उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). 10 और 11 फरवरी, 1973 को वास्को-डी-गामा में हुई अपनी बैठक में इंटक की महापरिषद् द्वारा अभिस्वीकृत कुछ संकल्पों की

प्रतियाँ श्रम और रोजगार विभाग को प्राप्त हुई हैं। इस विभाग ने उन सुझावों को नोट कर लिया है, जो उससे संबंधित हैं।

Indian Air Force Plane Landed on Bank of Iravati River in Burma

2499. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a plane of Indian Air Force had to force land on the bank of the Iravati river in Burma in February, 1973;

(b) whether Government have conducted any inquiry into this incident; and

(c) if so, the causes of the incident ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c). Indian Air Force aircraft made a precautionary landing at Bassein airfield in Burma on 8th February, 1973 when the aircraft was returning from Port Blair. A Court of Inquiry has been ordered to inquire into this incident. Its report has not yet been finalised.

List of Wives and Children of P. O. Ws.

2500. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government of India in the mean-while have given a list of the wives and children of Pakistani prisoners of war to the Red Cross Committee; and

(b) if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Government of India have given a list of all families (women and children) of Pakistani POWs and civilian internees to the Swiss Embassy for transmission to Pakistan Government.

आल इण्डिया मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसियेशन की ओर से ज्ञापन

2501. श्री सरोज मुखर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया मैडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसियेशन की ओर से एक ज्ञापन मिला है और यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी कुछ मांगों को स्वीकार कर लेगी क्योंकि सरकार की राय में वे न्यायोचित हैं; और

(ग) क्या नियमों में आवश्यक संशोधन के पश्चात् इन कर्मचारियों पर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लागू हो जायेगा और यदि हाँ तो यह कार्य कब तक किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भारत के चिकित्सीय प्रतिनिधि संघों के महासंघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसमें चिकित्सीय और बिक्री प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने और औषधीय प्रबन्ध मण्डलों को आरोपित श्रमिक-विरोधी नीतियों के विरुद्ध अनुशासित करने सम्बन्धी उनकी माँगें सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग). महासंघ को सूचित कर दिया गया है कि सरकार चिकित्सीय/बिक्री प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि के अन्दर लाने सम्बन्धी उनकी माँग पर विचार कर रही है।

मोजम्बीक में भारतीय परिसम्पत्तियों के एवज में पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी न करना

2502. श्री पुरषोत्तम ककोटकर :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली प्राधिकारियों ने 1961 में मोजम्बीक में रोकी गई 5.3 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की भारतीय नागरिकों की परिसम्पत्तियों के लिए अभी भी क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं की है;

(ख) क्या सरकार ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के साथ इस विषय को उठाया है और यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को अब तक कितनी क्षतिपूर्ति अदा की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मोजाम्बिक से आने वाले भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के बारे में पुर्तगालियों ने अभी तक कोई मुआविजा नहीं दिया है।

(ख) सरकार ने समुचित सूत्रों के माध्यम से पुर्तगाली सरकार से बार-बार लिखा-पढ़ी की है लेकिन कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। मुआवजे के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं।

(ग) हालांकि मुआविजा अदा नहीं किया गया है, तो भी भारत सरकार ने इन आने वाले भारतीयों को कुल मिलाकर 26.37 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दे दिये हैं।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई खरीददारी में भेदभाव बरतना

2503. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय औद्योगिक माल, विशेषकर छत के पंखों और अलमारियों की खरीद में भेदभाव बरत रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में कितने नए औद्योगिक उद्यमकर्ता 'दर संविदा' पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को माल सप्लाई करते हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख). सामान्यतया सामान की अधिप्राप्ति का प्रबन्ध पूर्ति और निपटान महा निदेशालय द्वारा किया जाता है जो मूल्य, निर्धारित क्षमता तक माल का निर्माण करने की फर्म की क्षमता और विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तुत परिधान आदि की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर प्रतियोगी दरों के आधार पर किया जाता है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा सामान की खरीद में, सिवाय उस सीमा तक, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता जिससे लघु यूनिटों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति को कार्यान्वित करना आवश्यक होता है। विविध प्रकार के पंखे जिसमें छत के पंखे भी शामिल हैं और इस्पात फर्नीचर जिसमें अलमारियां भी शामिल हैं, के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा हाल में इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही दर-ठेके किए गए थे। परन्तु, एक नये लघु यूनिट को पंखों के लिए तथा पाँच नए लघु यूनिटों को इस्पात फर्नीचर के लिए उनके प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर दर ठेका दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में लघु इस्पात संयंत्र

2504. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में प्रस्तावित लघु इस्पात संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो हम उत्पादन के कब तक शुरू होने की आशा कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह प्रस्ताव जुलाई, 1973 से पहले लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय मैसर्स जनरल अलाय स्टील लिमिटेड से है जिन्हें पुरुलिया में प्रतिवर्ष 25,000 टन इस्पात के बिलेट, स्ट्रिप और वायर राड के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना लगाने हेतु 26 सितम्बर, 1972 को एक आशा पत्र दिया गया है। प्रोडक्टमिक्स में परिवर्तन करने के बारे में इस फर्म की प्रार्थना पर पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। विदेशी

सहयोग के बारे में भी इसका प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः यह बताना कठिन है कि यह कारखाना किस तारीख से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

राज्यों में रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना

2505. श्री बयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें रक्षा उत्पादन का एक भी एकक स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) कुछ राज्यों में इन एककों के बड़े पैमाने पर स्थापित करने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त भाग (क) में निर्देशित राज्यों में कुछ नए एकक खोलने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). निम्नलिखित राज्यों में रक्षा उत्पादन सम्बन्धी कोई यूनिट नहीं है :—

जम्मू और कश्मीर	हिमाचल प्रदेश
हरियाणा	राजस्थान
दिल्ली	पंजाब
असम	मेघालय
मिजोरम	मणिपुर
त्रिपुरा	अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड	गुजरात
केरल	पांडिचेरी
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	लकादिव तथा मिनीकाय द्वीपसमूह

वर्तमान रक्षा उत्पादन यूनिटें दशाब्दियों पूर्व स्थापित की गई थीं। सेनाओं की ज्ञात और प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित की जाने वाली नई यूनिटों के चयन के लिए सुरक्षा, अवस्थापन सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रथा को जारी रखा जाएगा।

प्रत्येक योजना अवधि के पश्चात् मजदूरों की मजूरी का पुनर्विलोकन

2506. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर मजदूरों के प्रत्येक वर्गों की मजूरी के पुनर्विलोकन की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं, उठता ।

कोयले की कमी के कारण कारखानों का बंद होना

2507. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश में कोयले की कमी रही और वह कमी अब तक भी बनी हुई है;

(ख) क्या कोयले की कमी के कारण देश के विभिन्न भागों में अनेकों कारखाने बंद हो गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या तथ्य हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हार्ड-कोक की अनुपलब्धता के बारे में विभिन्न राज्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । यह कमी मुख्यतः परिवहन की कठिनाई के कारण थीं ।

(ख) कोक की अस्थायी कमी के कारण कुछ कारखानों के बंद होने की सूचना मिली है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उपद्रवों और उत्तर प्रदेश में अभियंताओं की हड़ताल का वैगनों के संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । रेल मंत्रालय के साथ परामर्श द्वारा, विभिन्न राज्यों को कोक की आपूर्ति और संचलन की निरंतर निगरानी की जा रही है ।

बोलानी ओर्स, क्योँझार के महाप्रबंधक की योग्यताएँ

2508. श्री समर गुह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोलानी ओर्स, जिला क्योँझार, उड़ीसा के महाप्रबंधक का नाम, उसकी तकनीकी योग्यता, भत्तों और अन्य लाभों समेत कुल उपलब्धियाँ क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : बोलानी ओर्स लिमिटेड के महाप्रबंधक का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है । महाप्रबंधक संबंधी विवरण निम्नलिखित हैं—

(1) नाम	श्री आर० सोंधी
(2) अर्हताएं	विज्ञान के स्नातक
(3) परिलब्धियाँ	(1) मूल वेतन 3500 रुपये मासिक । (2) मंहगाई भत्ता 875 रुपये मासिक । (3) अपने तथा परिवार के लिए निः- शुल्क चिकित्सा सुविधा जो कंपनी के अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को भी उपलब्ध हैं ।

- (4) भारत के किसी भी स्थान तक आने और जाने का रेल/हवाई जहाज के टिकट का वास्तविक किराया बशर्ते यह किराया मासिक मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के आधे के बराबर हो तथा अधिकाधिक 2000 रुपये ।
- (5) मुफ्त सुसज्जित निवास अथवा उसके बदले मूल वेतन का 20% मकान भत्ता ।
- (6) ड्राइवर सहित मोटर कार का मुफ्त इस्तेमाल ।
- (7) भविष्य निधि तथा अधिवार्षिकी लाभ जो कंपनी के अन्य वरिष्ठ कार्यकारी कर्मचारियों को लागू हैं ।

केन्या में ऐशियाई लोगों को 'देश छोड़ो' नोटिस दिये जाने के समाचार

2509. श्री के० लक्ष्मण :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 418 ऐशियाई लोगों को 'देश छोड़ो' नोटिस दिये हैं;

(ख) इससे कुल कितने भारतीय प्रभावित होंगे; और

(ग) क्या सरकार ने केन्या सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) केन्याईकरण की नीति के अनुसार केन्या सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि 410 गैर-नागरिक व्यापारियों, जिसमें ऐशियाई, अरब एवं यूरोपीय शामिल हैं, के व्यापार लायसेन्सों का आगे के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार इससे केवल 3 भारतीय राष्ट्रिक प्रभावित हुए हैं ।

(ग) अपनी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों के प्रगामी केन्याईकरण संबंधी केन्या सरकार की नीति समझ में आती है किन्तु सरकार, केन्या सरकार के इस आश्वासन में विश्वास करती है कि इस प्रकार के गैर-नागरिकों को क्रमबद्ध रूप से ही हटाया जाएगा ।

सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में हड़तालों और तालाबंदियों का समाधान

2510. श्री शंकर राव सावंत : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने अथवा शीघ्र समझौता कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक विवादों की रोकथाम और उनके निपटारे की व्यवस्था पहले ही विद्यमान है। तथापि, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए अधिक प्रभावपूर्ण तंत्र और और कार्यपद्धति की व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक संबंधों पर एक व्यापक कानून लाने का विचार रखती है।

लन्दन स्थित भारत मिशन के सप्लाई और क्रय संगठन में कर्मचारियों की कमी करना

2511. डा० रानेन सेन : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनयिक मिशन के एक भाग के तौर पर अभी लन्दन में सप्लाई और क्रय संगठन बनाए रखा है यद्यपि गत कुछ वर्षों में ब्रिटिश उपकरणों की खरीद बहुत गिर गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस संगठन के कर्मचारियों की संख्या बड़ी सीमा में कम करने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हाँ। भारत पूर्ति मिशन, लंदन केवल ब्रिटेन से ही नहीं अपितु सम्पूर्ण यूरोप से सामान खरीदता है। इस मिशन द्वारा की गई खरीद में बहुत अधिक कमी नहीं हुई है परन्तु कर्मचारियों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी की गई है। पिछले पाँच वर्षों में यूरोप से खरीदे गए सामान का मूल्य तथा मिशन के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित हैं—

वर्ष	खरीदे गए सामान का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या
1968-69	47.68	200
1969-70	46.04	200
1970-71	44.18	185
1971-72	90.24	185
1972-73	45.00 लगभग	170
(अप्रैल से अक्टूबर, 1972 तक)		

(ख) यह निर्णय किया गया है कि लंदन में स्थित रक्षा विंग द्वारा किए जा रहे खरीद-कार्य को भारत पूर्ति मिशन को अन्तरित करके एक समेकित संगठन स्थापित किया जाये जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 132 हो। इसका परिणाम यह होगा कि भारत पूर्ति मिशन में 38 कर्मचारी तथा रक्षा विंग में 27 कर्मचारी कम हो जाएंगे।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में ठेका श्रम का बन्द किया जाना

2512. डा० रानेन सेन : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी गैर-सरकारी कोयला खानों में उनके राष्ट्रीयकरण से पूर्व ठेका श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था; और

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों द्वारा ठेका श्रमिकों को रोजगार देने की प्रक्रिया को बन्द किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हाँ।

(ख) कोयला खानों में ठेका श्रम के कतिपय वर्गों के उन्मूलन के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत-अमरीका संबंध

2513. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति से हाल में कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उसका मजमून क्या है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने इस बीच पत्र का उत्तर दे दिया है; और

(ग) क्या इन दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होने की कोई आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति निक्सन के बीच, राष्ट्रपति निक्सन द्वारा कार्य संभालने एवं जन्म दिवस के अवसर पर परस्पर सौजन्य प्रकट करने वाले संदेशों का आदान-प्रदान हुआ।

(ग) दोनों सरकारों ने संबंध अच्छे बनाने की इच्छा प्रकट की है।

हड़तालों, तालाबंदियों और जबरन-छुट्टियों के कारण उत्पादन में हुई हानि का मूल्य

2514. श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान हड़तालों, तालाबंदियों और जबरन-छुट्टियों के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई अनुमानित हानि का मूल्य क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1970, 1971 और 1972 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण क्षति हुए उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था—

वर्ष	औद्योगिक विवादों की संख्या (हड़तालें और तालाबंदियां)	उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1970	2,889	55.08 रु० (1,518)
1971	2,752	90.54 रु० (1,659)
1972	2,614	60.65 रु० (1,252)

स्तम्भ 3 में कोष्ठक में दिए गए अंक उन मामलों की संख्या दर्शाते हैं, जिनसे सूचना संबंधित है।

युगोस्लाविया मजदूर संघ के शिष्टमंडल का दौरा

2515. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के मजदूर संघ के शिष्टमंडल द्वारा हाल ही में भारत का दौरा किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो शिष्टमंडल द्वारा इस्पात और खान मंत्री के साथ क्या विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) देश में मजदूर संघों की स्थिति में सुधार करने के लिए शिष्टमंडल ने क्या सुझाव दिये थे; और

(घ) भारतीय मजदूर संघ द्वारा यह सुझाव किन सीमा तक स्वीकार कर लिए गए हैं या स्वीकार किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). युगोस्लाविया मजदूर संघ के एक शिष्टमंडल, जिसने कि हाल ही में भारत का दौरा किया, ने 5 फरवरी, 1973 को भूत-पूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्री से एक शिष्टाचारिक भेंट की थी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु की खनिज सम्पदा के लिए सर्वेक्षण

2516. श्री के० बालदंडायुतम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संख्या ने तमिलनाडु में वहाँ की खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए कार्य की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप क्या-क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तमिलनाडु के विभिन्न भागों में बृहद् तापमान मानचित्रण, भू-रसायनिक और भू-भौतिकीय पूर्वक्षण, गर्तन, टेलिन्चग और व्यघन द्वारा विस्तृत खनिज अन्वेषणों द्वारा अनुवर्तित व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण द्वारा प्रारम्भिक खनिज अन्वेषण किए गए हैं और किए जा रहे हैं ।

(ग) अभी तक किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, लिग्नाइट, लौह अयस्क, बाक्साइट, चूनाश्म, मैग्नेसाइट, ताम्र अयस्क, इलिमनाइट एवं गार्नेट बालू, बर्मीक्युलाइट, स्वर्ण, जिप्सम, मृत्तिका और मोलिब्डेनाइट के निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं । तमिलनाडु का भूवैज्ञानिक और खनिज मानचित्र भी प्रकाशित हो गया है ।

अलौह धातुओं की खोज

2517. श्री के० बालदंडायुतम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं की खोज और समुपयोजन संबंधी प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अलौह धातुओं की खोज और समुपयोजन के कार्य में तीव्रता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं । विगत दशाब्दी के दौरान अलौह धातुओं की उपलब्ध राशियों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त समन्वेषण कार्य किया गया है । यह इस तथ्य से प्रत्यक्ष है कि 1971 तक यथा-अनुमानित ताम्र अयस्क, सीसा-जस्ता अयस्क, निकल अयस्क और एल्यूमिनियम अयस्क की उपलब्ध राशियाँ क्रमशः 2,450 लाख टन, 1,070 लाख टन, 370 लाख टन और 2,300 लाख टन है जबकि 1956 तक ताम्र सीसा-जस्ता, निकल और एल्यूमिनियम की अयस्क की उपलब्ध राशियाँ क्रमशः केवल 30 लाख टन, 100 लाख टन, शून्य और 280 लाख टन थीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सुव्यवस्थित मानचित्रण कार्यक्रम को उच्चतम संभाव्य सीमा तक शीघ्र सम्पादित किया जाए और देश का मानचित्रण 1985 तक सम्पूरित होना चाहिए । यह सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान परिष्कृत उपस्कर की उप्राप्ति और अतिरिक्त कार्मिकों की भर्ती के माध्यम से भूवैज्ञानिक

मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज समन्वेषण को त्वरित करने के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। देश के विस्तृत खनिज समन्वेषण को त्वरित करने के लिए पब्लिक सेक्टर में खनिज समन्वेषण नियम स्थापित किया गया है। खनिजों के विस्तृत समन्वेषण कार्यक्रम में अलौह धातुओं के लिए समन्वेषण को यथा आवश्यक महत्व दिया जा रहा है।

जहाँ तक अलौह-धातुओं के विस्तृत समुपयोजन का प्रश्न है, खेतड़ी का समुपयोजन पहले ही प्रायोगिक आधार पर आरम्भ हो गया है। बिहार में राखा प्रावस्था II के समुपयोजन के लिए परियोजना रिपोर्ट हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के अध्ययनाधीन है। हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा अग्निगुण्डाला ताम्र निक्षेप के लिए समन्वेषी खनन प्रायोजना प्रगति पर है और मालंजखण्ड ताम्र निक्षेपों के विकास की प्रायोजना विचाराधीन है। राजस्थान और गुजरात के सीसा-जस्ता के समन्वेषण के बारे में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्वी और पश्चिमी मोचिया और जावर-माला क्षेत्र का समन्वेषी कार्यक्रम है। दरीबा-राजपुरा सीसा/जस्ता स्वाध्यता अध्ययन विदेशी परामर्शदाता द्वारा तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों से बाक्साइट का उत्पादन आरम्भ हो गया है। 'आपरेशन हार्ड रौक' के अधीन राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और बिहार की अलौह धातु पट्टियों में हवाई सर्वेक्षण भी सम्पूरित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त औद्योगिक एकक

2518. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी औद्योगिक एकक को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन एककों को मुक्त रखा गया है और इस मुक्ति की अवधि क्या है; और

(ग) इस प्रकार से मुक्त रखने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 उन सभी प्रतिष्ठानों पर, जिन्हें अधिनियम की अनुसूचि-1 सम्मिलित किया जाता है तथा उन वर्गों के प्रतिष्ठानों पर, जिन्हें समय-समय पर अधिनियम की धारा 1 (3) (ख) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया जाता है, लागू होना है। अधिनियम की धारा 16 (2) की परिधि से छूट प्राप्त तीन वर्गों के प्रतिष्ठानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रमांक	औद्योगिक एकक	मुक्त करने के कारण	अवधि
1.	धर्मार्थ संस्थानों के या उनके द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान।	जो केवल अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं।	13-8-1955 से 12-8-1975 तक 20 वर्षों के लिए छूट स्वीकृत की गई।

क्रमांक	औद्योगिक एकक	मुक्त करने के कारण	अवधि
2.	औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित हथकर्षा कारखाने ।	वित्तीय आधार पर	1-1-1955 से 31-12-1974 तक 20 वर्षों के लिए छूट स्वीकृत की गई।
3.	चमड़े के उद्योगों सहित लाख में लगे हुए कारखाने	वित्तीय आधार पर	31-12-1961 से 31-12-1971 तक 10 वर्षों के लिए छूट स्वीकृत की गई। (और आगे छूट स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है।)

श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों का तमिलनाडु में पुनर्वास

2519. श्री के० बालदंडायुतम : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से स्वदेश लौटे अधिकांश भारतीय तमिल थे;

(ख) क्या वे सभी तमिलनाडु में बस गये हैं; और

(ग) उन्हें बसाने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्र ने क्या सहायता दी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण, जिसमें श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों की संख्या और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनमें उन्हें बसाया गया है, संलग्न है ।

(ग) स्वदेश लौटे भारतीयों के राहत और पुनर्वास के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार ऋण तथा अनुदान देती है । तमिलनाडु सरकार को श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास के लिए अब तक 215 लाख रुपए का ऋण और 52 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है ।

विवरण

(i) 24-2-1973 तक श्री लंका से स्वदेश लौटे
भारतीयों की कुल संख्या

85,627 व्यक्ति
(20,609 परिवार)

(ii)	31-7-1972 तक सहायता के लिए शेष पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या	6,665
(iii)	श्रीलंका से स्वदेश लौटे उन भारतीयों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें 31-12-72 तक पुनर्वास सहायता दी गई थी :—	
	तमिलनाडु	4,537
	मैसूर	276
	केरल	276
	आन्ध्र प्रदेश	22
	अण्डमान तथा निकोबार	2
	योग :	5,113

अन्य परिवार वे हैं, जो श्रीलंका से अपने साथ लाई परिसम्पत्तियों और भारत में पहले से ही अपनी सम्पत्तियों के जरिये अपने आप बस गये हैं या जिन्होंने किसी तरह की पुनर्वास सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के वैमानिक उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल का विकास

2520. श्री एच० एम० पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के वैमानिक उद्योग के लिए अपेक्षित आधारभूत कच्चे माल का विकास अपने ही देश में करने की दिशा में कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान, एयर मार्शल ओ० पी० मेहरा द्वारा हाल ही में बंगलौर में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है (जो कि 23 दिसम्बर, 1972 की 'कामर्स वीकली' के पृष्ठ 1536 पर प्रकाशित किया गया था); और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वायुयान उद्योग में प्रयोग में आने वाली कच्ची सामग्री में एल्यूमीनियम, मैग्नेशियम, कापर और निकल बेस मिश्र धातु, टिटनियम मिश्रधातु, विशेष इस्पात, रेयर मेटल्स, एवरेकिल शीट्स, ग्लास क्लोथ, रबर की मदों जैसी अधातु सामग्री और रेजिन, पेन्ट, वार्निश, एडहेसिव, सिलेटन आदि जैसी विशेष प्रकार की विभिन्न उपभोज्य सामग्री सम्मिलित हैं। ये एरोनाटिक्स उद्योग में उपयोग के लिए कठोर विभिष्टताओं द्वारा नियन्त्रित हैं। इस समय अधिकांश आवश्यकताओं को आयात कर पूरा किया जाता है परन्तु एल्यूमीनियम मिश्रधातु, कापर मिश्रधातु और मैग्नेशियम मिश्रधातु के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित किए गए हैं, जो विशुद्ध आयातित धातु पर आधारित हैं। ग्लास क्लोथ और उपभोज्य सामग्री जैसी अधातु सामग्री की आवश्यकताओं के एक भाग को भी स्वदेशी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) यह समाचार हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के चेयरमैन द्वारा बंगलौर में 14-12-1972 को रक्षा मंत्री द्वारा प्रथम “चीता” हेलीकाप्टर के स्वीकार करने और कृषक वायुयान के नामकरण के अवसर पर दिए गए स्वागत भाषण से सम्बन्धित है, जिसमें आधारभूत सामग्री की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने पर बल दिया गया था। सरकार इसको काफी महत्व देती है। आयात प्रतिस्थापन की गति को तेज करने के लिए प्रभावशाली प्रयास किए जा रहे हैं जिससे आयातित सामग्री पर हमारी निर्भरता कम होती जाय। सरकार ने हाल ही में एरोनाटिक्स उद्योग के लिए अपेक्षित विशेष धातु और विशेष मिश्र धातु के निर्माण के लिए एक प्लांट स्थापित करने का भी निर्णय किया था।

वैमानिकी उद्योग के लिये अपेक्षित आधारभूत कच्चे माल के लिये विदेशी संसाधनों पर निर्भरता

2521. श्री एच० एम० पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैमानिकी उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल के लिए भारत किस सीमा तक विदेशी संसाधनों पर निर्भर है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : वायुयान उद्योग में प्रयोग में आने वाली कच्ची सामग्री में एल्युमीनियम, मैग्नेशियम, कापर और निकिल बेस मिश्रधातु, टिटनियम मिश्र धातु, विशेष इस्पात, रेजर मैटलस, एवरेलिक् शीट्स, ग्लास क्लोथ, रबर की मदों सी अधातु सामग्री और रेजिन, पेन्ट, वार्निश, एडहेसिव, सिलेटन आदि जैसी विशेष प्रकार की विभिन्न उपभोग्य सामग्री सम्मिलित हैं। ये एरोनाटिक्स उद्योग में उपयोग के लिए कठोर विशिष्टताओं द्वारा नियन्त्रित हैं। इस समय अधिकांश आवश्यकताओं को आयात कर पूरा किया जाता है परन्तु जहाँ तक संभव है मदों की पूर्ति के लिए स्वदेशी साधनों को विकसित करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

वैस्टिंग हाउस सेक्सबी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न किया जाना

2522. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रबन्ध में चल रही वैस्टिंग हाउस सेक्सबी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता ने अगस्त, 1970 से लेकर फरवरी, 1972 तक भविष्य निधि की 19 लाख रुपये की राशि जमा नहीं की है, और परिणाम-स्वरूप जो लोग सेवा निवृत्त हो चुके हैं अथवा फर्म छोड़ कर चले गये हैं, उन्हें एक वर्ष से अधिक समय से भविष्य निधि की राशि नहीं मिल पा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का पता किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). यह मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने अब इस प्रकार सूचित किया है :—

मैसर्स वैस्टिंग हाऊस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता ने अगस्त, 1970 से मार्च, 1972 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि की देय राशियों की अदायगी में चूक की है और (लगभग) 19 लाख रुपये प्रतिष्ठान के न्यासी बोर्ड को हस्तान्तरित किए जाने वाले हो गए हैं। पता चला है राज्य श्रम विभाग ने बकाया राशियों की 31 मार्च, 1974 तक चुकती के लिए अदायगी की एक योजना तैयार की है और उस विभाग ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग से अनुरोध किया है कि वह चालू वर्ष के दौरान 6 लाख रुपये और बाकी 13 लाख रुपये का अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नियतन करे। राज्य श्रम विभाग ने प्रतिष्ठान को कहा है कि वह निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अदायगी करने के लिए व्यवस्था करें। मासिक विवरणियाँ सदस्यों को की गई अदायगियाँ दर्शाती हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ उठाया गया है। अगस्त, 1970 से मार्च 1972 तक की अवधि के लिए अभियोजन सम्बन्धी रिपोर्ट भी आवश्यक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास भेज दी गई है।

भारत कोकिंग कोल कम्पनी द्वारा “भुगगर भवन” को खरीदना

2523. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत कोकिंग कोल कम्पनी ने हाल ही में बिहार में करिया नगर के निकट “भुगगर भवन” को खरीदा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस उद्देश्य से खरीदा गया है; और

(ग) भवन का कुल निर्मित स्थान कितना है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका स्वामी कौन है, मूल्यह्रास काट कर इसका सही मूल्य क्या है और इसे किस मूल्य पर खरीदा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). सामग्री एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

मजदूरों की औसत आय

2524. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम (उपलब्ध) वर्ष में एक मजदूर की, राज्य-वार तथा उद्योग-वार, औसत आय कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी को क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) औद्योगिक और कृषि श्रमिकों की मजूरियों और कार्य के संबंध में उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम आँकड़े, 1972 के भाग 4 के पृष्ठ 53 से 95 में प्रकाशित की गई है।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने क्षेत्रीय आधार पर आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की कोई सिफारिश नहीं की है, इसके बदले इसने सुझाव दिया है कि आवश्यकता पर आधारित मजूरियों और उचित मजूरी के उच्चतर स्तर पर मजूरियों की, आसानी से और केवल क्रमावस्था द्वारा नियोजक की उसे देने की सीमा और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, आरम्भ किया जा सकता है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के संदर्भ में आयोग ने यही निश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य में विभिन्न समरूप क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय न्यूनतम को अधिसूचित करना संभव होगा, क्योंकि सारे देश के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी न तो संभव है और न ही वांछनीय।

(ग) मजूरियों से संबंधित आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

Expenditure on Bangladesh Refugees

2525. **Shri Chhatrapati Ambesh :**

Shri C. K. Chandrapan :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the total final expenditure incurred under each head on Bangladesh refugees from the date of their arrival in India upto the date of final return to Bangladesh; and

(b) the amount received from foreign countries for providing relief to Bangladesh refugees along with the names of such countries ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The total final expenditure incurred under each head on Bangladesh refugees from the date of their arrival in India upto the date of their final return to Bangladesh is still under computation. It will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is ready.

(b) A statement showing the amounts received in cash from the foreign countries for providing relief to Bangladesh refugees along with the names of such countries is attached.

Statement showing the Aid received from Foreign Governments/U. N.
Agencies/Voluntary Organisations in Cash, for refugees
from Bangladesh

	(In Rupees)
1. U. S. A.	8.22 crores
2. United Kingdom	17.27 crores
3. Netherlands	1.41 crores
4. Czechoslovakia	0.05 crores
5. U. S. S. R.	0.55 crores

6. Canada	1.46 crores
7. UNHCR (Countries not specified)	12.54 crores
8. Voluntary Organisations (West Germany)	1.10 crores
9. Australia	0.05 crores
Total :	42.65 crores

जारी किए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत स्थापित किए गए विद्युत भट्ठी इस्पात संयंत्र

2526. श्री के० एस० चावड़ा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत भट्ठी इस्पात संयंत्रों के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) लाइसेंस लेने वाले कितने लोगों ने संयंत्र लगा दिया है और कितने ऐसा करने में असफल रहे हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने लघु इस्पात संयंत्रों की लाभप्रदता का कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अब तक विद्युत भट्टियों से परम्परागत/निरन्तर दुलाई प्रक्रिया द्वारा इस्पात पिण्ड बिलेट के उत्पादन के लिए 25 इकाइयों का आशय-पत्र/सी० ओ० बी०/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ग) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से 10 इकाइयों ने सूचित किया है कि उनके संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो गया है । बाकी पार्टियाँ इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही हैं और आशा है कि वे यथा समय अपने कारखाने स्थापित कर लेंगी;

(ग) सरकार ने विद्युत भट्ठी इकाइयों के आर्थिक पहलुओं का अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है फिर भी इस्पात की वर्तमान कमी के संदर्भ में इस्पात बनाने के लघु संयंत्र, जो कच्चे माल के रूप में रही लोहे का प्रयोग करते हैं, जिनमें तुलनात्मक रूप में कम पूँजी लगती है, कम जेस्टेशन अवधि होती है अधिक उत्पादन होता है, अधिक अच्छे माने गये हैं । इसकी पुष्टि इस प्रकार की इकाइयाँ लगाने में रुचि रखने वाली पार्टियों की संख्या से भी होती है ।

देशी कच्चे माल से सशस्त्र सेनाओं के लिए सर्दियों के मौसम के लिए कपड़े बनाना

2527. श्री सी० जनार्दनन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सशस्त्र सेनाएँ सर्दियों के मौसम के लिए कपड़े बनाने के लिए आयातित ऊन पर निर्भर हैं;

(ख) इस प्रयोजन हेतु ऊन के आयात पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है;

(ग) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए देशी कच्चे माल से सर्दियों के मौसम के कपड़े बनाने की सम्भावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सर्दियों के मौसम के कपड़ों के निर्माण के लिए सशस्त्र सेनाएँ अंशतः आयातित ऊन पर निर्भर हैं ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए ऊन के वार्षिक आयात पर चालू वय्य वर्ष में 2 से 2.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) तथा (घ). जी हाँ, श्रीमन् । रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान तथा विकास संगठन पहले से ही इस समस्या पर लगा हुआ है तथा ऊन के आयात प्रतिस्थापन के लिए अनेकों परियोजनाएँ हाथ में ली हुई हैं । कुछ मामलों में सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा ऊन की आयातित मात्रा को घटाने के लिए/अंशतः या पूर्णतया स्वदेशी ऊन—मनुष्य के द्वारा बनाए गए वस्तु मिश्रणों पर, और आगे कार्य जारी है ।

नौसेना के लिए आधुनिकतम शस्त्र

2528. श्री सी० जनार्दनन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'नेवी वान्ट्स वीपन्स आफ दी फ्यूचर' (नौसेना को भविष्य में काम आने वाले शस्त्रों की आवश्यकता) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो नौसेना को आधुनिकतम शस्त्र देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन् ।

(ख) जहाजों में नवीनतम हथियार उपलब्ध कराने के विचार से नौसेना के लिए हथियारों की आवश्यकताओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है । नौसेना द्वारा अपेक्षित सभी हथियार अभी तक स्वदेश में नहीं बनाए जाते हैं, परन्तु आवश्यकतानुसार उपयुक्त हथियारों को विदेशों से मंगाकर और जहाँ कहीं सम्भव होता है, स्वदेशी निर्माण को बढ़ाकर उन्हें प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस बारे में और आगे ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

भारतीय मजदूर संघ केन्द्र (सीटू) द्वारा गैर-कोकिंग कोयला खान सलाहकार बोर्ड में उसके मनोनीत व्यक्तियों का शामिल न किये जाने के बारे में विरोध

2529. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय मजदूर संघ केन्द्र (सीटू) ने गैर-कोकिंग कोयला खान सलाहकार बोर्ड में उसके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को शामिल न किये जाने पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कोयला उद्योग में भारतीय मजदूर संघ केन्द्र की सदस्यता काफी अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सलाहकार बोर्ड में भारतीय मजदूर संघ केन्द्र के प्रतिनिधियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). गैर-कोककारी कोयला खानों के लिए सलाहकारमण्डल स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बालासौर (उड़ीसा) स्थित प्रमाण तथा प्रायोगिक प्रतिष्ठान (प्रूफ एन्ड एक्सपेरीमेंटल एस्टेब्लिशमेंट) के औद्योगिक कर्मचारियों की छूटनी

2530. श्री अर्जुन सेठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासौर (उड़ीसा) स्थित प्रमाण तथा प्रायोगिक प्रतिष्ठान के औद्योगिक कर्मचारियों की प्रस्तावित छूटनी के क्या कारण हैं; और

(ख) उन 'प्रूफ' और 'ट्रायल' कार्यों को, जिन्हें थोड़े समय पूर्व नये-बये कृत्रिम 'प्रूफरेजों' को सौंपा गया था, इस प्रतिष्ठान को पुनः प्रारम्भ करने के लिए तत्काल आदेश क्यों नहीं दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रूफ और प्रयोग स्थापना बालासौर में औद्योगिक कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई छूटनी नहीं की गई है और न उसका कोई प्रस्ताव है ।

(ख) नई निर्मित प्रूफ रेज को अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबंधित कोई कार्य नहीं दिया गया है । अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित उपकरणों और गोला बारूद के परीक्षणों और मूल्यांकन से संबंधित सारा काम अभी भी प्रूफ और प्रयोग स्थापना, बालासौर में किया जा रहा है । चूँकि कुछ वस्तुओं का प्रयोग संबंधी काम काफी बढ़ गया है और इसके अभी और बढ़ने की आशा है और कुछ नेमी प्रयोग का कार्य अभी भी बालासौर में किया जा रहा है, अतः यह व्यवहार्य नहीं होगा कि अन्य स्थान पर किया जाने वाला नेमी प्रूफ संबंधी काम भी उक्त स्थापना को सौंपा जाए ।

संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के क्रियान्वयन के संबंध में कन्नानूर फूड कारपोरेशन घुमाठी, थोजीलाली, संघ का अभ्यावेदन

2531. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानूर फूड कारपोरेशन घुमाठी, थोजीलाली, संघ (अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस) से संविद श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, के

संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकार से उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या इस अधिनियम के अनुसार जिस केन्द्रीय बोर्ड का गठन होना था, वह नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम को पूर्णतः क्रियान्वित करने में सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करने के मामले पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड 30-10-71 को गठित किया गया था ।

(ग) भारत सरकार ने अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली को 10-2-71 से लागू किया है । अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को नियुक्त किया गया है और अधिनियम को केन्द्रीय क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

केरल की राज्य सरकार, जो कन्नानूर खाद्य निगम के संबंध में 'समुचित सरकार' है, अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

मारुति लिमिटेड को इस्पात की सप्लाई

2532. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड, हरियाणा (छोटी कार कम्पनी) को परियोजना हेतु इस्पात के कोटे का आबंटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कम्पनी ने कोटे के लिए कब आवेदन-पत्र दिया था;

(ग) कोटे की मंजूरी कब दी गई थी, और

(घ) कम्पनी द्वारा कुल कितने इस्पात की माँग की गई थी और उनके मंत्रालय द्वारा इसे वास्तव में कितना इस्पात सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ख). इस्पात के वितरण की संशोधित प्रणाली, जो मई, 1970 से लागू है, के अन्तर्गत कोटे देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ।

(घ) इस फर्म ने कितने इस्पात की माँग की थी और इसे विभिन्न स्रोतों से कितना इस्पात दिया गया है, के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए कोयले की कमी

2533. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भिलाई कारखाने को कोकिंग कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कमी कब से दूर हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन कारखानों में उत्पादन को कितनी हानि हुई है और क्या किन्हीं अन्य कारखानों को भी इस कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इन कारखानों की कमी के अनुसार कोकिंग कोयले की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : भिलाई इस्पात कारखाने के लिए कोकिंग कोयले की कोई कमी नहीं रही है। फिर भी पिछले कुछ महीनों से यह कारखाना कोयले के सामान्य स्टॉक से कम स्टॉक से काम कर रहा है।

(ख) कोयले के काम में कमी मुख्यतः बिजली की अनिश्चित सप्लाई के कारण हुई है जिससे कोयला शोधन शालाओं के ठीक ढंग से कार्य करने पर प्रभाव पड़ा है और कुछ हद तक इसका कारण पूर्वी क्षेत्र में यातायात की कठिनाइयाँ भी हैं।

(ग) भिलाई इस्पात कारखानों में कोकिंग कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई है। जबकि राऊरकेला इस्पात कारखाने और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में भी कोयले के सामान्य स्टॉक से कम स्टॉक की समस्या रही है, उनके उत्पादन पर भी इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनमें से किसी कारण से भी इस्पात कारखानों में लगातार उत्पादन में कोई गम्भीर बाधा न आने पाये कारखाना तथा मंत्रालय स्तर पर बिजली पैदा करने वाले तथा रेल यातायात से सम्बन्धित सभी अभिकरणों से लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी के वैगन डिवीजन को नियन्त्रण में लेने के लिये बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

2534. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी के वैगन डिवीजन की मोकामेह स्थित फैक्टरी के प्रबन्ध को, औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, नियन्त्रण में लेने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) क्या सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी (वैगन डिवीज़न) मोकामेह के कार्यों की जाँच करने के लिए उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अधीन एक जाँच समिति गठित करने का निश्चय किया गया है ।

हिन्दुस्तान ताँबा निगम द्वारा मलंजखण्ड ताँबा खानों के उपयोग के लिये योजना

2535. श्री बिदिब चौधरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ताँबा निगम ने मध्य प्रदेश में मलंजखण्ड की खुली ढलवाँ ताँबे की खानों के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है और उसे अन्तिम रूप दिया है;

(ख) क्या मलंजखण्ड के अयस्कों के लिए एक अलग अयस्क स्मेल्टिंग संयंत्र होगा अथवा इन्हें स्मेल्टिंग के लिए खेतड़ी और घाटसिला ले जाया जायेगा; और

(ग) पूरी परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने मलंजखण्ड ताम्र निक्षेप के विकास के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किए हैं । इन अध्ययनों के आधार पर खनन संक्रियाओं के लिए साध्यता अध्ययन करने और मलंजखण्ड में सान्द्रण संयंत्र की स्थापना के लिए विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है । परामर्शदाताओं की नियुक्ति प्रक्रियागत है ।

(ख) मलंजखण्ड में ताम्र प्रद्रावक को स्थापित करने अथवा खेतड़ी या घाटसिला को प्रद्रावण के लिए ताम्र सान्द्रों के परिवहन का विनिश्चय, परामर्शदाताओं द्वारा की जाने वाली संक्रियाओं के आकार पर लिया जाएगा ।

(ग) इस समय, समस्त परियोजना की लागत को उपदर्शित करना संभव नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत गैर-कोकिंग कोयला खानों के लिए प्रशासनिक मशीनरी

2536. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर-कोकिंग कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेने के क्या कारण हैं;

(ख) उन कोयला खानों के प्रबंध के लिए स्थ पित की गई प्रशासनिक मशीनरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खानों का संचालन अधिक कुशलता से करने के लिए कोई योजनायें बनाई गई हैं और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्राइवेट कोयला-खान स्वामियों की ओर से खानों के विकास के लिए नए विनिधानों की दिशा में प्रयत्नों में कमी थी और खनिज संरक्षण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था एवं अनुरक्षण की कमी के कारण विद्यमान खानों को भी हानि पहुँचाने का तत्काल खतरा था। आसनसोल-रानीगंज कोयला पट्टी में अनेक खानें बंद की गई थीं और कार्यरत खानों द्वारा भी अपनी क्षमता का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था और कई खानों में मजदूरी बोर्ड पंचाट को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार के देय का बहुत सा संदाय बकाया था। इसके अतिरिक्त पंचमः पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर की खानों द्वारा 280 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा का योगदान किए जाने की संभावना है जिसके लिए अधिक मात्रा में विनिधान अपेक्षित होगा जो कि प्राइवेट स्वामियों की क्षमता से बाहर की बात थी। इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन समस्त अकोककारी कोयला खानों का, ऐसी खानों के राष्ट्रीयकरण तक, प्रबन्ध ग्रहण किया है।

(ख) प्रबन्ध के प्रयोजनार्थ, कोयला खान प्राधिकारी ने ग्रहीत खानों को 49 दलों में विभाजित किया है और प्रत्येक दल पब्लिक सेक्टर कम्पनियों या कोयला बोर्ड या खान सुरक्षा महानिदेशालय में से लिए गए अभिरक्षक के अधीन है। खानों के सही रूप में कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए महाभिरक्षकों द्वारा अतिरिक्त महाभिरक्षकों और उप-महाभिरक्षकों को पर्याप्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ग) और (घ). प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् अल्पावधि में खानों की कार्यकरण दक्षता में सुधार के लिए कोई समुचित योजना तैयार नहीं की जा सकी है। इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए कोयला खान प्राधिकारी के महाभिरक्षक द्वारा समिति गठित की जा रही है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के एककों में प्रगति

2537. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के एककों द्वारा इस वर्ष कितनी प्रगति की गई है;

(ख) खेतड़ी परियोजना के कार्य को पूरा करने में इसे कितना समय लगेगा और वहाँ उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा;

(ग) क्या नये निक्षेपों और साथ ही यह पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनसे खनिज वाणिज्यिक स्तर पर निकाला जा सकता है अथवा नहीं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1972 में हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में सर्वतोन्मुखी प्रगति अभिप्राप्त की गई है। खेतड़ी ताम्र परियोजना में खान विकास और विभिन्न प्रक्रिया संयंत्रों के संनिर्माण कार्यों की प्रगति में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान परियोजना में कुल लगभग 22 करोड़ रुपए का विनिधान किया गया। राखा ताम्र परियोजना में, खान विकास के अतिरिक्त, सान्द्रक संयंत्र का संनिर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया। अग्निगुण्डाला में, बण्डालामोट्टू निक्षेप को समन्वेषी खनन प्रायोजना का अधिकांश भाग सम्पूरित किया गया और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया। दरीबा ताम्र परियोजना का विकास कार्य भी आरम्भ किया गया। भारतीय ताम्र संकुल, घाट-शिला में, जिसका कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रबंध ग्रहण किया था, 1971 की औसतन 800 टन की उत्पादन दर की तुलना में वर्ष के अन्त तक ताम्र धातु की उत्पादन दर लगभग 1100 टन तक वर्धित हुई।

(ख) यह आशा की जाती है कि 1974 के आरम्भ में खेतड़ी ताम्र परियोजना से उत्पादन आरम्भ होगा।

(ग) और (घ). नए खनिज निक्षेप अवस्थापित करने के लिए भूवैज्ञानिक समन्वेषण सतत प्रक्रियाशील हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में मलंजखण्ड में आशाजनक ताम्र निक्षेप अवस्थापित किया गया है। इस निक्षेप के विकासार्थ आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रमिक ब्यूरो के एक हिस्से को शिमला से चंडीगढ़ ले जाना

2538. श्री बसंत साठे : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में कार्यालय के लिए स्थान की कमी होने से श्रमिक-ब्यूरो का एक हिस्सा शिमला से चंडीगढ़ ले जाना पड़ा था;

(ख) चंडीगढ़ में कितने कर्मचारियों को भेजा गया और वहाँ के कार्यालय भवन के लिए प्रति माह कितना किराया दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक और कार्य की सुविधा की दृष्टि से इन कार्यालयों को दिल्ली के निकट अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाने का है; और यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हाँ।

(ख) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 119 थी जिन्हें शिमला से चण्डीगढ़

स्थानान्तरित किया गया और इस समय चंडीगढ़ स्थित कार्यालय भवनों के लिए 5950/- रुपये प्रति माह का मासिक किराया दिया जा रहा है।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्रमिक ब्यूरो में आर्थिक अन्वेषकों के लिए पदोन्नति का कोटा

2539. श्री वसंत साठे : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक ब्यूरो में आर्थिक (अन्वेषक इकानामिक इन्वेस्टीगेटर) ग्रेड 2 से आर्थिक अन्वेषक ग्रेड 1 में पदोन्नति का कोटा कितना है;

(ख) कृषि विभाग के अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय निदेशालय में ऐसे ग्रेडों के लिए विद्यमान 50 प्रतिशत कोटे की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पदोन्नति के कोटे में समुचित वृद्धि करने का है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). श्रम ब्यूरो में प्रथम ग्रेड के अन्वेषकों की नियुक्ति संबंधी भर्ती नियमों के अनुसार, प्रथम ग्रेड के अन्वेषक की रिक्त स्थानों का एक तिहाई द्वितीय ग्रेड के अन्वेषकों की पदोन्नति द्वारा भरना होता है। इसकी तुलना अर्थ तथा सांख्यिकी महा निदेशालय में अनुसंधान अन्वेषक (ग्रेड-2) की अनुसंधान अन्वेषक (ग्रेड-1) अनुभाग अधिकारी (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के कोटे के साथ अनुकूल रूप में की जा सकती है।

(ग) जी नहीं।

खेतड़ी तांबा परियोजना के उपोत्पाद

2540. श्री राजदेव सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या दीर्घ काल तक प्रतीक्षा और धैर्य के बाद 115 करोड़ रुपये की खेतड़ी तांबा परियोजना पूरी होने वाली है;

(ख) क्या 200,000 टन ट्रिपल सुपरफास्फेट का उत्पादन करने वाले उर्वरक संयंत्र को शुरू करने के लिए उपोत्पाद सल्फ्यूरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा;

(ग) क्या देश के लिए आवश्यक अन्य उपोत्पाद प्राप्त किए जायेंगे; और

(घ) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। पूर्ण संचालनावस्था में, ट्रिपल सुपर फास्फेट के लगभग दो लाख टन के उत्पादन के लिए, उपोत्पाद गंधकीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड क्रिओलाइट के उत्पादन के लिए फ्लूओराइन के, जो उर्वरक संयंत्र का उपोत्पाद होगा, उपयोग की साध्यता का परीक्षण कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में बेचने योग्य इस्पात और पिंड इस्पात का उत्पादन

2541. श्री राजदेव सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों में जनवरी में 281,500 टन बेचने योग्य इस्पात का उत्पादन अब तक पिछले महीनों में सबसे अधिक था;

(ख) क्या पिंड इस्पात का कुल उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सबसे अधिक था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सबसे अधिक उत्पादन किसी विशेष कार्यक्रम का परिणाम है अथवा सामान्य प्रकार का उत्पादन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन सरकारी क्षेत्र के तीन सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों का जनवरी, 1973 के महीने का विक्रेय इस्पात का कुल वास्तविक उत्पादन 282,200 टन था। यह अब तक पिछले किसी एक महीने के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं / उठाये जा रहे हैं और उत्पादन में वृद्धि का रुख उन्हीं प्रयत्नों के फल-स्वरूप हो सकता है।

रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में सिविल इंजीनियर असिस्टेंटों का दमन

2542. श्री भोगेन्द्र झा : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में अब तक कुल कितने सिविल इंजीनियर असिस्टेंट दमन से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या प्रभावित हुए इंजीनियर असिस्टेंट इस दमन के खिलाफ अभ्यावेदन देते रहे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या दमन की कार्यवाहियों को समाप्त करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1966 में भारी इंजीनियरी निगम के निर्माण प्रभाग के कुछ इंजीनियर सहायकों (सिविल) को फालतू घोषित किया गया था। उनमें से लगभग 130 को उनकी स्वेच्छा से भारी इंजीनियरी निगम के कारखानों के उत्पादन प्रभाग में रख लिया गया था। बाद में इन इंजीनियर सहायकों में से कुछ की जूनियर इंजीनियर के पदों पर पदोन्नति कर दी गई। चूंकि स्थानान्तर से पहले उनमें से बहुत से इंजीनियर सहायक निर्माता प्रभाग के अपने साथियों से जूनियर थे, निर्माता प्रभाग के इंजीनियर सहायकों (सिविल) ने महसूस किया कि उनके जूनियर उनसे आगे निकल गए हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले इंजीनियर सहायकों की संख्या 109 है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) 6 जुलाई, 1972 को भारी इंजीनियरी निगम के प्रबंधकों ने सिविल इंजीनियरी कार्मिकों के दो संवर्गों अर्थात् सिविल निर्माण और रख-रखाव संवर्ग तथा सिविल ढाँचा रूपांकन संवर्ग का गठन किया। सभी सिविल इंजीनियरी कार्मिकों को किसी भी संवर्ग में आबंटन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा गया। इन संवर्गों में उनके आबंटन की उपयुक्तता की जाँच एक समिति द्वारा की गई है। भारी इंजीनियरी निगम रिक्तियों को देखते हुए सम्बन्धित संवर्गों में उनकी पदोन्नति के बारे में कार्यवाही कर रही है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविलियन कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2543. श्री वनमाली पटनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में कितने ऐसे सिविलियन कर्मचारी हैं जो 20 वर्षों से अधिक एक ही शाखा में कार्य कर रहे हैं;

(ख) सामयिक स्थानान्तरण, जैसा सिविल मंत्रालयों में किया जाता है, लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिक समय तक एक ही जगह रखने की वर्तमान पद्धति मनोबल और सेवा की कुशलता में बाधक सिद्ध नहीं हो रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के व्याज की दर में वृद्धि

2544. श्री वसंत साठे : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड ने जमाकर्ताओं के लेखों पर व्याज दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर देने की जो सिफारिश की है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) दोषी कर्मचारियों की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और पिछले तीन वर्षों से उनकी संख्या कितनी रही है; और

(ग) वसूली कार्य में सुधार लाने हेतु क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान देने वालों के खातों में ब्याज की दर को वर्ष 1972-73 के लिए 6% तक प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने अपनी गत बैठक में यह सिफारिश की कि वर्ष 1973-74 के लिए ब्याज की वही दर हो अर्थात् 6% प्रति वर्ष। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

(ख) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि के गत तीन वर्षों के अंशदानों की बकाया राशियाँ और चुक करने वाले छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना, जैसी कि भविष्य निधि प्राधिकारियों ने भेजी है, नीचे दी जाती है—

	भविष्य निधि के अंशदान की बकाया राशियाँ (लाख रुपयों में)	चुक करने वाले छूट-न- प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या
31-3-1970 को	1468.71	8,400
31-3-1971 को	1649.40	7,842
31-3-1972 को	2065.57	8,000

(ग) चुक करने वाले नियोजकों के विरुद्ध और कठोर दण्डों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, ऐसे छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध, जो देय राशि के भुगतान और/अथवा विवरणियाँ प्रस्तुत करने में चुक करते हैं, निम्न कार्रवाइयाँ की जाती हैं—

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है।
- (ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत, राजस्व वसूली की कार्रवाइयाँ की जाती हैं।
- (iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस न्यायालयों में शिकायतें दायर की जाती हैं।
- (iv) नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों, जिनमें ट्रेड यूनियनों भी शामिल हैं, के ध्यान में चुक को लाया जाता है।
- (v) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत, दण्डनीय क्षतिपूर्तियाँ लगाई जाती हैं।
- (vi) कुछ मामलों में, प्रतिष्ठानों को देय राशि का भुगतान उपयुक्त किस्तों में करने का मौका दिया जाता है, बशर्ते कि वे पर्याप्त गारंटी, जमानत इत्यादि दे दें।

(vii) ऐसी कपड़ा मिलों के मामले में जो समापन की अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, पुनर्निर्माण योजनाओं के गुण-दोष के आधार पर जाँच की जाती है।

श्रमिक-प्रबंधक विवाद

2545. श्री पी० बेंकटासुब्बया : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने श्रमिक-प्रबंधक विवाद हुए;

(ख) इसके लिए जिम्मेदार कारण क्या हैं; और

(ग) इन विवादों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 1970, 1971 और 1972 के दौरान हुए औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबंदियों) की संख्या इस प्रकार थी—

वर्ष	औद्योगिक विवादों की संख्या (हड़ताल और तालाबंदियाँ)
1970	2,889
1971	2,752
1972 (अनंतिम)	2,614

ये विवाद मुख्यतया मजदूरी और भत्तों, कार्मिक संबंधी मामले, बोनस, छुट्टी, अभिकथित अनुशासनहीनता और हिंसा और छुट्टी और कार्य-घंटों संबंधी वाद विषयों के बारे में थे।

(ग) औद्योगिक संपर्क तंत्र, वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार, प्राथमिक विचार-विमर्श, संराधन और न्यायनिर्णय और विवाचन द्वारा काम रोधों को न्यूनतम करने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली में सुधार लाने के लिए सम्मत उपाय तैयार करने हेतु सरकार, संबंधित पक्षों से भी विचार-विमर्श करती रही है।

‘बेकरी’ उपकरण की कमी

2546. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ‘बेकरी’ उपकरण की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). संगठित क्षेत्र में डबल रोटी बनाने वाले संयंत्रों का निर्माण करने वाला एक एकक है और इसके अलावा ऐसे बहुत से लघु एकक हैं जो बेकरी उपकरणों के कुछ हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं। जटिल प्रकार के उपकरणों, जो उत्पादन की विद्यमान श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं हैं, का देश में उत्पादन किये जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

केरल में खनिज निक्षेप

2547. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कुल खनिज उत्पादन में केरल की स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : देश में कुल खनिज उत्पादन में 1971 में केरल का स्थान 15 वाँ रहा, कुल उत्पादन में इसका भाग 0.1% रहा।

केरल में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना

2548. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की सोच रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उस स्थान का नाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). फेराँक (केरल) में मैसर्स स्टील कम्पलैक्स लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष 50,000 टन इस्पात पिंड, बिलेट के निर्माण हेतु लगाए जा रहे विद्युत भट्टी एवं लगातार ढलाई के कारखाने के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नेतरनी द्वीप में नौसैनिक बम का फटना

2549. श्री बी० वी० नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में उत्तरी कनारा तट पर नेतरनी द्वीप में 2 फरवरी, 1973 को नौसैनिक बम फट गया था जिससे 13 व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) क्या यह बम पिछले वर्ष के नौसैनिक अभ्यासों के समय से पड़ा रह गया था; और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जायेगा; यदि हाँ, तो किस दर से ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). नेतरनी द्वीप में एक विस्फोट हुआ था। मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है और जाँच-पड़ताल के परिणाम सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

**विशाखापत्तनम, होस्पेट तथा सेलम में स्थापित की जा रही इस्पात
परियोजनाओं का पुनरीक्षण**

2550. श्री बी० बी० नायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम, सेलम तथा होस्पेट स्थित इस्पात परियोजनाओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पुनरीक्षण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप संसाधन तथा समय संबंधी अनुमानों में क्या अन्तर आ जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग). सेलम की विशेष इस्पात प्रायोजना में पूंजी निवेश का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है तथा इस प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए 25-10-1972 को "सेलम स्टील लिमिटेड" के नाम से एक नई कंपनी निर्गमित की गयी है। सेलम प्रायोजना का रूपांकन प्रतिवर्ष 1,95,000 टन तैयार विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इस प्रायोजना का अनुमानित पूंजीगत परिव्यय लगभग 340 करोड़ रुपये है तथा इसे 1978-79 तक (चरणों में) पूर्ण किये जाने की योजना है।

जहाँ तक विजय नगर और विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजनाओं का संबंध है, परामर्शदाताओं ने अपनी तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों में (प्रत्येक कारखाने में 20 लाख टन पिंड की समतुल्य क्षमता के लिए निश्चित आकार के उत्पादों की परिकल्पना) बताया है कि संयंत्र और उपस्करों, कच्चे माल, परिवहन आदि की लागत बढ़ जाने के कारण पूंजीगत तथा परिचालन लागत में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जायेगी तथा काफी आवर्ती हानियाँ होंगी।

इन दोनों प्रायोजनाओं की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत से अध्ययन किये जा रहे हैं। यह अध्ययन प्रायः पूर्ण होने वाले हैं। आशा है कि पूंजी निवेश के बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

विशाखापत्तनम तथा विजयनगर प्रायोजनाओं के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात् ही इस बात का ठीक-ठीक पता चल सकेगा कि पूंजीगत तथा परिचालन लागतों में किस हद तक कमी की जा सकती है। परामर्शदाताओं द्वारा निर्माण अनुसूची के बारे में भी विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में ही बताया जायेगा।

कोकिंग कोयला खानों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला उपदान

2551. श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के लागू हो जाने के बाद से कोकिंग-कोयला खानों और कोक भट्टियों के कर्मचारियों को सरकार से उपदान का दावा करने से रोक दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को परिसम्पत्तियों के साथ-साथ देनदारियों को भी अपने जिम्मे नहीं लेना था; और

(ग) इस संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सामान्य बीमे में स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Chemical Examination of Platinum discovered from Dhangua Region

2552. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether platinum has been discovered from bauxite in Dhangua region of Jabalpur district of Madhya Pradesh;

(b) whether this rare and the most valuable metal on the earth was sent to U. S. A. for physical and chemical examination; and

(c) if so, full information in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) to (c). A mention of the reported occurrence of platinum at Dhangua in Jabalpur district, Madhya Pradesh, has been made in 'Annotated Index of India Mineral Occurrences' Part III. The bauxite deposit at Dhangua on the Jabalpur-Katni road, is reported, therein to contain platinum. Three samples of this bauxite analysed in U. S. A. were reported to contain 22, 15 and 11 gms. of platinum per ton of ore.

The Geological Survey of India have also collected samples of bauxite from Dhangua quarry for determination of platinum content. Platinum was not detected in these samples.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय से गुम हुई फाइलें

2553. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के कार्यालय से बहुत सी फाइलें और मूल दस्तावेज गुम हैं; क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने नियोक्ताओं से साठ-गाँठ करके उन्हें वहाँ से उड़ा दिया है; और

(ख) क्या ऐसी गुम फाइलों और दस्तावेजों की कोई सूची बनाई गई है और इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है—

प्रादेशिक कार्यालय, बिहार के लेखा और प्रवर्तन खण्डों की 6000 फाइलों में से 117 फाइलों का इस समय सुराग नहीं मिल रहा है। इन 117 फाइलों में से 101 फाइलों को पुनः तैयार किया गया है और बकाया फाइलें पुनः निर्मित की जा रही हैं। 117 अन्तर्ग्रस्त प्रतिष्ठानों में से, 73 प्रतिष्ठान अनुपालन की दृष्टि से कमोवेश नियमित हैं। इसलिये नियोजकों के साथ मिल कर फाइलें उठाने का प्रश्न नहीं उठता। 1952 से लेकर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को छः बार स्थानान्तरित करना पड़ा है और किसी व्यक्ति-विशेष को जिम्मेदार ठहराना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बिहार और अन्य क्षेत्रों के लिए कार्यालय भवन

2554. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का मामला गत कई वर्षों से निलंबित है;

(ख) शीघ्र निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण या आबंटन हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) किन क्षेत्रों में भवन निर्मित किये गये हैं तथा उन पर क्या लागत आई है; और

(घ) किन क्षेत्रों में प्रादेशिक आयुक्त तथा कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण करने की योजना है और उसका व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है—

(क) और (ख). क्षेत्रीय कार्यालय भवन और कर्मचारी वर्ग के क्वार्टरों के निर्माण के लिए पटना में भूमि का एक उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार और पटना सुधार न्यास की मार्फत पिछले कुछ वर्षों से पर्याप्त प्रयास किये गये हैं/किये जा रहे हैं। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भूमि के एक उपयुक्त भूखण्ड के शीघ्र आबंटन का अनुरोध करते हुए मामले को बिहार की राज्य सरकार के साथ उठाया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना ने जनवरी, 1973 में सूचित किया है कि मामला सक्रिय रूप से बिहार की राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ). उन भवनों के ब्यौरे, जो निर्मित हो गये हैं या पूर्ण होने वाले हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4429/73.]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता तथा मेडिकल बिल

2555. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री 18 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने अनेक यात्रा भत्ते के तथा मेडिकल बिल छोटी-छोटी आपत्तियाँ लगाकर सम्बंधित व्यक्तियों को वापिस भेज दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, बिहार, द्वारा इन्हें इतने लम्बे समय तक अनिर्णीत रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) समय पर उचित कार्यवाही न किये जाने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है—

(क) जी नहीं। केवल 4 प्रतिशत बिल ठीक किए जाने हेतु वापिस किए गए थे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में एक इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्ताव

2556. श्री अण्णा साहिब गोर्टाखेड : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उनसे जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर चर्चा की थी;

(ख) क्या मुख्य मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उक्त जिले में ऐसा संयंत्र स्थापित करना सुविधाजनक और लाभदायक होगा; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु जनवरी, 1973 में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में एक सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखाना लगाने के बारे में आग्रह किया गया था।

(ग) इस्पात विकास हेतु दीर्घावधि योजना के सम्बन्ध में किए जाने वाले तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों का कार्यक्रम बनाते समय चन्द्रपुर जिले सहित देश के अन्य उपयुक्त स्थलों पर कारखाने लगाने के लाभों को ध्यान में रखा जाएगा।

कोयला खान वेतन बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

2557. श्री राम नारायण शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोट अवकाश तथा अपंग कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक हल्का काम देने के बारे में कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को इस बीच पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मजदूरी बोर्ड की इच्छानुसार, चोट के लिये छुट्टी संबंधी सिफारिश पर कोयला खानों के लिए औद्योगिक समिति द्वारा विचार किया गया। नियोजकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त बोझ को सहन करने की आर्थिक क्षमता उनमें नहीं है। विकलांग कर्मचारों के लिए वैकल्पिक उच्चतर नियोजन संबंधी प्रश्न मजदूरी बोर्ड के विचारार्थ विषय के भी अन्तर्गत नहीं आता था। तथापि, अपनाने के लिए ये सिफारिशें नियोजकों को क्रमशः 28 दिसम्बर और 19 सितम्बर, 1972 को भेजी गई हैं।

खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने की योजना

2558. श्री राम नारायण शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). महानिदेशक, खान सुरक्षा, के कार्यालय को वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक के अर्ध वर्ष (जुलाई से दिसम्बर, 1973) के निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इस कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या संबंधी प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पिट सेपटी कमेटियाँ

2559. श्री रामनारायण शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी खानों में पिट सेपटी कमेटियाँ जिनमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, कार्य कर रही हैं और कितनी खानों में ऐसी कमेटियों की स्थापना नहीं हुई है;

(ख) इन कमेटियों के स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और सभी खानों में ऐसी कमेटियों की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 100 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली खानों में 'पिट सेपटी कमेटियाँ' बनायी जानी हैं। 1971 के अन्त में, 100 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली कोयला खानों और गैर कोयला खानों की संख्या क्रमशः 530 और 394 थी। 31-12-1972 को, 472 कोयला खानों और 241 गैर-कोयला खानों में 'पिट सेपटी कमेटियों' के कार्य करने की सूचना दी गयी थी। सिर्फ 58 कोयला खानों और 153 गैर-कोयला खानों में 'पिट सेपटी कमेटियाँ' नहीं बनाई गई हैं।

(ख) और (ग). पिट सेपटी कमेटी का गठन अभी अनिवार्य नहीं है। ये खानों में स्वैच्छिक आधार पर बनाई जाती हैं। पिट सेपटी कमेटियाँ बनाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा उद्योग को समय-समय पर स्मरण कराया गया है।

गोरखपुर में उर्वरक कारखानों में कर्मचारियों पर हमला

2560. श्री मधु दंडवते : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं अथवा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के उर्वरक कारखाने के उन कर्मचारियों, जो उनकी यूनियन में काम करते हैं, पर हमला किया गया है;

(ख) क्या उक्त घटना कार्मिक संगठनों में प्रतिद्वन्द्विता के कारण हुई है; और

(ग) हमले में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया और उनकी यूनियन का नाम क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह बताया गया है कि पचास कर्मचारियों ने, जिनमें लगभग सभी फर्टिलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन से संबंधित थे, आठ गैर यूनियन श्रमिकों पर हमला किया। दूसरे मामले में, यह बताया गया है कि एक गैर यूनियन श्रमिक ने भी उपर्युक्त यूनियन के एक पदाधिकारी पर हमला किया। इस संबंध में राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई और यह बताया गया है कि जाँच-पड़ताल चल रही है।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के युद्ध-बन्धियों के शिविरों में गोली चलना

2561. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 में उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों के युद्धबन्दी शिविरों में गोली चलने की कुछ घटनाएँ हुई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन सभी मामलों में कोई न्यायिक जाँच के आदेश दिए गए हैं और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). जनवरी, 1973 में गोली चलने की दो घटनाएँ हुईं; ये उत्तर प्रदेश के दो विभिन्न शिविरों में हुईं। एक मामले में, पूर्व नियोजित बलवाई आचरण द्वारा शिविर से सामूहिक रूप में भागने के प्रयत्न में लगभग 800 से 900 तक युद्धबन्दी सम्मिलित थे। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए गार्ड को शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। जाँच-अदालत ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है।

दूसरे मामले में, तीन युद्धबन्धियों ने भागने के प्रयत्न में आन्तरिक परिधि को पार किया। रक्षकों ने उनका पता लगा लिया और उन्होंने युद्धबन्धियों को बार-बार चेतावनी दी। युद्धबन्धियों ने चेतावनियों की परवाह न की। उनमें से एक ने रायफल छीनने के लिए संतरी के साथ हाथापाई की और उसको जखमी कर दिया। अतः गोली चलानी पड़ी। जिसके परिणामस्वरूप एक युद्धबन्दी की मृत्यु हो गई और दूसरे को चोट आई। घटना के संबंध में जाँच-अदालत की कार्यवाही की अभी प्रतीक्षा है।

आई० एन० एस० 'नीलगिरि' की कार्यकुशलता

2562. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० गंगादेव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव निर्मित भारतीय युद्ध पोत आई० एन० एस० नीलगिरि अरब की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यासों में भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी कार्यकुशलता कैसी रही ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ श्रीमन् ।

(ख) कार्यकुशलता आशाओं के अनुसार रही है।

शिमला समझौते के उल्लंघन में पाकिस्तानी प्रचार

2563. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री के० लक्ष्मी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रचार का एक और मामला सामने आया है जिससे शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ है; और

(ख) क्या इस बारे में पाकिस्तान को कोई नोट भेजा गया है और यदि हाँ, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के झूठे प्रचार का खंडन किया है और इस मामले में पाकिस्तान सरकार को औपचारिक रूप से चिंता व्यक्त की है ।

पाकिस्तान ने सूचित किया है कि भारतीय सेना द्वारा रिक्त किये गये स्थानों की विदेशी राजदूतों द्वारा यात्रा, किसी भी प्रचार के उद्देश्य से आयोजित नहीं की गई थी बल्कि यह तो पुनर्वास एवं राहत संबंधी आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए आयोजित की गई थी ।

वियतनाम में संधि परिषद्

2564. श्री समर गुह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वियतनाम की संधि परिषद् में शामिल नहीं किया गया है; और

(क) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मैं समझता हूँ कि वियतनाम की विराम-संधि परिषद् से माननीय सदस्य का अभिप्राय वियतनाम-स्थित नए अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग से है । भारत इसका सदस्य नहीं है ।

(ख) इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निकायों के गठन के बारे में संबद्ध दल ही आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं ।

Steel Quota for Small Factories

2565. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether small factories established with the assistance of loans from the nationalised banks and producing steel goods have not been allotted quota of steel so far by the

Joint Plant Committee, whereas they were required to go into production by the 30th September 1970 but their capacity was estimated later on;

(b) whether many indebted small factories are facing closure on account of financial crisis created during these 2-3 years as a result thereof and they would not be able to repay the loans advanced by the nationalised banks; and

(c) the nature of the urgent action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) :
(a) Steel supplies to small scale industries all over the country are now routed through the respective state Small Scale Industries Corporations. The Corporations make their own assessment of the requirements of the small scale units in their state and place their consolidated demand on the Joint Plant Committee. The materials received by them are distributed by them to the units in their state.

2. Small scale units requiring certain categories of steel materials like wire rods, bright bars, skelp and strips, are not yet covered by the above procedure but receive allocation directly also. However, direct allocations from the main steel plants are restricted to units whose capacity had been certified prior to September 30, 1970. As regards others, they have to depend upon supplies from producers' stockyards, billet re-rollers committee and State Small Scale Industries Corporation.

(b) Government have no information.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र में ऊनी उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी

2566. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रिपवाल के कारण महाराष्ट्र में ऊनी उद्योग वर्ष 1955 से काफी लाभ कमा रहा है;

(ख) क्या उसमें कर्मचारियों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी केवल 30 रुपये ही है;

(ग) क्या इस अन्याय के विरुद्ध 19 सितम्बर, 1972 को हड़ताल की गई थी; और

(घ) महाराष्ट्र के ऊनी उद्योग के कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) - यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। अनुमानतः निर्देश 19 सितम्बर, 1972 को हुई सांकेतिक हड़ताल की ओर है जिसके बाद अम्बरनाथ और थाना सहित बम्बई स्थित ऊनी उद्योग के लगभग

8,500 श्रमिकों ने 11 अक्टूबर, 1972 से 6 नवम्बर, 1972 तक हड़ताल की। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य औद्योगिक संपर्क तंत्र द्वारा किए गए प्रयासों और विवाद को औद्योगिक न्यायालय को न्यायनिर्णय हेतु निर्देशित करने संबंधी पक्षों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त कर दी गई।

सशस्त्र सेनाओं के लिए मकान

2567. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के लिए आवास-व्यवस्था नितांत संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो सशस्त्र सेनाओं के लिए और अधिक मकानों का निर्माण करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सशस्त्र सेना कर्मिकों के लिए परिवारिक आवास की कमी है। कमियों को पूरा करने और तीनों सेवाओं तथा हरेक सेवा के विभिन्न रैंकों के बीच संतोष की प्रतिशतता को एक जैसा सुनिश्चित करने के विचार से उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए निर्माण का एक चरणवार कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

लौह अयस्क निक्षेपों के लिए मालावार क्षेत्र का सर्वेक्षण

2568. श्री वयालार रवि : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालावार क्षेत्र में उपलब्ध लौह-अयस्क निक्षेपों के बारे में प्रारंभिक अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इन निक्षेपों को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में इस लौह-अयस्क के उपयोग से इस्पात का कारखाना स्थापित करने का है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, केरल में कोजिकोड (मालावार) जिले के कालीकट क्षेत्र में चेरुप्पा, ऐलियट्टीभाला, नानमिदा और नान्दुवल्लूर में लौह अयस्क के लिए व्यधन द्वारा विस्तृत अन्वेषण सम्पूरित किए जा चुके हैं और 31 तथा 40% तक के कुल लोहांश वाली बैंडिड मैग्नेटाइट क्वार्ट्ज-जाइट अयस्क (नई और आक्सीकृत, दोनों) की लगभग 440 लाख टन उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की गई हैं। संलग्न आलमपारा निक्षेप का व्यधन द्वारा अन्वेषण प्रगति-पर है। मालापपुरम जिले में लौह-अयस्क के लिए बड़े पैमाने पर मानचित्रण द्वारा अन्वेषण कार्य, चालू क्षेत्र-सत्र में आरम्भ किया गया है।

(ग) केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रश्न का परीक्षण, समस्त लौह अयस्क के संभावित निक्षेपों में अन्वेषण कार्य सम्पूरित होने तथा क्षेत्र में कुल उपलब्ध राशियों का ज्ञान होने पर ही, किया जा सकता है।

कृषकों को देहु रोड, पूना के निकट खेती के लिए दी गई भूमि के लगान में वृद्धि

2569. श्री अनन्त राव पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहु रोड (जिला पूना) महाराष्ट्र में और उसके आसपास के कृषका को वार्षिक आधार पर खेती के लिए दी गई भूमि का प्रति एकड़ लगान 16 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह वृद्धि बहुत अधिक है, और किसान उसे देने में असमर्थ हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लगान में वृद्धि को स्थगित करके किसानों को सहायता देना चाहती है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना पहली मार्च, 1973 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1457 के उत्तर में सभा के पटल पर रख दी गई है। वही सूचना दोबारा नीचे दी जाती है—

“1-4-1970 से किराये को 9 रु० से बढ़ाकर 80 रु० प्रति एकड़ कर दिया गया। प्रभावित कृषकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने इस आधार पर किराये घटाने के लिए कहा है कि लगाया गया किराया अधिक है और किराये के पुनर्निर्धारण का आधार अनुचित है। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।”

बोकारो इस्पात संयंत्र में पहली धमन भट्टी का कार्यकरण

2570. श्री ई० बी विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की पहली धमन भट्टी कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है; और

(ख) पहली धमन भट्टी से अब तक कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मोटे तौर पर अब तक प्रथम धमन भट्टी का उत्पादन बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार हो रहा है।

(ख) फरवरी, 1973 के अन्त तक कच्चे लोहे का कुल उत्पादन 2,40,157 टन था।

एशिया में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संधि

2571. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एशिया के मामलों में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संधि किये जाने की वकालत की है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में औपचारिक कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को असमान मजदूरी

2572. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के विभिन्न सूखाग्रस्त क्षेत्रों की राहत सम्बन्धी परि-योजनाओं में काम कर रहे पुरुष और महिला श्रमिकों को दी जा रही असमान मजदूरी की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी का न दिया जाना अन्तर्राष्ट्रीय संधि, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं, के विरुद्ध है; और

(ग) क्या इस मामले में असमानता को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है ।

बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों के लिये परामर्शदाता

2573. श्री आर० बी० उलगनम्बी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों के तकनीकी परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ।

(ख) इन संयंत्रों की योजनाएं कितनी बार पुनरीक्षित/परिवर्धित की गईं और परिणाम स्वरूप परामर्शदाताओं को कितनी अतिरिक्त धनराशि अदा की गई;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता के पुनरीक्षण के लिए संयंत्र की अपनी सेवा के परामर्शदाताओं ने भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्षमता के परिवर्धन/पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप परामर्शदाताओं को कुल कितनी राशि अदा की जानी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए तकनीकी सलाहकार हैं—रूस के मैसर्ज त्याजप्रोमेक्सपोर्ट और मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड। इन संगठनों को सलाहकारी सेवाओं के बदले दी गई कुल राशि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बोकारो इस्पात कारखाने के दूसरे चरण के लिए सलाहकार हैं—मैसर्ज केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्यूरो और मैसर्ज एफ० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड। इन संगठनों को अभी तक क्रमशः 400 लाख और 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी को सेलम इस्पात प्रायोजना के बारे में तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया था जिसके लिए उनको 3 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। सेलम इस्पात प्रायोजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा और सलाहकारी कार्य करने के लिए अभी तकनीकी सलाहकार नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(ख) इन कारखानों की योजनाओं में कोई परिशोधन/परिवर्तन नहीं किए गए हैं और इस हेतु और कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता में परिशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा सेवारत/सेवा निवृत्त सैनिकों को कृषि भूमि तथा मकानों के लिए प्लॉटों का आवंटन

2574. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिकों को, जिनके पास जमीन नहीं है, कृषि के लिए भूमि अथवा मकान बनाने के लिए प्लॉटों को आवंटन में प्राथमिकता देने के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इन्हें ये सुविधाएँ संघ राज्य क्षत्रों में उपलब्ध हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हाँ, श्रीमन्। राज्य

सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया है कि कृषि कार्यों और उनकी आवास योजनाओं में मकान बनाने के लिए भूमि के आबंटन के लिए सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) जी हाँ, श्रीमन् ।

**उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की नौपाड़ा तहसील में बर्मा से
स्वदेश लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास**

2575. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत बड़ी संख्या में बर्मा से आये शरणार्थी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की नौपाड़ा तहसील में बस गये हैं;

(ख) क्या उन्हें कृषि के लिये भूमि आबंटित की गई है; यदि हाँ; तो कहाँ पर और कितनी; और

(ग) उन्हें अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के 255 परिवार तहसील नौपाड़ा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में आए हैं।

(ख) 118 परिवारों को गंगापुर, छेहलवा, सुजोली, बड़खोड़िया, गुलेरिया उर्ला, भुरावघाट, और भुजिया में 2 से 6 एकड़ तक भूमि प्रति परिवार एलाट की जा चुकी है।

(ग) इन परिवारों को ऋण के रूप में 1,41,145/-रुपये की राशि दी गई है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में प्रगति

2576. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सलाहकारों ने विशाखा-पत्तनम इस्पात कारखाने के लिये अपने तकनीकी, आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में बताया है कि पूंजी निवेश पर काफी आवर्ती हानि होगी। इस प्रयोजना की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई अध्ययन किये जा रहे हैं। यह अध्ययन प्रायः पूर्ण हो गये हैं। आशा है कि पूंजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

इस बीच भूमि अर्जन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य किये जा रहे हैं।

(ख) 32 लाख रुपये । जिसमें भूमि अर्जन खर्च के लिए आरम्भ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिये गये 15 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में उत्पादन

2577. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तथा वर्ष 1971-72 के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों और राष्ट्रीयकृत इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में इस्पात का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और उनकी क्षमताओं की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या अधिक उत्पादन में बाधा बनने वाली सभी कमियों को सभी कारखानों से दूर कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक कारखाने में अभी भी हल की जाने वाली समस्याएँ कौन-कौन सी हैं; और -

(घ) इस्पात के उत्पादन में आने वाली बाधाओं को पूरा करने के लिये उन समस्याओं को किस प्रकार हल करने के प्रस्ताव हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के तीनों इस्पात कारखानों का उनकी स्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 1971-72 तथा अप्रैल, 1972 से फरवरी, 1973 तक इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन निम्नलिखित है—

स्थापित क्षमता	उत्पादन	1971-72	(हजार टन)	
		क्षमता का प्रतिशत	अप्रैल, 1972 से फरवरी 73* तक	उत्पादन क्षमता का प्रतिशत
5900	3476	59	3594	67

*अस्थायी

सरकार ने 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का प्रबंध आने हाथ में लिया था । 10 लाख टन की इसकी क्षमता की तुलना में वर्ष 1972-73 तथा अप्रैल से 14 जुलाई, 1972 तक 15 जुलाई, 1972 से जनवरी, 1973 की अवधि में इसके इस्पात पिण्ड का उत्पादन इस प्रकार था—

अवधि	उत्पादन	(हजार टन) क्षमता का प्रतिशत
1971-72	617	61.7%
अप्रैल से 14 जुलाई, 1972 तक	124.8	42.8%
14 जुलाई, 1972 से जनवरी, 1973 तक	250.6	46.3%

(ख) से (घ). मोटे तौर पर इस अवधि में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण इस प्रकार हैं—

कोक ओवन बैटरियों का संतोषजनक ढंग से कार्य न करना, मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, विशेषतया दुर्गापुर और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, और राउरकेला, दुर्गापुर और इस्को में बिजली पर प्रतिबंध और बिजली की अनिश्चित सप्लाई। इन तथा अन्य कमियों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा इस संबंध में किये गये उपाय इस प्रकार हैं—कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए दूसरे ईंधनों का उपयोग, ईंधन के स्रोतों में वृद्धि के लिए कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिस से बेहतर-उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, ऊष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना शामिल हैं। हाल में दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना शुरू की गई है। सरकार भी टास्क फोर्स की आर्थिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सतत् नजर रखती है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

जहाँ तक इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा किये गये उपायों का संबंध है उनमें कोलतार और कोक की सप्लाई, कोक भट्टियों की आपात आधार पर मरम्मत, मेटैरियल हैंडलिंग उपकरणों की प्राप्ति तथा स्टील मेल्टिंग शाप में क्रेनों और अन्य उपकरणों का प्रतिस्थापन सम्मिलित हैं। इस्को ने पहले ही 45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कारखाने का प्रतिस्थापन कार्य आरम्भ कर दिया है और इसके पूर्ण होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

फिर भी एक सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखाने के परिचालन कार्य में आने वाली कठिनाइयों और इस प्रकार की कुछ अन्य समस्याओं को देखते हुए इन उपायों का पूरा प्रभाव कुछ समय पश्चात् ही नजर आने लगेगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों विशेषतया भिलाई और राउरकेला में 1972-73 में उत्पादन में हुई वृद्धि इस बात की द्योतक है कि इन उपायों का लाभ होना आरम्भ हो गया है।

गुजरात खनिज विकास निगम की खनन पट्टों की स्वीकृति

2578. डा० महिपत राय मेहता : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले के लखपत ताल्लुक में बड़ी मात्रा में पाये गये लिगनाइट के लिये तथा ब्रिकेटिंग संयंत्र स्थापित करने आदि में इसकी उपयोगिता के कारण सरकार ने गुजरात खनिज विकास निगम को खनन का पट्टा देने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को कच्छ जिले के लाखापेट तालुक में पाननभो, फुलेरा और खनोट-ग्रामों में लिग्नाइट के लिए खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया और सितम्बर, 1972 में राज्य सरकार को इस की सूचना दी गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में एक बायलर के फट जाने के संबंध में जाँच

2579. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में यकायक एक बायलर के फट जाने के संबंध में कोई जाँच कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप बायलर अटैण्डेंट की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस जाँच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) ऐसे दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमन् ।

(ख) जाँच की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) इण्डियन बायलर विनियम 1950 के अधीन अपेक्षित सभी सावधानियों का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर में अनुकरण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मैग्नेसाइट के निक्षेपों की खोज

2580. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक पर्वतीय जिले पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट के भारी निक्षेपों का पता चला है और क्या इस बीच मैग्नेसाइट निकालने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या वहाँ किसी निजी फर्म को एक कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है और यदि हाँ, तो कारखाने का प्रस्तावित परिव्यय क्या है, उसकी रोजगार क्षमता क्या है और कारखाने के कब तक चालू हो जाने की आशा है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मैग्नेसाइट के बृहद् निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं। इन निक्षेपों का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय निर्धारण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन निक्षेपों के कुछ लघुक्षेत्र का पट्टा खनन और पूर्वेक्षण पर कुछ प्राइवेट दलों को दिया है। इन क्षेत्रों के भाग को प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड को अनुदत्त करने का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के जिलों में खनिज सम्पदा के लिए सर्वेक्षण

2581. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखण्ड अर्थात् उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले जैसे अलमोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में खनिज सम्पदा के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले और क्षेत्र की खनिज सम्पदा निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण कराने का है, यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हाँ। विशिष्टतया, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिले के रॉक फास्फेट निक्षेपों के लिए व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। 1963-64 के दौरान "ऑपरेशन उत्तराखण्ड" नामक खोजयात्रा आयोजित की गई थी जिसमें उत्तराखण्ड के जिलों के भूविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। उत्तराखण्ड क्षेत्र के कुछ भागों में, जहाँ सर्वेक्षण संपूरित नहीं हुआ है, भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्रगति पर है।

(ख) भूवैज्ञानिक अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड क्षेत्र के जिलों में सीमेंट, स्पन्द और रसायनिक ग्रेड के चूनाश्म, डोलोमाइट मैग्नेसाइट, टास्क और फास्फोरिट के विस्तृत निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं। इन निक्षेपों के समुपयोजनार्थ प्रायोजनार्थ राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के विचाराधीन हैं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की चतुर्थ और पंचम योजनावधियों के दौरान उत्तराखण्ड क्षेत्र के खनिजों की अन्तः शक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए और सर्वेक्षण करने की योजनायें हैं।

दिनांक 30 जनवरी 1973 के 'स्टेट्समैन' में भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड) पर सम्पादकीय

2582. श्री तुलमोहन राम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 30 जनवरी, 1973 के 'स्टेट्समैन' में 'रफ़ सोलिंग' शीर्षक में प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या श्री वदूद खाँ को मंत्रालय का सचिव और भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अध्यक्ष बनाने पर सिविल कर्मचारियों ने अपनी शक्तियों में हुए ह्रास के लिए विरोध किया था; और

(ग) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की श्री वदूदखाँ के नीचे कार्य करने की अनिच्छा के एकमात्र कारण से ही बोकारो स्टील लिमिटेड को भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार ने प्रस्तुत सम्पादकीय देखा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। बोकारो स्टील लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है। बोकारो के अध्यक्ष भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष श्री एम० ए० वदूद खाँ हैं।

बेरोजगार व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए
आस्थगित वेतन अदायगी प्रणाली

2583. श्री पी० ब्रैकटासुब्बया : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार लोगों की सेवाओं को लाभात्मक रूप में उपयोग करने के लिए आस्थगित वेतन अदायगी प्रणाली बनाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है जिससे वे इस समय अपने निर्वाह के लिए कुछ राशि प्राप्त कर सकें और बाद में जब संसाधन उपलब्ध हों; तो वे पूरा वेतन प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंगला देश के शरणार्थियों का आसाम में रह जाना

2584. श्री रौगिन ककोटी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान बहुत बड़ी संख्या में जो शरणार्थी आसाम आये थे वे वापस नहीं गये हैं अपितु आसाम के विभिन्न भागों में ही बस गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन व्यक्तियों को बंगला देश वापस भेजने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान आसाम में आये शरणार्थियों की संख्या 3,12,713 बताई गई थी। इनमें से अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शिविर से अन्यत्र रहने वाले 1000 शरणार्थियों को छोड़कर सभी शरणार्थी बंगला देश लौट गए हैं।

(ग) संबंधित उप आयुक्तों को सतर्क कर दिया गया है कि इन गैर-शिविर शरणार्थियों की वापसी के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए तथा उनके मामलों में विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार की राष्ट्रीय मजदूर यूनियन द्वारा जापन

2585. श्री मुल्की राज सैनी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार की राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के संबंध में सरकार को एक जापन दिया है और यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ख) क्या यूनियन ने 19 फरवरी, 1973 को सामूहिक सांकेतिक भूख हड़ताल की थी और उसमें लगभग 500 श्रमिकों ने भाग लिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मामला अनिवार्य रूप से राज्य-क्षेत्राधिकार में आता है और इस विषय पर सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

सिंगरौली पावर स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर कोयले की सप्लाई

2586. श्री रणबहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने का है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत केन्द्र को उनके बिजली घरों की तुलना में जिनको कोयला क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जा रहा है अथवा करने का प्रस्ताव है, प्राथमिकता के आधार पर कोयला सप्लाई किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). देश में सुपर तापीय विद्युत घरों की स्थापना का कार्यक्रम अभी भी विचाराधीन है ।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड में कार्य कर रहे बंगाली

2587. श्री एस०डी० सोमसुन्दरम : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को यह आम शिकायत है कि इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड में मिडिल तथा हायर संवर्गों में गैर-बंगालियों को भर्ती नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों को उचित अनुदेश जारी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे सभी राज्यों के लोगों को निगम में नौकरी मिल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो निगम में कार्य कर रहे बंगालियों तथा गैर बंगालियों की संख्या क्या है जो 400 रुपये और 1,000 रुपये के तथा इससे अधिक के बीच वेतनमान पाते हैं ।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने जैसी शिकायतों का उल्लेख किया है वैसी कोई शिकायत नहीं मिली है । रोजगार के आँकड़े जन्म स्थान और/अथवा निवास स्थान के अनुसार नहीं रखे जाते हैं । 400 रुपये तथा उससे अधिक के मूल वेतन वाले पदों के लिए भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और मुख्य मापदंड गुण, उपयुक्तता और अर्हताएँ होते हैं ।

Removal of Machines and Materials from Mines at the time of Nationalisation

2588. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Press reports that on hearing the news of nationalisation of coal mines the owners of the private coal mines started removing valuable machines and other material from coal mines; and

(b) if so, the action taken by Government to get back the machines and other material thus removed therefrom and also to check the further removal thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) It is too early to state exactly the extent to which valuable machines and other material were removed by the coal mine owners on hearing the news of taking over of these mines. The relevant documents concerning the mine are in the course of receipt and under examination by the Custodians.

विदेशों से भारत लौटे व्यक्ति

2589. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री विदेशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के संबंध में 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संस्था 3406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में जो लोग विदेशों से स्वदेश लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) आँकड़ों का राज्यवार व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए दो वर्षों के दौरान विदेशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास पर, राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों सहित, किया गया कुल व्यय 932.48 लाख रुपये है।

(ख) राज्य सरकारों को दी गई राशि और संघ शासित क्षेत्रों में व्यय की गई राशि का विभाजन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	
		1970-71	1971-72
1.	तमिलनाडु	196.73	223.47
2.	आंध्र प्रदेश	95.40	70.04
3.	केरल	3.00	18.63
4.	मैसूर	71.31	54.86
5.	उत्तर प्रदेश	25.32	4.09
6.	उड़ीसा	14.37	7.47
7.	बिहार	3.28	9.07
8.	राजस्थान	—	2.00
9.	गुजरात	1.18	2.19
10.	पंजाब	0.31	4.25
11.	पश्चिम बंगाल	10.00	21.00
12.	मध्य प्रदेश	—	1.69
13.	आसाम	2.00	—
14.	दिल्ली	3.25	2.28
15.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	0.50	0.72
16.	चण्डीगढ़	0.46	0.40
17.	हरियाणा	—	0.20
18.	हिमाचल प्रदेश	—	0.02

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT
PUBLIC IMPORTANCEचमड़ा उपलब्ध न होने के कारण छोटे पैमाने के जूता निर्माण उद्योग में संकट
उत्पन्न होने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

“Reported crisis in the small scale footwear industry due to non-availability of upper leathers and lining leathers.”

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जूते तथा चमड़े की वस्तुएँ बनाने वाला उद्योग, खास तौर से लघु उद्योग क्षेत्र में, अपनी आवश्यकता वाले चमड़े की सप्लाई कम हो जाने तथा उसकी कीमतें बढ़ जाने के कारण कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चमड़े की कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि होने और इसके परिणामस्वरूप देश से अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों और अन्य किस्मों के चमड़े के निर्यात बढ़ने के कारण हुआ। वर्ष 1971-72 के दौरान 90 करोड़ रुपए मूल्य के अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों का निर्यात किया गया लेकिन चालू वर्ष के दौरान इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है और आशा है कि इसके निर्यात लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुँच जायेंगे। जबकि प्रत्यक्षतः निर्यात आय का बढ़ना अच्छा माना जा सकता है लेकिन इससे जूते तथा चमड़े की वस्तुओं के देशी उद्योग की आवश्यकता वाले कच्चे माल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई थी।

2. सरकार ने समस्या को पूरी तरह से समझ लिया है और उसने स्थिति का सामना करने के लिए कदम उठाए हैं।

3. अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात विनियमित करने और धीरे-धीरे उनके निर्यात को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक इकाई मूल्य प्राप्त करने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात पर जोर देने का विनिश्चय किया गया है।

4. इस नीति के प्रभावकारी तथा सुव्यवस्थित कार्यान्वयन और चमड़े के निर्यात व्यापार के स्वरूप में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए एक संस्थागत ढाँचे की व्यवस्था करने की दृष्टि से अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों का निर्यात 14 दिसम्बर, 1972 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है।

5. साथ ही, इस वस्तु के निर्यात के लिए 1 अप्रैल, 1973 से कोटा प्रणाली लागू करने का विनिश्चय किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि अर्धसाधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात अगले पाँच वर्षों में इतने घटा दिए जाएँ जिससे वे 1971-72 में हुए निर्यातों के 25% स्तर तक आ जाएँ। इस प्रक्रिया के साथ-साथ देश में तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन

करने वाला उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक अवस्थापना विकसित करने हेतु व्यापक प्रयास भी किये जायेंगे।

6. सरकार चमड़ा निर्यात विकास निगम नाम से सरकारी क्षेत्र में एक नया निगम स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है जो अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग के निर्यात क्षेत्र को सुदृढ़ करने व उसका विविधीकरण करने तथा उसके निर्यात निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करेगा। उसका एक विशेष कार्य जूते तथा चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माताओं के हितों का संवर्धन करना होगा।

7. इन दीर्घकालीन उपायों के अलावा, सरकार उद्योग की कठिनाइयों को कम करने के लिए और लघु क्षेत्र में निर्विघ्न संक्रमण के लिए तात्कालिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है। इस उद्देश्य के लिए जूतों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। सरकार इस उद्योग को उनकी आवश्यकता वाले चमड़े की पर्याप्त मात्रा में तथा उचित कीमतों पर सप्लाई का प्रबन्ध करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has become clear from the statement made by the hon. Minister that Government allowed unrestricted exports of raw hides and skins out of eraze to earn foreign exchange, which according to him increased from Rs. 90 crores to Rs. 150 crores, at the cost of small scale footwear industry of the country. Due to the non-availability of leather more than one crore persons are likely to be affected by unemployment.

Following the ban on exports of hides and skins imposed by Brazil and Argentina, demand of Indian leather has increased in the international markets, resulting in increase of exports of leather ignoring its demand in the country. I would like to know in this context whether the decision taken on 14th December, 1972 in regard to canalising the exports of semi-processed hides and skins through S. T. C. has not been implemented by the Government. If so, the reasons therefor? May I also know whether the hon. Minister is aware of the fact that exporters have been exporting raw leather in the name of 'wet blue' hides for earning profits? May I know the reasons for not taking any steps to check this thing?

The prices of hides have gone up considerably resulting in closure of small-scale footwear industry and wide-spread unemployment. May I know whether Government propose to implement the recommendations made by the Dr. A. Sitaramayya Committee in regard to levying a ten percent duty on exports of E. I. Tanned and Chrome Tanned hides, unfinished, with effect from 1st January, 1973? May I also know the steps to be taken by the Government to make raw hides and skins available to the small industries at reasonable prices?

श्री ए० सी० जार्ज : समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का उल्लेख करके माननीय सदस्य ने सराहनीय कार्य किया है।

माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा के लालच में आकर निर्यात किया है। भारत में इस वस्तु का निर्यात होता रहा है। माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सरकार ने कच्चे चमड़े और खालों में निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जहाँ तक 'वैट ब्लू' खालों का प्रश्न है वह अर्धशोधित चमड़ा होता है। वर्ष 1971-72 में 84 करोड़ रुपयों के मूल्य के अर्धशोधित चमड़े का निर्यात किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ब्राजील और अर्जेंटिना द्वारा चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण इस वर्ष विदेशों में हमारे चमड़े की माँग में वृद्धि हुई जिससे हमारा निर्यात 84 करोड़ रुपयों से बढ़कर 143 करोड़ रुपए का हो गया। सरकार ने छोटे उद्योगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं के निर्यात को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अर्धशोधित चमड़े के स्थान पर चमड़े के तैयार माल का निर्यात करने के लिए आवश्यक औद्योगिक आधारभूत ढाँचा बनाना पड़ेगा। इसी कारण विवरण में यह बताया गया है कि पहली अप्रैल, 1973 से सरकार निश्चित प्रतिबन्ध लगाएगी तथा आगामी पाँच वर्षों में अर्धशोधित चमड़े का निर्यात 25 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मेरा निवेदन है कि अर्धशोधित चमड़े की हमारी आंतरिक खपत केवल 18 प्रतिशत है। यदि निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो फालतू चमड़े का क्या किया जाएगा। इस संबंध में हमारा प्रस्ताव निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का है तथा यह कार्यवाही 1 अप्रैल, 1973 से की जाएगी। इससे तैयार माल के निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा कच्चे चमड़े के निर्यात में कमी होगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वक्तव्य में कहा गया है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए अर्धशोधित चमड़े के स्थान पर चमड़े के तैयार माल के निर्यात में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। वस्तु स्थिति यह है कि सरकार ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि देश में अशोधित चमड़े की भारी माँग है जिससे उसका माल तैयार करके विदेशों में भेजा जा सके। सरकार उन पूँजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए कोटा प्रणाली लागू करना चाहती है जो उन्हें धन राशि देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार आगामी पाँच वर्षों में निर्यात को केवल 25 प्रतिशत तक ही क्यों सीमित करना चाहती है ?

वक्तव्य में चमड़ा वस्तु उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न किये जाने तथा सरकारी क्षेत्र में एक चमड़ा निर्यात विकास निगम की स्थापना किये जाने का भी उल्लेख किया गया है। सरकार को निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए था किन्तु उसने एक निगम की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
MR. SPEAKER in the Chair.

यह भी कहा गया है कि इस उद्योग को उचित मूल्य पर पर्याप्त चमड़ा उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया जा रहा है। किन्तु जब चमड़े का इतनी अधिक मात्रा में निर्यात किया जाएगा तो छोटे उद्योगपतियों को पर्याप्त चमड़ा कहाँ से सप्लाई किया जा सकता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का उत्तर वक्तव्य में निहित है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहली अप्रैल, 1973 से निर्यात में उत्तरोत्तर कमी की जाएगी जिससे देश में इस क्षेत्र में लगे लोगों को कच्चा माल उपलब्ध हो सके। यह कार्य रातों रात तो नहीं हो सकता। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा। जहाँ तक चमड़ा निर्यात विकास निगम का संबंध है, इसके अन्तर्गत केवल शोधित चमड़ा ही नहीं आएगा वरन् इसके अन्तर्गत तैयार चमड़ा तथा चमड़े का तैयार माल भी आएगा।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Sir, I would like to put only questions and not to make a speech. Is it a fact that the price of sole leather used in chrome I. E. tanned shoes has increased by 250 percent ? Is it also a fact that due to the increase in manufacturing cost at the rate of Rs. 8 per pair, S. T. C. rejected the order for five lakhs of pairs of shoes placed by U. S. S. R. ? May I also know the amount of foreign exchange lost as a result of it ? Is it also a fact that indigenous footwear industry apprehends the rejection of several other orders placed by U. S. S. R., if so what would be the amount of foreign exchange likely to be lost ? May I know whether adequate assistance is provided to the weaker sections engaged in of manufacturing of shoes, if not, the reasons therefor ? I would also like to know the steps being taken by the Government to ensure sufficient production of welted shoes which have registered high demand in cold countries ? May I also know whether Government have appointed experts in the foreign countries to apprise the shoe manufacturers of the country of the popular designs of the shoes ?

I would also like to know the exact date from which Government have banned the export of raw hides ? Is the hon. Minister aware of the fact that raw leather is being exported in the name of semi-tanned leather ?

May I know whether Government propose to set-up a new factory for producing chrome leather to meet its indigenous demand in view of the fact that there is scarcity of leather in the international market ?

Is it not a fact that with the introduction of disposal of carcasses scheme Government would be able to earn Rs. 500 crores per annum and there would be no need of importing goods like gelatin ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से तीन प्रश्न किए हैं। मैंने स्वीकार किया है कि वर्ष 1972-73 में क्रोम चमड़े और ई० आई० टैंड चमड़े के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए कच्चे चमड़े के निर्यात पर जनवरी, 1973 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जहाँ तक अर्ध शोधित चमड़े के नाम पर कच्चे चमड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, इस बारे में पहले हमें कोई सूचना नहीं मिली। यदि इस सम्बन्ध में हमें अधिक जानकारी मिल सकी तो हम इसे रोकने के लिए अवश्य कार्यवाही करेंगे क्योंकि इससे हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस द्वारा दिये गये क्रयादेशों को पूरा न करने के बारे में हम लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा आशा है कि कोई समझौता हो जाएगा।

शोधित चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के पहलु पर प्रस्तावित निगम द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री बी० पी० मौर्य : क्या सरकार यह प्रयत्न करेगी कि रूस आदि समाजवादी देशों को अधिक से अधिक जूते सप्लाई किए जाएँ ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम प्रयत्न करेंगे।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Attention of the Government was invited to

the crisis in this industry earlier also but they did not take any action. Replying to a question Government stated on 22nd November that there was no shortage of raw material. But now more than 40,000 workers in Agra have been facing great difficulties as a result of acute shortage of raw material.

Government have admitted that on account of the large exports of the semi-processed hides and skins, there is a shortage of leather to some extent, and there has also been a rise in prices. But this shortage is acute and it has created a crisis in this industry due to the craze of the Government for increased foreign exchange earnings. According to the statement, Government have decided to give financial assistance to the exporters. May I know the immediate steps to be taken by the Government to overcome this crisis? May I know whether Government propose to ban the exports of raw hides and skins in order to meet the requirements of this industry?

श्री ए० सी० जार्ज : महोदय ! इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय किये गये हैं। पहली अप्रैल, 1973 से निर्यात शुल्क की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि अर्ध शोधित चमड़े के निर्यात में कमी हो सके तथा शोधित चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : वक्तव्य से ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चमड़े के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हमारे निर्यात में वृद्धि हुई। (व्यवधान) 14 दिसम्बर, 1972 के बाद ही समाचार-पत्रों में उद्योग में संकट के समाचार प्रकाशित होने लगे।

सरकार के जहाँ अपने वक्तव्य में निर्यात कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है, वहाँ चमड़े उद्योग के लिए सप्लाय का प्रबन्ध करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। जब सरकार ने चर्म के निर्यात का उक्त निर्णय लिया तो क्या उसने यह अध्ययन किया कि अर्जनटाइना तथा ब्राजील ने अपने कच्चे चर्म का निर्यात क्यों बन्द कर दिया? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस उद्योग के निर्यात-क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा उसका विविधीकरण करने के लिए क्या व्यवस्था पारित की है? साथ ही 1 अप्रैल से निर्यात में 75 प्रतिशत की कटौती हो जाने के बाद इस 75 प्रतिशत माल का देश में ही उपयोग करने के लिए क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है? गांवों में कार्य कर रहे छोटे पैमाने के निर्माताओं से सम्पर्क करने के लिए भी क्या प्रबंध किये गये हैं? इसके अतिरिक्त निर्माता उद्योग को लाभ पर निर्यात करने में समर्थ बनाने के लिए उसे कितनी राज सहायता देने का विचार है और क्या सरकार इस व्यापार का निकट भविष्य में राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है?

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि सरकार जूतों के निर्यात-कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह कभी नहीं कहा गया कि चर्म अथवा आधे तैयार चमड़े का निर्यात किया जायेगा या कि 1-4-73 तक कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा। अर्ध-तैयार चमड़े का निर्यात धीरे-धीरे कम करके अगले पाँच वर्षों में 25 प्रतिशत तक ले आयेँगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर एक या दो महीने में नहीं बन जायेगा। हम अपने तैयार कच्चे माल पर निर्यात शुल्क लगाकर इस धन को इस उद्योग में लगायेंगे। इसका अर्थ है कि सरकार इसे किसी प्रकार की राज सहायता देना चाहती है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Hindi translation of the Reports are not placed simultaneously on the pretext of making certain improvements etc. in them. They are always delayed.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I had submitted a Call Attention Notice regarding the activities of Black December. Shri Vajpayee and Shri S. N. Mishra's lives have been threatened. So, the notice should be admitted.

Mr. Speaker : I won't admit it until something happens.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The guards posted at my residence are acting as detectives more than as guards.

Mr. Speaker : Ask them to stand behind a curtain.

मन्त्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य देने के बारे में

Re. ALLEGED WRONG STATEMENT BY MINISTER

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के आशय की दूसरी बार सूचना आपको दी है। मैंने इस संबंध में ठोस प्रमाण दिये हैं कि उन्होंने गोलाबारूद डिपो तथा मारुति लिमिटेड के बारे में जानबूझकर सभा को गलत जानकारी दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल तक जो सामग्री मुझे मिली थी उसके आधार पर मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूँ। (व्यवधान) श्री शुक्ल ने वक्तव्य दिया तथा आपने जवाबी वक्तव्य दिया था। अब किसी अन्य विनिर्णय की गुन्जाइश नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने नये प्रमाण व उदाहरण दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल कल नहीं बोले थे तथा उनके पश्चात् आप बोले थे। मैंने दोनों के कथन पर विचार करके निर्णय दिया है। अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। मैं इसकी अभी और इसी समय सूचना देता हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार धमकी मत दीजिए... (व्यवधान) इनका कहना है कि यदि मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे अविश्वास का प्रस्ताव का सामना करना होगा। मैं उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। मिश्र जी क्या मैंने आपको अपने पत्र में कुछ नहीं बताया था ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने मुझसे दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में कहा था कि आप उसे मंत्री के पास भेज देंगे। अब आप अपने शब्दों से मुकर रहे हैं। आप पर दबाव डाला गया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मैं इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं करूँगा। हाँ, यदि कोई नये तथ्य होंगे तो उन्हें मंत्री के पास भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मिश्र आपसे आपके कक्ष में मिले थे तथा कुछ नई सामग्री देते हुए नया प्रस्ताव पेश किया था। क्या सभा यह जानने की अधिकारी नहीं है कि आपने उनसे क्या कहा था ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Yesterday's ruling was on the earlier motion and we have to abide by that despite our disagreement. But Mr. Mishra says that he has given a fresh motion supported by fresh material. Mr. Mishra also says that you have sent that to the hon. Minister. Now we request that you decide about it when the Minister's reply should come.

Secondly, you had said that there could be no discussion on privilege and you would permit a discussion in some other manner. I want you to decide about it immediately.

Mr. Speaker : He had come to me and I had told him that I would not permit a privilege motion. And that I had already given my ruling regarding the facts I had received till yesterday and in case there was something new, I would send that to the hon. Minister. But certainly no privilege motion would be entertained.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु जब तक आप मंत्री महोदय का उत्तर नहीं पा लेते तब तक आप यह निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब आयेगा तब मैं देखूँगा। निर्देश संख्या 115 के अधीन हम हमेशा ही मंत्री महोदय को भेजते हैं और उनका उत्तर आने पर यदि अध्यक्ष उचित समझे तभी वह माननीय सदस्य को अनुमति देता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु जान बूझकर की गई गलती के बारे में नहीं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि कौनसा दल इसका क्या वैधानिक अर्थ लेता है। यह अध्यक्ष का काम नहीं कि वह कानूनी स्पष्टीकरणों पर अपना निर्णय दे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पेश करना चाहता हूँ। मैं सभा को भी यह बताना चाहता हूँ कि दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मैंने आपके सामने वह सामग्री पढ़ी थी... (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कहना चाहता हूँ कि...

अध्यक्ष महोदय : स्टीफन साहेब पहले मुझे इनकी बात सुन लेने दीजिए। आपकी बात भी बाद में सुन लूँगा... (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब मैं अपने दो साथियों के साथ आज प्रातः आपसे मिला था तो मैंने दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के आशय की सूचना आपको दी थी। (व्यवधान) यदि इस प्रकार व्यवधान डाला जायेगा तो सभा की कार्यवाही शांति से न चल सकेगी...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय धमकी ही देते हैं। यदि आप ढंग से कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। धमकी मत दीजिए। वह पीठाध्यक्ष से संबंधित तो हो सकते हैं, इन्हें धमकियाँ नहीं दे सकते। उन्हें सभ्य तरीके से अपनी बात कहनी चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने आपका ध्यान नये तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए श्री विद्याचरण शुक्ल के विरुद्ध दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के आशय की सूचना पर विचार करने को कहा था। इसमें शस्त्रास्त्रों के बेकार पड़े ढेरों तथा मारुति लिमिटेड के बारे में तथ्य थे। मैंने इस संबंध में सरकारी दस्तावेजों का भी उल्लेख किया था। सब कुछ पढ़कर सुनाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि इन्होंने केवल दो या तीन पंक्तियाँ पढ़ीं और मैंने कहा था कि यह सामग्री मेरे पास छोड़ जायें मैं इस पर विचार करके निर्णय करूँगा। मैंने यह भी कहा था कि मैं इस सामग्री को मन्त्री महोदय के पास भेज दूँगा...(व्यवधान) अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

श्री एच० एन० मुकजी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मिश्र जी क्रोध में आ गये और जो कुछ यहाँ हुआ वह एक औसत स्तर सदस्य की समझ में तो आ नहीं सकता। आपने बतलाया कि यदि कोई नये प्रमाण या सामग्री है तो आप इसे मन्त्री महोदय के पास भेज देंगे। परन्तु वस्तुतः निर्णय तो आपने ही लेना है जिसके लिये आपको मन्त्री महोदय की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो यह समझता हूँ कि आप इस मामले पर विचार कर रहे हैं तथा मन्त्री महोदय से उत्तर पाने के बाद आप निर्णय भी करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होना चाहिये या नहीं। जहाँ तक शस्त्रास्त्रों के डिपो आदि का प्रश्न है, उस मामले में सरकार आगे आकर सभा को सन्तुष्ट करे। मेरा तो यही अनुरोध है कि आप निष्पक्ष होकर तथा केवल तकनीकी बातों पर ध्यान देकर अपना निर्णय दें।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : I request the Government to make public the report of Dave Commission appointed to go into the charges against the Jan Sangh and Akali Ministers of Punjab so that we are able to know what the charges were made.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Should we take it that you have not made up your mind about the matter raised by Shri Mishra ?

Mr. Speaker : I have already clarified the position. He did come to me and I told him that if there was anything new, I would send that to the hon. Minister. If you do not want, I won't send that and would look into that myself for your satisfaction. (Interruptions) Yesterday's matter is finished, and the fresh one would be examined on merits.

Shri Shashi Bhushan : Sir, please set on your taperecorder when he comes again to you and then you would be able to keep a record of what he would say.

Mr. Speaker : I will have to do so.

Shri Hukam Chand Kachwai : Please also record when the Prime Minister come into your chamber to ask you not to admit a particular question.

Mr. Speaker : What is the use of talking irrelevant here all along ? Please sit down.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 1972

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) नौ-सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ-सेना औपचारिकता, सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 1972, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 314 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4419/73.]

हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, जयपुर को पुनरीक्षित तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1971-72 संबंधी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1971-72 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4420/73.]

शिक्षु (संशोधन) नियम, 1972 और कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेन्शन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० बैकटस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) (एक) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1394 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4422/73]

(2) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कुटम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1087 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1088 में प्रकाशित हुई थी :

(ग) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1089 में प्रकाशित हुई थी।

(घ) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1090 में प्रकाशित हुई थी।

(ङ) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1521 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रख गया। देखिए संख्या एल० टी०—4421/73.]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

74 वां प्रतिवेदन

श्री सेक्षियान (कुम्बाकोणम) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1970-71 संबंधी प्रतिवेदन के अध्याय 6—केन्द्रीय सरकार (सिविल)—राजस्व प्राप्तियाँ—दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विक्रय कर प्राप्तियाँ—के संबंध में लोक लेखा समिति का 74 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

खान (संशोधन) विधेयक

MINES AMENDMENT BILL

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा खान, अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री आर० के० खाडिलकर द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री जी० वेंकटस्वामी को नियुक्त करती है।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री आर० के० खाडिलकर द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री जी० वेंकटस्वामी को नियुक्त करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर पुलिस द्वारा कथित गोली
चलाये जाने के बारे में

Re. REPORTED POLICE FIRING ON TRIBALS IN WEST BENGAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 5 मार्च को पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के समीप एक जंगल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से दो आदिवासी मारे गये जबकि इस जंगल में रह रहे आदिवासियों को निकाला जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों तथा जन

जातियों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। यह एक गम्भीर मामला है तथा मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अनसूचित जन जातियों से संबंधित है इसलिए मैंने इसके लिए अनुमति दे दी है।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह विषय पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था से संबंधित है और वहाँ की सरकार की बदनाम करने के लिए श्री बसु ने इसे उठाया है। साम्यवादी मार्क्सवादी दल के शासन के दौरान भी वहाँ स्वयं श्री ज्योति बसु, तत्कालीन गृह मंत्री, के दल के लोगों ने 100 से अधिक आदिवासियों को मार डाला था। (व्यवधान)

तमिलनाडु में कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल तेल आदि की कथित कमी के बारे में

Re. REPORTED SHORTAGE OF DIESEL OIL ETC. FOR AGRICULTURAL PURPOSES IN TAMILNADU

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : तमिलनाडु में बिजली के संकट के कारण अचानक ही डीजल, मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल की भारी माँग हो गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कृषि कार्यों के लिए बिजली में 75 प्रतिशत की कटौती कर दी गई जबकि वस्तुतः तो यह कटौती शत प्रतिशत ही है। फलस्वरूप कृषकों ने तेल के इंजन तथा उद्योगपतियों ने जेनेरेटर खरीद लिए हैं तथा परिणामतः डीजल तथा मिट्टी के तेल की माँग बहुत बढ़ गई है। गैर-सरकारी तेल कम्पनियाँ स्थिति का लाभ उठा कर मुनाफाखोरी कर रही हैं। तेल भंडारों (बैंक) के स्वामी डीजल तेल की सप्लाई रोक कर उसको काले बाजार में ऊँचे मूल्यों पर बेच रहे हैं। इसके फलस्वरूप तमिलनाडु में कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। मेरा अनुरोध है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य दें।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : सप्लाई की तो वस्तुतः कमी नहीं हुई है परन्तु इस समस्या को पैदा करने वाले दो कारण हैं। एक तो यह कि बिजली में कटौती होने के कारण लदान तथा दुलाई के कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है। दूसरे, बड़ी संख्या में डीजल इंजन तथा जेनेरेटरों के चल जाने के वितरण की समस्या पैदा हो गई है जिनको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के सहयोग से हम इस कठिनाई को शीघ्रता-शीघ्र दूर करने की चिन्ता में हैं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री एल० एन० मिश्र की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

“कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

रेलवे बजट—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Yesterday, I had submitted that all metre and narrow gauge lines should be converted into broad gauge lines throughout the country in order to form a uniform track system and facilitate quick and uninterrupted transportation which otherwise involves delay and pilferage at the changing stations.

The A. H. Wheeler has been given monopoly. Instead, had you given one station to one individual, it would have helped many jobless and unemployed to get jobs and livelihood. There are thousands of such stations also where shops, book-stalls etc. can be allotted to unemployed educated persons. So this sort of monopoly creates suspicions in the minds of the people.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
[*MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.*]

While preparing time-table, all the M.Ps. of the areas concerned should be kept in the Time Table Committee. Third class fares should also be reduced since there is much discontentment among the people over the increase in the fare.

Then, there are no adequate facilities of sanitation and retiring rooms etc. at Motihari, Betia, Ghora Saham stations. Local people are not being given opportunities for class-IV posts, with the result that the outsiders do not behave properly with the local people. If it goes on, I warn you that a movement would arise in Bihar and Bihari people might demand to live outside India. I am saying this in full sense of my responsibility. So I request you to instruct your department to behave with the Bihari people in decent way.

Instead of Road Bridge a rail-cum-road bridge should be built over Ganga to facilitate comfortable journey for the 2½ crore people of North Bihar, the capital of Bihar. If the people of Bihar opt to cooperate with the Central Government, it should not be thought that they deserve all sorts of injustice and ill treatment.

D. S. office in Sonapur should be re-opened. We should be provided with more and more express trains so as to connect the different areas of Bihar with rest of the parts of the country.

The prices of land in Raxaul are three or four lakh rupees for an acre and people have illegally occupied lands there. If the Government takes over that land and constructs shops thereon, they can earn thousand of rupees per month.

Separate catering arrangements should be made for the non-vegetarians and vegetarians in Railways.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Keeping in view the present condition of the country, it is not at all fair to increase the III class fare because it is detrimental for the common man and common man is unable to bear any additional burden. Therefore, I suggest that the proposed increase in the III class fare should be withdrawn forthwith.

One hardly gets seat in trains and inspite of it deficit budget is being presented. I don't understand where does all the money go.

There are complaints of harassment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees of Railways, in matters relating to transfer and promotions. Government should seriously look into the hardships of these employees.

I also want to draw the attention of the hon. Minister to my constituency Tonk. Its population is near about 5 lakhs. It is a developing town in the backward region of Rajasthan. It does not have any railway line. I request that it should be linked with a railway line. It will help its speedy development. It will also provide relief and employment to a number of persons who are the victims of famine.

There was a plan to construct railway line between Kota and Ajmer in Rajasthan but this line has not been started. It is an important line so steps should be taken to construct it.

Jaipur-Toda Raisingh line is running in loss, because there is no proper arrangement for issuing tickets to passengers on this section. This should be looked into. If Jaipur, Toda-Raisingh line is linked with Ajmer then it will not run in loss. Moreover, this line will provide employment to the labourers of four districts. I hope, the hon. Minister will pay some attention towards it.

There is one particular problem concerning my constituency. A railway line via Roopnagar should be constructed between Parvatsar (district Nagore) and Krishangarh and it is very essential also. We are facing a lot of difficulty in transporting valueable stones from Makrana to any other part of the country. The construction of this line will certainly help in removing this difficulty.

Shri T. D. Kamble (Latoor) : A new type of Budget has been presented this year. Railway is the largest enterprise of the country and nearabout fifteen lakh employees are working under it but this department is running under loss. The hon. Minister has stated many reasons for the loss, such as pilferage, sabotage without ticket travelling and agitation by the people. Steps should be taken to check these. I suggest that instead of auctioning the wornout iron equipments, it should be melted so that if stolen it can easily be detected.

I am happy that Government has given priority to backward regions in the matter of laying new railway line. This is a dynamic and constructive approach, quite in tune with the radical policies of the Government.

Government has sanctioned four railway lines in Maharashtra. I am thankful to the Prime Minister for it. Thousands of drought affected people are getting employment through it, but I want that these lines should be made permanent. All these four lines will pass through backward areas. If you look at the map you will find that where there are more railway lines, those areas are comparatively much more developed than others. Take for instance, North India and South India. These parts of the country are much more developed as compared to the areas of Madhya Pradesh, Telengana and Rajasthan. The reason is obvious. There are not enough railway lines. We have been asking for the last 20 years but I would like to have certain clarification in regard to these lines. In regard to the Miraj-Latoor railway line, it is not clear whether it will be done upto Latoor or Latoor Road station. There is a distance of 20 miles between the two stations. Also, there is no mention as to when these line will be completed. Government should make a specific commitment in this regard.

Construction of a broad gauge track between Vani and Chanaka and the conversion of the track between Maninad and Puri Baijnath has been sanctioned.

Marathwada is a backward area. Specially its five districts are very backward. Marathwada has no railway line. Government should not neglect this region. This area should also be brought on the railway map of India.

Marathwada Development Scheme Committee has demanded that Sholapur-Manmad railway line should be laid and should be connected to the broad gauge.

I am happy that a railway line connecting Kanya-Kumari-Bangalore-Gulbarga Udgir-Nanded-Amravati-Betul is being laid. It will connect North India with South India and will save a run of 600 km and a travelling time of 20 hours. Therefore, this line should be completed as early as possible. Parli-Bidar-Vikarabad broad gauge line passes through my constituency. This line is in a very bad shape. Old and outmoded locomotives and coaches are used on this section. Many people travel without ticket and chain is pulled several times with the result train is generally late.

With these words I support the Railway budget.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : There is nothing new in this Railway budget. Poor section of the country is not in any way benefited by it rather they will suffer from it because increase in III class fare has been proposed. The budget does not provide any relief to the commonman. According to the budget some new railway lines will be laid but not a single line has been provided for in one area that is Bihar and East U. P. The Railway Board is a white elephant. It is this body which is responsible for a heavy drain on the revenues of the Railways. It is a costly and ineffective instrument which has proved a dismal failure in giving a good and efficient administration to the railways. There is a lot of corruption in it. Government should do something about it. The salaries of the high officials should be reduced. There is no safety and security in railway travel. Ghastly crimes are being committed on the passengers while travelling. People do not prefer to send their goods through railways because they know their items will never reach their destination. The Railway Police has proved totally ineffective.

You will be surprised to know that railway officers feel reluctant to talk to Lok

Sabha Members. When I went to meet General Manager of Railways, Gorakhpur he refused to see me. They have issued directions not to talk to the person who has not got recognised union and they say you M. P's don't have recognised union. The worker of the recognised union flatter the officers and that is why they are never transferred. We say you don't recognise the union but atleast you must not hesitate to talk. Railway employee Shri Paswan was thrown out of his job because he has represented. This is the extent of corruption prevailing in the railways.

Theft and pilferage is a common feature on our railways. The Railway Protection Force has failed to check it. Most of the employees of these force are corrupt and are in league with the criminals. The workers of railway factories at Gorakhpur are on strike for the last six months because the skilled workers with 12 years of experience are being given salaries of unskilled labour. Government should look into the matter.

Unions without any following have been recognised while those with a majority following have not been given recognition. The issue of majority following should be decided by a secret ballot.

The Government have no moral right to enhance third class railway fare while the earning of 20 or 22 crores of people in the country is 20 Paise per capita. This increase in fare will result into ticketless travelling. Air conditioned coaches should be produced only after the adequate supply of third class compartments.

Railway board should be abolished and disparities in pay-scales and other facilities of the Government servants should be removed.

At present ticket examiners have not been included in the category of running staff. This is not fair.

There are certain instances where members of Railway Board have been found involved in malpractices, I have given complaints in writing but no enquiry has been conducted.

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : माननीय सदस्य ने गम्भीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे प्रमाण हैं कि रेलवे बोर्ड के सदस्य स्थानांतरण के मामलों में पैसे लेते हैं। माननीय सदस्य के पास जो जानकारी है, उसे मुझे बताकर वे अपने आरोपों को प्रमाणित करें। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो वह उन्हें वापस लें।

Shri Sarjoo Pandey : I will pass on the information to the Minister. The bridge over Narayani river should be repaired soon. There is a tool-down strike in the Bareilly-Izzatnagar. The Government should pay due consideration to the grievances of the workers there so that the strike may be withdrawn.

श्री के० गोपाल (करूर) : यद्यपि वर्तमान घाटा लगभग 26 करोड़ रुपए रहता है फिर भी मंत्री महोदय ने खाद्यान्नों, दालों, नमक तथा मिट्टी को अछूता छोड़ दिया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

तीसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि की आलोचना निराधार है। बजट का सावधानीपूर्ण अध्ययन करने से ज्ञात हो जाता है कि यह वृद्धि नाममात्र की है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों जैसे जी० टी० एक्सप्रेस के किराये में 1.50 रुपए की अतिरिक्त राशि ली जायेगी जबकि जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया पहले जितना ही रखा गया है। जनता एक्सप्रेस को पहुँचने में 12 घण्टे का समय अधिक लगता है और यह बड़े ही विषम समय में पहुँचती है। इस गाड़ी में यात्रा के दौरान अधिक समय लगने के कारण यात्रियों को भोजन आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। विषम समय पर पहुँचने के कारण यात्रियों को स्टेशन से जाने के लिए सवारी लेने में अधिक पैसा व्यय करना पड़ता है। यदि जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को तेज चलने वाली गाड़ी बना दिया जाये तो अच्छा है।

देश में बिजली की कमी है। यदि लम्बी दूरी तय करने वाली गाड़ियों का योजनानुसार विद्युतीकरण करने के लिए रेलवे बिजली उत्पादन हेतु अपना ही कोई कार्यक्रम बनाती है तो अच्छा है।

माल डिब्बों की उपलब्धि के संबंध में माँग और सप्लाई में संतुलन नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए। आशा है, रेलवे बोर्ड ऐसी ही योजना तैयार करेगा।

जहाँ तक माल की ढुलाई का प्रश्न है सड़क और रेल यातायात के बीच प्रतिस्पर्धा है। इसके पीछे जो मूल समस्या है, हमें उसका अध्ययन करना होगा। हमें देखना होगा कि माल की ढुलाई में सड़क से तथा रेल से कितना-कितना समय लगता है। माल की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना है। ढुलाई की मात्रा में वृद्धि करने के लिए रेलवे द्वारा व्यापारियों को प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। माल की बुकिंग के समय रेल अधिकारियों को बताना चाहिए कि माल अमुक समय तक पहुँच जाएगा अन्यथा भाड़े में छूट दी जायेगी।

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर देने से ही बिना टिकट यात्रा करने को नहीं रोका जा सकता। यह एक सामाजिक समस्या है। अत्यधिक भीड़ तथा कम सुविधायें बिना टिकट यात्रा करने का एक कारण है। रेल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करके ही बिना टिकट यात्रा करने को रोका जा सकता है।

जहाँ तक रेलवे में चोरी आदि की बात है, रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे उठाईगीरी बल कहा जाता है। वर्ष 1971-72 में वर्ष 1968-69 की तुलना में 415 प्रतिशत चोरी की अधिक घटनायें हुईं। चोरियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की चोरों से साँठ-गाँठ होती है। रेलवे यार्ड में प्रवेश करने के लिए एक पास की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पास के अभाव में यार्ड में प्रवेश करने वालों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रोका जा सके। 'मियाँ भाई पंचाट' में की गई सिफारिशों को रेलवे प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान में रेलों द्वारा असाधारण विलम्ब किया जा रहा है। इन दावों का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिये।

बम्बई और कलकत्ता में भूमिगत रेलें चलाने के कार्यक्रम को शीघ्र ही कार्यरूप दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए हम विदेशों से परामर्शदाता बुला रहे हैं। हमारे केन्द्रीय अभिकल्प

संगठन में अच्छे-अच्छे इंजीनियर विद्यमान हैं। इस कार्य के लिए विदेशी तकनीकी ज्ञान नहीं मंगाया जाना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सलेम से टुटुकड़ी तक रेलवे लाइन की बहुत दिनों से मांग चल रही है। इस पर शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। करूर-डिंडीगल लाइन को शीघ्र चालू किया जाना चाहिए। सलेम-तिरुची लाइन का कार्य भी शीघ्र आरम्भ कराया जाना चाहिए। नंगलडैम-तलवाड़ा लाइन को, जिसके लिए 33 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है, शीघ्र बिछाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेन्द्र महन्ती।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : रेलवे बजट के वित्तीय पहलू पर कुछ कहने से पहले मैं उड़ीसा में रेलवे की समस्या की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अन्य राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में बहुत कम रेल लाइनें हैं। इससे उड़ीसा में रेलवे के विरुद्ध व्याप्त असंतोष और रोष का पता चलता है। उड़ीसा में एक लाख लोगों के पीछे कुल 8.7 कि० मी० रेलवे लाइन है जबकि अखिल भारतीय औसत 11.39 कि० मी० है। उड़ीसा में विद्यमान खनिजों को निकालने के लिए और उड़ीसा जैसे अल्प विकसित राज्य के विकास के लिए इस दिशा में अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊँची प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

इसी दृष्टि से राज्य में 1965 से जाखापुर-बांसपानी; बाराबील-किरिबुरू कोइरा घाटी और तलचर-बिमलागढ़ लाइनों की मांग की जाती रही है। कटक-पारादीप लाइन जो 1972 में पूरी होनी थी, पता नहीं कब तक पूरी होगी।

बांसपानी-जाखापुरा लाइन के निर्माण के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने भी लिखा था। परन्तु उसके साथ भी केन्द्र ने सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया और कुछ नहीं किया गया। निगम द्वारा 6½ प्रतिशत आय की गारंटी देने पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई जबकि महाराष्ट्र में आर्थिक दृष्टि से हानिकारक दो लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। मुझे इसकी प्रसन्नता है, पर उड़ीसा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों?

रेलवे बजट में बढ़ाये गये किरायों के कारण वस्तुओं के मूल्यों में और वृद्धि हो जायेगी।

रेलवे बजट के साथ मजाक होता रहा है। 1971-72 के बजट में 6.87 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था जबकि 17.84 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष के बजट में भी लाभ ही होगा यद्यपि अभी तो 8.65 करोड़ रुपये का अन्तर दिखाया गया है। इतने लाभ के बावजूद किराये बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय रेल मंत्री को इस प्रकार का मजाक नहीं करना चाहिए।

रेलवे के कार्य व्यय में 67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण इमारत के मूल्य में वृद्धि होना है। पर इतना होने पर रेलवे 32 करोड़ रुपये का लाभ कमा रही है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर से कर हटाया जाये, कार्य-

व्यय को कम किया जाये तथा इस ओर अविभाजित रूप में ध्यान दिया जाये। इसे एक मजाक न बनाया जाये। अल्प विकसित राज्यों में रेलवे के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाये।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : It has been the practice here that those who can put pressure, get their work done and the others are not heard. I requested quite a number of time to construct Sagar—Sahgarh—Hirapur—Chhattarpur—Harpalpur link line, so that the people of this dacoit infested area could get some facility and employment.

There is an old demand of constructing Bari—Devri—Narbada Barman line via Kareli. Nobody give attention without pressure. I would request the Hon. Minister that development of Sagar should be done in view of the loading of timber and coal.

The adjoining land to the railway line should be given for cultivation at least for five years so that the person who reclaims the land could have the justified benefit.

The harijans and poor workers in the railways are not getting good treatment from their superiors. They are transferred arbitrarily when the others are sitting at one place since so many years.

The public of my area are facing a great difficulty. No tickets are available at Damoh, Ishwarkara stations and as a result of it people travel without tickets.

The labourers working on the double line of Patuana—Damoh section are getting less wages. Some arrangement should be made to get them full wages.

The Utkal Express running between Delhi and Bhubaneswar should run daily instead four times a week. Coaches in other passenger trains should be increased. More trains like Taj Express, should be started, after the names of ladies.

Harijans and tribals should be given more employment in the railways.

In the end I will request that proper attention should be given to the points I have raised just now.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : The first thing I would like to say, is that the reservation chart pasted on the coaches should be typed and there should not be too much cutting because it is very difficult for the passengers to locate their names in the list due to so much cutting and illegible handwriting in pencil. Secondly a person should be posted to let the passengers locate their seats.

An officer should be posted to keep an eye over the porters so that they may not charge more than the prescribed rates.

The malpractice prevalent in reservation should be eliminated so that the genuine passengers could get reservation. Every effort should be made to run trains in time.

Keeping in view the importance of Aligarh, arrangements for reservation should be made for all the trains passing through that station.

A railway over/under bridge should be constructed at Aligarh on Hathras line.

The platform of Godhra station on Aligarh—Chandausi branch line should be raised. An assurance for this was given to me by ex-railway Minister.

With these words I thank you for the opportunity given to me.

*श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कासेरगोड) : मेरा अनुरोध है कि केरल से दिल्ली तथा उत्तरी भारत के अन्य स्थानों वाले लोगों को जो अतिरिक्त किराया देना पड़ता है उसे समाप्त किया जाये ।

रेलवे के मामले में केरल की सदैव उपेक्षा की जाती रही है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक केरल में एक भी नई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है। अधिक दबाव पड़ने के कारण सरकार ने एरनाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हाथ में लिया है। इसे शीघ्रता से समाप्त किया जाये। केरलवासियों ने रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति माना है। आन्दोलनों के दौरान, अन्य राज्यों के समान, वहाँ कभी भी रेलवे सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचाई गई। अतः सरकार को केरल के प्रति अपनी उपेक्षा समाप्त करनी चाहिए।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI R. N. TIWARY in the chair]

रेलवे राष्ट्रीय एकता में एक बड़ा योगदान करती है अतः पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे का विकास किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य की वास्तविक आवश्यकता को स्वीकारना चाहिए। अभी जो रवैया रेलवे का है उसे बदलना चाहिए। उदाहरणतः रेलवे मेन्टेनेन्स डिपो को कन्नानूर से स्थानान्तरित किया जा रहा है। यदि वहाँ से इस डिपो को स्थानान्तरित किया जाता है तो इससे बड़ी कठिनाई खड़ी हो जायेगी क्योंकि इंजिन की खराबी के समय उसे फिर मंगलौर ले जाना होगा। इससे अत्यधिक देरी होगी। दूसरे, इस कारण इस क्षेत्र के लोगों को मिलने वाले रोजगारों में भी कमी हो जायेगी। रेलवे को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और लोगों के लिए अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

नए बजट में छात्रों को भारत-दर्शन के लिए दी गई सुविधाओं और बंगला देश उपकर को वापिस लेने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि पिछड़े क्षेत्रों के प्रति रेलवे का रवैया ठीक नहीं है। रेल मंत्रालय को केरल जैसे राज्य की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में रहने वाले मलयालम भाषी लोगों को केरल जाने के लिए रेलवे में आरक्षण प्राप्त करते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरक्षण सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। दिल्ली से मंगलौर जाने वाली जयन्ती जनता गाड़ी, जो आन्ध्र

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Malayalam.

के दंगों के कारण बंद कर दी गई थी, पुनः चालू की जानी चाहिए। बम्बई से कोचीन जाने के लिए भी एक गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मछली पकड़ने के कई केन्द्र हैं। अतः वहाँ के लिए रेल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। प्लाईवुड, चीनी मिट्टी तथा अन्य वस्तुएं कन्नानूर तथा तेल्लीचेरी से निर्यात की जाती हैं। परन्तु वैगनों की कमी के कारण उन्हें काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं। अतः वहाँ के लिए रेलवे वैगन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Railways is the largest enterprise in the country, but it has not shown the expected results. Transportation through Railways is decreasing day by day.

It is good that meter gauge lines are being converted into broad gauge lines. In Northern India, a programme has been started to convert Bara Banki—Samastipur meter-gauge line into broad gauge line. Survey was undertaken for converting Bhatni—Manduadih meter-gauge line into broad-gauge line but work has not been started till now. After conversion, businessmen as well as Railways will be benefited thereby.

There was improvement in the punctuality of trains during the office-time of Mr. Hanumanthaiya. But now that punctuality is slackening. I would suggest the Railway Minister to take stringent action in this regard.

III class fares have been increased. I would request that there should be no increase in fares for the first fifty kilometers.

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : रेलवे देश का सबसे पुराना और बड़ा सरकारी उपक्रम है। राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में इसका महत्वपूर्ण हाथ है। आम आदमी के हितों के साथ भी रेलवे का गहन सम्बन्ध है।

देश में बढ़ते हुए मूल्यों और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किराये-भाड़े, विलम्ब शुल्क दर में वृद्धि करना सही एवं न्यायोचित है।

वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा की टिकटों की दरें विमान टिकट दरों के बराबर कर दी गई हैं। इससे रेलवे को घाटा होगा क्योंकि यात्री गाड़ी की अपेक्षा विमान द्वारा यात्रा करना बेहतर समझेगा। अच्छा यही होगा कि वातानुकूलित बोगियों को तीसरे दर्जे की बोगियों में बदल दिया जाए। इससे रेलवे को घाटा भी नहीं होगा और तीसरे दर्जे में यात्रा करने वालों को सुविधा भी हो जाएगी।

बजट भाषण के पैरा 41 में पिछड़े क्षेत्रों में कार्य शुरू करने के लिए चार शर्तें रखी गई हैं। तीसरी और चौथी शर्तें आपत्तिजनक हैं। इससे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक किराया और भाड़ा देना पड़ेगा। इसलिए यह बात हमारी समाजवादी नीति के अनुरूप नहीं है।

बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि 60 किलोमीटर की किश्तों में रेलवे लाईन का

निर्माण किया जायेगा। इस गति से वेस्ट कोस्ट रेलवे लाइन के पूरा होने में 15 वर्ष लगेंगे। अतः यह प्रस्ताव अनुचित है।

बजट भाषण के पैरा 42 में उन आश्वासनों की बिल्कुल उपेक्षा की गई है जो प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी, 1973 को महाराष्ट्र के अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय दिए थे।

सरकार ने यह घोषणा की थी कि सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारों से भूमि-अर्जन लागत और श्रम लागत के लिए धन देने को क्यों कहा जा रहा है। रेलवे को अपने खर्चे पर यह काम करवाना चाहिए।

8 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सहायता देने की घोषणा की है और कोंकण रेलवे तथा तीन अन्य रेलवे परियोजनाओं पर केन्द्रीय स्वीकृति की बात कही है। इसी प्रकार 8 जनवरी के 'इकनामिक टाइम्स' में भी महाराष्ट्र के कोंकण रेलवे सहित चार परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की बात कही गई थी।

इस रेलवे लाइन के निर्माण पर आने वाली लागत के बारे में भी बहुत वाद-विवाद रहा है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री हनुमन्तैया ने मई, 1971 में मेरे पत्र के उत्तर में बताया था कि इस रेलवे लाइन के निर्माण पर 100 करोड़ रुपये लागत आएगी। तत्कालीन रेल मंत्री श्री टी० ए० पै ने 23-9-72 को बताया था कि इस पर लगभग 214 करोड़ रुपये लागत आएगी। वर्तमान रेल मंत्री का कहना है कि इस पर 325 करोड़ रुपये व्यय आएगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन वक्तव्यों में इतना अन्तर क्यों है? रेल मंत्री को इन सब बातों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय को रेलवे बोर्ड के निदेशों को नहीं मानना चाहिए क्योंकि रेलवे बोर्ड कई वर्षों से इस प्रस्ताव के विरुद्ध रहा है। रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए।

डैकन क्वीन गाड़ी की सभी सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी असुविधा हो जाएगी। इस गाड़ी में तीसरे दर्जे का एक डिब्बा और लगाया जाना चाहिए क्योंकि बम्बई से पूना जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय मेरा यह सुझाव मान लेंगे।

Dr. Laxminarayan Pandeya : Mr. Chairman, Sir, during Budget Speech, the hon. Minister has foreseen the possibility of new taxation to meet the increase in expenditure after the submission of Report of the Third Pay Commission. There may be increase in the rates of freights and fares.

It has become obligatory on the part of the Government to streamline the working of Railways. Transportation through Railways is decreasing day by day and businessmen prefer to send their goods through roadways. The hon. Minister has himself accepted this.

Punctuality of trains is also slackening and Government should see that punctuality of trains is observed. Businessmen of Mandsaur, Neemach, Shamgarh etc. have complained about the non-availability of wagons. Concrete steps should be taken by the Government in this connection.

Railways are not paying attention to the low paid employees. They are not given housing and children education facilities. Government should be liberal while considering their problems. Railways should not provide high officials with staff-cars as they use them for other than official purposes.

Ajmer—Khandwa line is a useful line and carries heavy traffic. Therefore, it should be converted into broad-gauge line. An additional mail train should also be introduced on this line.

Construction of Indore—Dohad line would help in the development of tribal areas. Besides, Madhya Pradesh will have direct connection with Gujarat and in this way Railways will earn more revenue. There are several railway stations which have not been provided with sheds and electricity. Proposal to expand diesel sheds at Ratlam and Neemach has been accepted but work has not been started as yet. New railway lines should be provided in Madhya Pradesh.

Finally, I would request the hon. Minister to accept the Bonus demand of Railway employees and withdraw the increased fares in the interest of III class passengers.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : There is a long-standing demand for the conversion of Barabanki—Samastipur meter gauge line into broad gauge line. Similarly, survey was also conducted for the conversion of Bhatni—Manduadih meter gauge line into broad gauge line. But nothing has been done in this matter so far. I request the hon. Minister to pay full attention to the poor and down-trodden people of backward areas.

Gorakhpur workshop should also be expanded. An assurance was given for expansion of Gorakhpur Signal workshop. I hope that expansion work will be done in due time. Officials in Railways with more than ten years service should be transferred. Medical services should also be provided to Railway employees. There has been a demand to build a platform on the northern side of Khalilabad. An early action should be taken in this regard. Khalilabad station is an important industrial area of the eastern side. 1 Up and 2 Down trains should halt at this station. Railway line should be laid from Maghar to Naugarh Via Bakhira, Mehdawal, Satha, Vasi and Dumariaganj. Similarly, a new railway line should be laid between Sahajnava to Shajaganj.

The hon. Railway Minister gave an assurance in this House on 28th August that Shahadra-Saharanpur line would not be dismantled. It was welcomed by all the Members of Uttar Pradesh. That line is being dismantled even after that assurance. As a result of it the Members of Parliament from U. P. and the people of Uttar Pradesh are in great trouble. I request that the Government should pay immediate attention in this matter.

The lands of railway should be distributed amongst the poor and the landless railway employees.

A railway line from Nangal Dam to Talwara should be constructed.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : रेल के किराये और भाड़े में लगातार वृद्धि की जाती रही है लेकिन जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। मैं श्री मिश्र को रेलवे मंत्री बनाने का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि रेलवे में सुधार करने के लिए वे निदेश जारी करेंगे। जब भी कोई नया रेलवे मंत्री नियुक्त होता है वह रेलवे प्रशासन के बारे में विशेष रूप से

विचार करता है। श्री नन्दा ने कोयले की बचत, मुगलसराय यार्ड में चोरी रोकने आदि पर जोर दिया था। श्री हनुमन्तैया ने यह निष्कर्ष निकाला था कि रेलवे में सुस्ती इसलिए है कि इसमें अनेक लाइनें जैसे, छोटी लाइन, मीटर लाइन और बड़ी लाइनें हैं। उन्होंने यह नीति सम्बन्धी निर्णय लिया कि देश में केवल एक प्रकार की लाइन होनी चाहिये और उन्होंने इस प्रकार के निदेश दिये थे। हम यह जानना चाहते हैं कि रेलवे प्रशासन के ढाँचे में सुधार करने के लिए प्रबन्धकों को क्या निदेश दिये गये हैं ?

भारत में कुल 25,000 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन है जिसमें केवल राजस्थान और गुजरात में 10,000 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन है। अब राजस्थान और गुजरात को दो पृथक जोनों—पश्चिम और उत्तर रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। इन दो मीटर गेज लाइनों के दो विभिन्न जोनों में आने के कारण जोनल रेलवे के जंकशनों पर कठिनाइयाँ हो रही हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। रेलवे मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि सम्भव हो तो भारत में समस्त एक तिहाई मीटर लाइन को एक पृथक जोन के अन्तर्गत लाना चाहिए।

रेलवे बजट में यह उल्लेख किया गया है कि रेलवे को अलाभकारी रेलवे लाइनों के कारण हानि हो रही है और यह बताया गया है कि देश में ऐसी 77 अलाभकारी रेलवे लाइनें हैं।

ऐसी रेलवे लाइनों को बन्द करने के बारे में रेलवे मंत्री ने उत्तर दिया था कि ऐसी तीन ब्रांच लाइनें बन्द कर दी गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन अलाभकारी रेल लाइनों के बन्द किये जाने से कुछ सहायता मिलेगी ? क्या कुल व्यय में कमी होगी ? ऐसा सम्भव नहीं है। आशा है, सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

अलाभकारी लाइनों को बन्द किये जाने का रेलवे मंत्री ने उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि लोगों के आन्दोलन के कारण अलाभकारी लाइनों को फिर से चालू करना पड़ता है।

रेलवे हमेशा भी इस बात की शिकायत करती रही है कि जिप्सम, रेत और पत्थर जैसी कम दर वाली वस्तुओं के रेल द्वारा भेजे जाने से रेलवे को हानि होती है। आँकड़ों से यह सिद्ध होता है कि कम दर वाली वस्तुओं के परिवहन से रेलवे को अधिक दर वाली वस्तुओं के यातायात की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त होता है। यद्यपि कोयला, जिप्सम जैसी वस्तुओं का परिवहन भाड़ा कम है लेकिन इन वस्तुओं के बहुत अधिक मात्रा में भेजे जाने के कारण रेलवे को इन वस्तुओं से बहुत अधिक आय होती है।

बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि हावड़ा सियालदाह और शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइनें खोली जा रही हैं लेकिन चूँकि ये अलाभकारी लाइनें थीं, इन्हें बेच दिया गया था। अब जनता के दबाव के कारण सरकार ने इन लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का विचार किया है। अतः सरकार को अलाभकारी लाइनों को भी जारी रखना पड़ता है।

तीसरे टर्मिनल का कार्य महानगर सर्वेक्षण दल को सौंपा गया था। इस सम्बन्ध में लाखों रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन अभी तक इसके स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रेलवे को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : सलेम में पूंजीगत परिव्यय से 375 करोड़ रुपये का इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उसके निकट मैसूर बिजली योजना आरम्भ की गई है, जिससे उस क्षेत्र में अनेक उद्योग स्थापित करने में सहायता मिली है। नई सलेम-बंगलौर लाइन के बिछाने से केन्द्रीय रक्षा प्रतिष्ठान के उत्पादों और बंगलौर में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एककों के उत्पाद को सलेम के माध्यम से केरल और मैसूर के दक्षिण-पश्चिम भागों में भेजा जाता है। इस समय दक्षिण रेलवे का मुख्यालय ओलावाक्कोट में स्थित है, जो केन्द्रीय स्थल नहीं है। इसके परिणाम-स्वरूप सलेम और निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में बाधा पड़ने की सम्भावना है और अभी भी परिवहन संबंधी समस्याओं को हल करने में असाधारण विलम्ब होता है। इस क्षेत्र के लोग सलेम जंकशन के निकट इस प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि देने के लिए तैयार हैं।

सलेम में डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय वर्ष 1956 में लिया गया था लेकिन उक्त निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। सरकार को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

सलेम जंकशन के निकट पुराने सुरामंगलम और नये सुरामंगलम को मिलाने वाला लगभग 300 गज का पारपथ है। इस पर उपरि पुल शीघ्र बनाया जाना चाहिये।

धर्मपुर जिले में वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस किसी स्थान पर नहीं रुकती है, अतः लोगों को उक्त गाड़ी को पकड़ने के लिए बहुत दूर चलकर आना पड़ता है। उक्त गाड़ी का मोरापुर में कम-से-कम एक मिनट का हाल्ट होना चाहिये। मोरापुर में एक उपरि पुल की बहुत आवश्यकता है।

मद्रास की जनता, मद्रास में महानगरीय ट्यूब रेलवे की योजना की क्रियान्विति की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही है। दक्षिण रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस योजना के बारे में शंका व्यक्त की है। उसके परिणामस्वरूप मद्रास के लोगों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है।

परिवहन की समस्याओं को हल करने के लिए महानगरीय ट्यूब रेलवे योजना को यथा-शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

मुझे इस बात पर गर्व है कि भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है और इसमें 700 श्रेणियों के 17 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 1950-51 की तुलना में वर्ष 1972-73 में माल डिब्बों में 88 प्रतिशत, सवारी डिब्बों में 83 प्रतिशत और भाड़े से होने वाली आय में 140 प्रतिशत और यात्री किराये से होने वाली आय में 238 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

यह वास्तव में खेदजनक बात है कि गत तीन वर्षों में रेलों में हत्याओं, डकैतियों तथा यात्रियों के सामान की चोरियों की घटनाओं में क्रमशः 90 प्रतिशत, 69 प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised Translated version based on English translation on the Speech delivered in Kannada.

वृद्धि हुई है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 2 प्रतिशत भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। इस कार्य के लिए रेलवे सुरक्षा बल को बढ़ाना तथा उसमें से अवांछनीय तत्वों को निकालना आदि कुछ उपाय करने होंगे। कुल 17,00,000 नैमित्तिक कर्मचारियों में से 2,30,000 को रेलवे का स्थाई कर्मचारी बनाया जाना चाहिए।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : हमारे देश के रेल विभाग में लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं। यद्यपि रेलवे राष्ट्रीयकृत उद्योग है फिर भी इसे तब तक राष्ट्रीयकृत नहीं कहा जा सकता जब तक कर्मचारियों को प्रशासन में सभी स्तरों पर भाग नहीं दिया जाता। मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय कर्मचारियों के प्रशासन में भाग लेने की बात की ओर भी संकेत करें।

रेलवे को एक उद्योग समझा जाना चाहिये, सरकारी विभाग नहीं, अन्यथा रेलवे की कार्य-कुशलता में सुधार नहीं होगा। रेलवे के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें उद्योग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहियें। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान नहीं। रेलवे के पंजीकृत श्रमिक संघों की यह भी एक मांग है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि रेल मंत्री भी इससे अपनी सहमति प्रकट करेंगे।

रेलवे में दो संघ नहीं होने चाहियें अन्यथा कठिनाई पैदा होती रहेंगी। एक संघ एक मांग करेगा तो दूसरा संघ उसमें तोड़-फोड़ करेगा। अतः यह बात अच्छे औद्योगिक संबंधों के हित में है कि रेलवे में एक संघ हो। नैमित्तिक कर्मचारियों को कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिए जितना कि गैर-तकनीकी स्थायी कर्मचारी को दिया जाता है। कर्मचारियों के साथ मानवीय भावना से व्यवहार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के नौकरशाही के व्यवहार को समाप्त कराया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड, रेल प्रशासन तथा विभिन्न जोनल रेलवेज के अधिकारियों को श्रमिकों के साथ व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक प्रशासन में कार्य कुशलता नहीं आयेगी और न ही श्रमिक प्रशासन में विश्वास रखेंगे।

जहाँ तक दक्षिण मध्य रेलवे की समस्याओं का प्रश्न है, वर्ष 1960 में दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में 30 श्रमिक इसलिए सेवा से हटा दिये गये कि उन्होंने 1960 की सामान्य हड़ताल में भाग लिया था। केवल एक वर्ष पहले ही, संघों तथा अन्य नेताओं के निरन्तर अभ्यावेदन देने पर 21 श्रमिकों को सेवा में ले लिया गया है। शेष श्रमिकों को भी सेवा में लिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह इन श्रमिकों की सेवा निवृत्ति के समय इस बात पर ध्यान दें कि उनकी सेवा निरन्तर मानी जावे ताकि वे श्रमिक पेंशन का लाभ उठा सकें।

इन श्रमिकों पर हड़ताल में भाग लेने के कारण अपराध के बहुत से मामले दर्ज किए गए। ये सभी कर्मचारी दोषमुक्त कर दिए गए और उनमें से बहुत से कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया परन्तु लगभग 40 कर्मचारियों के साथ अन्य प्रकार का ही व्यवहार किया गया है।

बहुत से वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। ऐसा नहीं किया

जाना चाहिए। तीसरे वेतन आयोग द्वारा दिये जाने वाले लाभों के मामले में भूतपूर्व एन० एस० रेलवे कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल शहर बहुत बड़ा व्यापार केन्द्र है, यहाँ उपरि पुल का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ कराया जाना चाहिए। वारंगल शहर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक ढंग का बड़ा स्टेशन बनाया जाना चाहिए।

Shri Mani Ram Godra (Hisar) : Sir, though a number of trains pass through Haryana State but the people of the State have been denied traffic facilities since almost all the trains are direct and do not stop in the interior parts of the state. There is no branch line there in Haryana. The trains from Faridabad to Delhi, from Sonapat to Delhi and from Gurgaon to Delhi are meant for office going people or for businessman. What is needed in Haryana is the Branch line to connect seventy-eighty Mandis of the state to facilitate transportation of foodgrains. Haryana has been supplying lakhs or tonnes of foodgrains to the Central Pool and in the absence of branch lines, transportation of foodgrains to different areas of the state would be difficult and a costly affair. So, I request the hon. Minister to provide branch lines in the State as early as possible.

A broad-gauge line should be provided between Rohtak and Bhiwani. Bhiwani is an important commercial centre but the business there is suffering in absence of broad gauge line. There should be a new broad gauge line between Jind and Sirsa via Ulkana and Fatehabad. Long staple cotton is produced in this area and this is taken to different parts of the country. A broad gauge line in this area is, therefore, necessary for transportation of the cotton to different parts of the country.

There was a line Rohtak-Gohana-Panipat before 1942. This line was cancelled in 1942 due to emergency and economic reasons. This is an important line and it should be restored. A new broad gauge line from Rewari to Rohtak is also necessary. Nangal—Talwara line, necessary from strategical point, should also deserve consideration. I request the hon. Minister to give due consideration to my suggestions.

Shri Shrikrishan Modi (Sikar) : After independence, only 1749 kilometers line has been provided in Rajasthan. This is inadequate keeping in view of backwardness, size and the population of the state. Special attention should be paid to provide new lines particularly in the backward areas of Rajasthan. Losal-Didwana-Ringus-Sataramgarh rail line should be laid. The line is necessary from defence point of view apart from the developmental purposes of the backward areas.

Banswara is very backward district and it is near to Kandla. If a railway line is provided there, it would help in exporting minerals. At least a siding should be provided for loading of finished products of Banswara.

Secondly, finished products of small scale industries are booked in 'E' priority. This is injustice. Facilities regarding loading of finished products of small scale industries should be equal to those of other industries. Products of small scale industries should be booked in 'B' priority.

It was requested that a level crossing should be provided at Baghela station. The Government have refused to provide this crossing. It is difficult to understand as to why this request is not being acceded to.

A Shuttle service between Nizampur and Ringus should be started. It should be done in the interest of the people even if there is some loss to the Government in starting this service. Abnormal fare charged in Fatehpur-Churu should be stopped immediately.

There was stop of Janta Express at Budal station since last 17 years. Now this halt has been cancelled. People have agitated but the situation has not been restored.

There is no loading facility at Saledipura railway station. The same should be provided.

***श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) :** जब भी बजट पेश किया जाता है तब यही कहा जाता है कि यह समाजवादी बजट है परंतु उसमें देश को समाजवाद की ओर ले जाने वाली कोई बात नहीं होती। इस बजट में यात्रियों को राहत देने के बजाय उन पर और भार लादा गया है। इस बजट में रेलवेज तथा रेलवे कन्वेन्शन कमेटी के दृष्टिकोण-पत्र का भी कोई उल्लेख नहीं है। देश में ऐसे अनेकों पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, जिनके आर्थिक विकास के लिए वहाँ रेल लाइनें बिछाना बहुत आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी गई है। बजट में डीजल इंजनों की वृद्धि करने तथा रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने की भी कोई बात नहीं कही गई है। रेलवे के कार्य-करण में सुधार के लिए, रेल प्रशासन में सुधार होना आवश्यक है। कर्मचारियों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि वे स्वयं प्रशासन के अभिन्न अंग हैं। प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बांकुरा-दामोदर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री परिमल घोष ने बिशनपुर-तारकेश्वर के बीच नई लाइन बिछाने का आश्वासन दिया था परन्तु आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस बजट में भी इस लाइन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह क्षेत्र खनिज सम्पन्न क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र में नई लाइन बिछा दी जायें तो यहाँ का आर्थिक विकास हो सकता है। कृष्णनगर से करीमपुर होते हुए शिकारपुर तक एक रेल लाइन बना दिये जाने की आवश्यकता है। रक्षा की दृष्टि से यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि चक्रधरपुर गोमोह पैसेंजर गाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी बनाया जाय।

रेलवे की बेकार पड़ी भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में बाँटा जाना चाहिये। सदन में मार्टिनबर्न रेलवे को फिर से चलाने का प्रश्न कई बार उठाया गया है। प्रधान मंत्री ने भी निर्वाचन के दौरान अपने भाषणों में ऐसा आश्वासन दिया था परन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे की योजना सरकार का धोखे का प्रचार है। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस योजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा।

***बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bangla.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : क्योंकि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, इस लिए मेरा सुझाव है कि आज सभा 7 बजे म० प० तक बैठेगी ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I want to know that when the ring railway line in Delhi is going to start ?

श्री पी० आर० शिनाय (उद्दीपी) : रेलवे की सम्मति के भारी विनाश से रेलवे को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है । इस समस्या का समाधान रेलवे तथा राज्य सरकारों के बीच सहयोग की भावना में केन्द्रित है ।

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
DR. SARDISH ROY in the Chair.]

रेलवे को राज्य सरकारों के सामान्य माल खाते में कुछ अंश देना चाहिए और यह राज्य सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि वे अपने राज्य से गुजरने वाली रेल लाइनों के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाये रखें ।

उपनगरीय रेल व्यवस्था के घाटे को दूर करने के लिए एक अलग निगम बनाया जाना चाहिए । यदि सरकार निम्नलिखित पाँच बातें स्वीकार कर लेती है तो रेलवे के सीमित संसाधनों से अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक लाभ हो सकता है । (1) दोहरी लाइनें बिछाने तथा लाइनों के प्रकार में परिवर्तन करने के बजाय नई लाइन बिछाने को प्राथमिकता दी जाये । (2) विद्युतीकरण के स्थान पर डीजल इंजनों को प्राथमिकता दी जाय तथा भाप से चलने वाले इंजनों को कम महत्व के तथा कम यातायात वाले स्थानों पर कुछ समय के लिए भेज दिया जाय । (3) नये रेल स्टेशन काम चलाऊ होने चाहिए, उनके निर्माण पर अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए । (4) रेलवेज को अपने अस्पताल, अपने स्कूल, कालिज तथा अपने खेल के मैदान, अपनी टेलीफोन व्यवस्था, अपने तापीय केन्द्र आदि बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए । सम्पूर्ण देश की व्यवस्था से अलग अपने को आत्म-निर्भर बनाने की बात नहीं सोचनी चाहिए । (5) जब रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि अर्जित की जाती है और वह भूमि राज्य सरकार की हो तो राज्य सरकार को यह भूमि रेलवे को निःशुल्क देनी चाहिए । निजी भूमि के लिए बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत मुआवजा दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विधेयक लाया जाये ।

कोंकण प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ तथा उपेक्षित प्रदेश है । इस क्षेत्र में कोई रेल लाइन नहीं है । प्रधान मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कोंकण क्षेत्र से होते हुए मंगलौर से आष्टा तक एक लाइन बनाई जायेगी । बजट भाषण में भी इस लाइन का उल्लेख किया गया है । यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है । इसे शीघ्र बिछाया जाना चाहिए ।

इस समय केवल एक लाइन ऐसी है जो आन्ध्र प्रदेश से गुजरती हुई उत्तर दक्षिण को मिलाती है । यदि आन्ध्र में कोई गड़बड़ी होती है तो उत्तरी भाग का दक्षिण से सम्पर्क समाप्त हो

जाता है। अतः मैसूर राज्य से तथा पश्चिम तट से गुजरने वाली लाइन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। आप्टा से मंगलौर लाइन को शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए जिससे अगली पंचवर्षीय योजना में इस लाइन पर कार्य आरम्भ किया जा सके।

नंगलडैम-तलवाड़ा लाइन भी रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे भी शीघ्र बिछाया जाना चाहिए।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच, बिहार) : रेल बजट का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि रेलवे योजना में रेलवे की वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए गम्भीर विचार नहीं किया गया है। जब तक रेलवे के पुनर्गठन तथा आयोजन पर गम्भीर विचार नहीं किया जाता तब तक रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में पहली आवश्यकता सामान्य राजस्व के लिए दिये जा रहे लाभांश तथा व्याज की पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। यह निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या रेलवे एक लोक उपयोगिता सेवा है अथवा क्या यह सरकार की एक शाखा है या कि एक वाणिज्यिक संगठन है।

मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया है कि अधिक प्रशासनात्मक व्यय तथा मंहगाई आदि के कारण रेलवे कार्यकरण के व्यय में वृद्धि हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने रेलवे में काम आने वाले ईंधन के बढ़ते हुए मूल्यों पर विचार किया है? यदि डीजल से चलने वाले इंजनों की संख्या में वृद्धि की जाये तो ईंधन के बढ़ते हुए मूल्य की समस्या का किसी सीमा तक समाधान किया जा सकता है।

रेलवे कन्वेंशन कमेटी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि रेलवे द्वारा जो प्रतिवेदन तथा लेख प्रस्तुत किया जाता है, वह अस्पष्ट तथा असंतोषजनक है। कमेटी ने बताया है कि दावों का उचित लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। क्षतिपूर्ति के रूप में माल-दुलाई की कुल आय की लगभग 2 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। क्या क्षतिपूर्ति की राशि को कम करना संभव नहीं है? क्या चोरी आदि की घटनाएँ नहीं रोकी जा सकतीं? यदि ऐसा किया जाये तो क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि कम की जा सकती है।

रेल प्रशासन में कुछ शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। हाल ही में सिगनल तथा इलैक्ट्रानिक मशीनों के लिए एक विदेशी कम्पनी को क्रयादेश दिये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालयों में बढ़ते हुए व्यय को रोका जाए। बाढ़ तथा तूफानों से क्षतिग्रस्त हुई रेलवे लाइनों के लिए चालू वर्ष में 23.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से पूर्वी क्षेत्र में इस कार्य के लिए 3.59 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। मैंने मंत्री महोदय से अनेक बार अनुरोध किया है कि जलपाई-गुड़ी-हल्दीबाड़ी तथा लटागुह-चंग्रबंध रेलवे लाइनों की स्थिति को सुधारा जाए किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट भी कई वर्ष पूर्व प्रस्तुत की जा चुकी है तथा राज्य सरकार से भी आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में स्पष्ट उत्तर दिया जाए।

*श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगूडा) : मैं आन्ध्र प्रदेश की जनता का असंतोष व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि बीबीनगर से नाडीगुडा तक रेलवे लाइन बनाने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है, यद्यपि इस लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है फिर भी सरकार ने इसकी अभी तक मंजूरी नहीं दी है।

इस लाइन के बन जाने पर आंध्र और तेलंगाना की जनता में सम्पर्क बढ़ेगा जिससे राजनीतिक तनाव कम होता जायेगा। इससे लगभग 15,000 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। यह लाइन तेलंगाना में 130 किलोमीटर तथा आंध्र में २० किलोमीटर तक जायेगी। इससे बम्बई और मद्रास के बीच की दूरी कम होने के साथ-साथ हैदराबाद और मद्रास की दूरी भी कम होगी। भूतपूर्व रेलवे मंत्री को इस बारे में संसद-सदस्यों की ओर से कई अभिवादन दिए जा चुके हैं। आशा है, वर्तमान रेल मंत्री महोदय इस बारे में शीघ्र ही विचार करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : श्रीमन्, अत्यन्त खेद की बात है कि सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को हावड़ा के खुर्दा रोड पर स्थानांतरित किये जाने संबंधी उड़ीसा की जनता की माँग की नितांत उपेक्षा कर दी है। पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए उसे मेरा सुझाव है कि मुख्यालय के कुछ महत्वपूर्ण विभागों को खुर्दा रोड पर स्थानांतरित किया जाना चाहिये।

उड़ीसा की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेरा सुझाव है कि बिमलगढ़-तालचेर तथा जगपुरा-बांसपानी रेलवे लाइनों का निर्माण-कार्य यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए। वहाँ की जनता की यह भी माँग है कि जगपुरा से जयपुर तक तथा अंबडालमनी से चाँदबाली तक रेलवे लाइनें बनाई जाएँ।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनमें गत बीस दिनों में लगभग 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। मैं इसके लिये आर० पी० एफ० को उत्तरदायी ठहराता हूँ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उड़ीसा में वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे बंगाली जनता को उड़ीसा से हटाना अनिवार्य हो गया था? मैं जानना चाहता हूँ कि रेलवे के किस अधिकारी ने इस कार्य के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का आदेश दिया था जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटनाएँ घटी थीं? ऐसे नौकरशाह ऐसी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं जिनके लिए जनता सरकार को कभी क्षमा नहीं करेगी। जैसे ही 16 तारीख की शाम को वह ट्रेन जैसलमेर पहुँची, कुछ छात्रों ने गड़बड़ आरम्भ कर दी, जिस पर आर० पी० एफ० ने गोली चला दी तथा मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस सुपरिंटेंडेंट के बिना ही वे घायल छात्रों को पश्चिम बंगाल ले गए। इसका क्या औचित्य है?

दूसरी घटना हेमगिरि की है। दक्षिण पूर्व रेलवे का महाप्रबंधक रेलगाड़ी में जा रहा

* तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

था तथा श्रमिक उसे अपनी कठिनाइयों से संबंधित आभ्यावेदन देने आए थे। महाप्रबन्धक ने श्रमिकों की भीड़ को देखकर पुलिस बुला ली तथा पुलिस ने गोली चलाकर दो श्रमिकों को घटना-स्थल पर मार डाला। क्या सरकार को उक्त महाप्रबन्धक को मुअत्तिल करने का निर्णय नहीं लेना चाहिये था जिसने ऐसी स्थिति उत्पन्न करा दी है? जब अनुशासनहीनता के लिए श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है तो अधिकारियों के विरुद्ध क्यों नहीं की जा सकती?

अन्त में मेरा सुझाव है कि नांगल-तलवारा रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये तथा उसे शीघ्र पूरा भी किया जाना चाहिये क्योंकि उसका सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

Shri Hira Lal Doda (Banswara) : I appreciate the outlook of the hon. Minister for imposing less burden on the 3rd class passengers while preparing the Railway Budget.

It is also appreciable that Railways are being developed and apart from constructing new railway lines in various parts of the country metre gauge lines are being converted into broad gauge railway lines. It has been observed that construction of new railway lines is being undertaken in backward and drought affected areas under famine relief programme. But I am sorry to mention that no attention has been paid to Rajasthan state which is the most neglected and backward region. People living in hilly areas and in forest have been deprived of transportation facility for the last 25 years.

It has also been observed that Government have not implemented their schemes in regard to giving priority for constructing railway lines and industries in backward areas of the states like Rajasthan. They have not fulfilled their promises. Government are responsive only to agitations. It has become clear that Rajasthan is being discriminated against by the Government.

We have repeatedly demanded the construction of Ratlam-Banswara railway line but no heed is paid to our request till now. People of hilly areas of Banswara, Silumber, Dhariyabad and Durgapur have been facing acute shortage of foodgrains due to the non-availability of railway line in this area. If this attitude of the Government continues people of this region would starve.

There are large deposits of fluorite, lime stone, etc. in these areas but mines are closed because of the absence of railway lines. In view of the scarcity and poverty prevalent there Government should take up the construction of Ratlam-Banswara railway line as soon as possible under the relief programme so that people may get employment. I again suggest that Government should give more emphasis on setting-up of industries in the backward areas instead of continuing the present policy. New railway lines should be laid in these areas on priority basis for the betterment of the people of undeveloped areas.

I also demand that Chetak Express running between New Delhi and Udaipur should be made express upto Udaipur to reduce its running time. It is also desirable to attach more bogies with it in view of the heavy traffic. This train should also be extended to Delhi Junction.

My third demand is that timing of Chetak Express should be so arranged as the passengers of Udaipur-Himmatnagar passenger train could catch Chetak Express,

I also demand that the speed of Mewar passenger train should be raised to compete with the road transport and to avoid inconvenience caused to the passengers. This service should be extended to Chittor to facilitate local people of that area.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Railway industry is a large scale industry in the public sector and it could have provided a great help to the country for her development. But I am sorry to observe that due to the lack of intelligence in the Railway administration Government have to present deficit budget pertaining to Railways.

I would like to suggest that there should be co-ordination among Railway transport, road transport, shipping and air transport. The criteria evolved by ex-Railway Minister, Shri Lal Bahadur Shastri regarding the construction of new railway lines in the country should be implemented regularly. People of backward areas have been deprived of the facility of railway transport for the last 25 years. We have been trying to persuade the Government to take up the construction of Indore-Dohad, Dohad-Khandwa and Indore-Baroda railway lines in the tribal area but they have not paid any heed to our efforts and request.

I also demand that the Guna-Maksi line should be completed as soon as possible and Ajmer-Khandwa line should be converted into broad gauge line. Bhopal-Indore railway line should be extended to Dohad from commercial point of view.

It has been observed that no incentive is given to the candidate knowing Hindi in the examination held by Railway administration. I request that this tendency should be removed.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : रेलवे बजट का समर्थन करते हुए मैं उड़ीसा की जनता की कुछ समस्याओं का सभा में उल्लेख करना चाहता हूँ ।

सारे देश में प्रति 1000 किलोमीटर पर 18.4 किलोमीटर रेलवे लाइन है जबकि उड़ीसा में केवल 1.2 किलोमीटर रेलवे लाइन है । उड़ीसा में जितनी भी रेलवे लाइनें हैं, उनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने कराया था तथा यह मद्रास से कलकत्ता और कलकत्ता से बम्बई को जोड़ने के लिए बनाई गई थीं । भारत सरकार ने कोई नई रेलवे लाइन वहाँ नहीं बनाई है । अब सरकार ने पारादीप से कटक तक लाइन बनाने की मंजूरी दी है जिसकी लम्बाई केवल 60 मील है ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि रामगढ़ में एक उपरिपुल बनाया जाए । नौपारा गुनुपुर नैरोगेज लाइन के बारे में अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने सिफारिश की है कि इस लाइन को ठीक किया जाए जिससे इस पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकें क्योंकि वहाँ रेलगाड़ियों की संख्या पर्याप्त है । इस सिफारिश को तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

उक्त समिति ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को उस लाइन से खाद्यान की ढुलाई करनी चाहिए जिससे रेलवे की आय में वृद्धि हो सके । समिति ने आर्थिक दृष्टि से इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलना उपयुक्त नहीं माना । किन्तु स्थानीय जनता की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये अन्यथा आदिवासी क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास करना कठिन है ।

Shri Basheshwar Nath Bhargava (Ajmer) : Indian Railways have played an appreciable

role in the development of our economy and in facing serious difficulties, like war and natural calamities arisen in the country from time to time. The total amount of investment in this largest public undertaking is more than Rs. 3500 crores. It is correct to say that certain defects exist in Railway administration and the hon. Minister should try to remove them. But it is also a fact that the performance of our railways during the crisis has been remarkable.

In his budget speech hon. Railway Minister has expressed his helplessness regarding the increase in 3rd class fares. I would like to submit that the distance of 15 km. for the purpose of fare-increase exemption should be increased so that workers and other poor persons may get some relief.

Now I would like to refer to the problems of my constituency. Ajmer-Kota line was taken up in 1899 but it could not be completed so far. According to survey report this line was found uneconomical as a result of which this line has not been constructed for the last 74 years. Ajmer-Kota line should be constructed on priority basis because whole of this area is famine-affected and undeveloped but there is every likelihood of this line being a profitable line because about 20 lakh tonnes of goods for loading are available here.

On account of closure of wagon building industry in Ajmer in 1972, 700 persons became unemployed. Since the absorption of Ajmer in Rajasthan its development came to a stand-still. I would, therefore, request that the wagon building industry should be started again.

With these words I support the railway budget.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Bihar is a very backward state and railway can play a very vital role in its development. In view of this I request that bridge under construction over river Ganga at Patna should be converted into a road-cum-rail-ridge so that South and North Bihar can have development.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।]
[SHRI K. N. TIWARI in the Chair.]

A Booking Office should be opened in the South Patna, because population is increasing in that side of the city.

A Railway Public Service Commission office should be opened in Patna or Danapur because the candidates of Bihar now have to go to Calcutta or Allahabad for interview and as such poor Biharis have to spend a lot of money.

N. F. Railway should be connected with some Railway Service Commission and its head office should be at Katihar.

The departmental canteens are not working properly because most of them are in the hands of private individuals. The dining cars should not be removed from the trains. I request that all the catering arrangements should be taken by the government in their own hands.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : On behalf of Shri Genda Singh I would like

to ask the Minister that when the bridge on Gandak between Wagha-Chhitauni, which was collapsed in 1924, will be constructed again. In the absence of this bridge the people, who have to go to Nepal and Katihar, have to face great difficulties.

A Railway Service Commission should be made in Bihar. It is a very long standing demand of Bihar and that should be accepted.

While introducing division system in N. E. Railway and N. F. Railway three or four district-level offices were promoted to division-level. Sonpur is the only district-level office, which was not promoted. It is a historical place and it is not possible to control a vast area of 5 thousand kilometres falling in Samastipur division. No train is running in time. As such, I request the Minister to make an announcement in this connection.

The reservation chart prepared at Delhi or New Delhi should be written in legible handwriting. Some arrangement of passenger guide or otherwise should be made for the facility of the passengers.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I congratulate the Minister for presenting a budget which does not put extra burden on general public.

An assurance for over all development has been given. There is provision for laying new lines. Such arrangements have been made that money should not come in the way of constructing new lines up to 60 K. M. at important places.

Now I would like to say that proper arrangements should be made to stop without ticket travelling, irregular running of trains and theft of railway property etc.

Neglected category of Ticket Collectors should be given suitable pay. Their demands had not been heard so far.

I will request the Railway Minister that Delux train should stop at Mokameh. All the trains should stop at the new station between Rajendrapul and Simaria station. Arrangements should be made to run an express train during day time between Darbhanga and Pahleja. The proposed bridge at Patna over Ganga should be road-cum-rail bridge. Office of Railway Service Commission should be opened at Patna. A thorough coach should be arranged from Samastipur to Bombay. Additional train should be started between Nirmali and Saharsa.

Arrangements should be made to construct more new lines in Samastipur Division as there is not sufficient lines in this division.

The status of Chikna halt station should be raised to that of Flag station or full-fledged station.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मुझे प्रसन्नता है कि अब जम्मू और कश्मीर में भी रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है। तथापि कुछ समस्याएँ हैं, जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कथुआ जिला मुख्यालय है अतः दिल्ली से सीधे कथुआ तक के लिए प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएँ। कथुआ स्टेशन और कस्बे के बीच की सड़क को शीघ्र बनाया जाये।

कश्मीर घाटी में काजीगुण्ड और बारामुला के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण में शीघ्रता की जानी चाहिए।

रेलवे को कई प्रकार के कर आदि नहीं देने पड़ते तथा प्रतिवर्ष किराए भी बढ़ते जा रहे हैं इन सबको दृष्टि में रखते हुए भारतीय रेलवे को अपने कार्य में सुधार करना चाहिए।

रेलवे को कर्मचारी-व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए जिससे कि रेलवे में कार्य-क्षमता बढ़ सके। इसके लिए उच्च शक्ति प्राप्त निकाय की स्थापना की जानी चाहिए जो वर्तमान व्यवस्था में लाभप्रद सुधार करे।

पिछड़े क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें निर्धारित समय में ही पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : This is, for the first time, in the history of Indian Railways that proper attention is being paid towards backward areas of the country. The increase in the fares of 3rd class is nominal and people will not mind paying these enhanced fares.

I would like to suggest that instead of contract system some corporation etc. should be made for undertaking railway construction work.

Hon. Minister should go to Samastipur and solve the problem of constructing approach-roads to the bridge under construction.

A new line between Hazipur to Bachwara should be constructed. A new halt station at Lagunia between Muhiuddinnagar and Shahpur should be opened. Sufficient schools should be opened for the children of railway employees.

Shri Ram Chandra Vikal (Bagpat) : In August, 1972 Railway Deputy Minister Mr. Qureshi assured the House to start the S.S. Railway but nothing has been done so far. On that line every thing including line, buildings of the stations and bridges are being dismantled. A huge amount will be required for their reconstruction.

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepore) : Shri L. N. Mishra has presented the Railway Budget. I am happy that he has been given the cabinet rank. I hope he will make efforts to bring improvement and efficiency in the Ministry of Railways.

Mr. Chairman : You may continue to-morrow.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 मार्च, 1973/18 फाल्गुन 1894 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday,
March 9, 1973/Phalguna 18, 1894 (Saka)*